Chaitra 14, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session (Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XVIII contains Nos. 21 to 27)

LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Mahavir Singh **Director**

Narad Prasad Kimothi Sunita Arora **Joint Director**

Maneesha Bhushan **Assistant Editor**

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka) No. 24, Monday, April 04, 2022/Chaitra 14, 1944 (Saka)

<u>SUBJECT</u> <u>PAGES</u>

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Question Nos. 441 to 450 9-43

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos. 451 to 460 44-105

Unstarred Question Nos. 5061 to 5290 106-723

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE		725-753
MESSA	GE FROM RAJYA SABHA	754-755
СОММ	TTEE ON ESTIMATES	
•) 13 th and 14 th Reports i) Statement	756 756
CASTE	TTEE ON WELFARE OF SCHEDULED S AND SCHEDULED TRIBES	
1	2 th to 14 th Reports	757
	TTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE 8 th to 81 st Reports	758
,	ο ισοι κεροιίς	750
STATE	MENTS BY MINISTER	7 59-760
(i) (a)	Status of implementation of recommendations /observations contained in the 262 nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development of Buddhist Circuit in India'	
(b)	pertaining to the Ministry of Tourism Status of implementation of recommendations /observations contained in the 273 rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 262 nd Report of the committee on 'Development of Buddhist Circuit in India' pertaining to the Ministry of Tourism	759
	Adv. Aiav Bhatt	760

ELEC	TIONS TO COMMITTEES	761-762
(i) National Tiger Conservation Authority	761
(i	ii) Marine Products Export Development Authority	762
MATT	ERS UNDER RULE 377	781-804
(i)	Regarding subsidy on phosphate rich organic manure	
	Shri Vijay Baghel	782
(ii)	Regarding augmentation of railway services in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan	
	Shri Bhagirath Choudhary	783-784
(iii)	Need to extend North East Express train upto Jaipur via Jhunjhunu and Sikar	
	Shri Narendra Kumar	785
(iv)	Regarding development of Hazira Port in Gujarat	
	Shri Mitesh Patel (Bakabhai)	786
(v)	Regarding construction of a railway overbridge near Kharkhauda Railway Station, Uttar Pradesh	
	Shri Rajendra Agrawal	787
(vi)	Regarding salary of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Schools' employees and regularisation of services of KGBV workers	
	Shri B. B. Patil	788
(vii)	Regarding putting all projects of phase II Metro in Pune on fast track	
	Shri Girish Bhalchandra Bapat	789
(viii)	Regarding setting up of a Mega Textile Park in Bhilwara, Rajasthan	
	Shri Subhash Chandra Baheria	790
(ix)	Regarding healthcare facilities in Darjeeling,	
	Kalimpong and other districts of North Bengal Shri Raju Bista	791
	OUU KAIU DISIA	131

(x)	Need to formulate a plan to prevent annual flood	
	and land erosion in Maldaha Uttar Parliamentary	
	Constituency, West Bengal	700
(!\	Shri Khagen Murmu	792
(xi)	Regarding SAI Centre and laying of synthetic track	
	in Nandurbar Parliamentary Constituency	
,	Dr. Heena Vijaykumar Gavit	793
(xii)	Regarding proposed waterway from Jamshedpur	
	to Odisha via West Bengal	
	Shri Bidyut Baran Mahato	794
(xiii)	Need to make permanent the services of doctors	
	and healthcare workers employed on	
	contract basis under Rashtriya Swasthya Mission	
	Shri Krishnapalsingh Yadav	795
(xiv)	Regarding construction of various underground	
	passages and RoBs in Rayagada and Koraput	
	districts of Odisha	
	Shri Saptagiri Sankar Ulaka	796
(xv)	Regarding resumption of regular train services on	
	Thiruvarur-Karaikudi Section and manning of	
	level crossings in Southern Railways	
	Shri Su. Thirunavukkarasar	797
(xvi)	Regarding allocation of fund for construction of a	
	dam across Koraiyar river, Tirunelveli district, Tamil	
	Nadu	
	Shri S. Gnanathiraviam	798
(xvii)	Regarding inclusion of Beda Jangam Community	
()	in SC list	
	Dr. Sanjeev Kumar Singari	799
(xviii)	Regarding operationalisation of Chandkhali Halt	
, ,	Station	
	Shrimati Pratima Mondal	800

(xix)	Regarding shifting of headquarters of National	
	Board for Workers Education from Nagpur to	
	Delhi	
	Shri Krupal Balaji Tumane	801
(xx)	Need to address the problem of shortage of water	
	for irrigation and drinking purposes in	
	Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh	
	Shri Ramshiromani Verma	802
(xxi)	Regarding land acquisition in Lakshadweep Islands	002
()	Shri Mohammed Faizal P. P.	803
(xxii)	Regarding hike in prices of petroleum products and	
	medicines	
	Dr. M.P. Abdussamad Samadani	804
CRIM	INAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022	810-953
N	Motion to Consider	810
S	Shri Amit Shah	810-812
		922-945
		922-940
5	Shri Manish Tewari	813-821
5	Shri Vishnu Dayal Ram	821-828
5	Shri Dayanidhi Maran	828-837
5	Sushri Mahua Moitra	837-846
5	Shri Vinayak Bhaurao Raut	846-849
5	Shri P.V. Midhun Reddy	849-851
5	Shri Bhartruhari Mahtab	851-856
c	Shrimati Supriya Sadanand Sule	857-862

Kunwar Danish Ali	863-867
Shri Gaurav Gogoi	868-873
Dr. Satya Pal Singh	875-886
Shri E.T. Mohammed Basheer	887-889
Shri N.K. Premachandran	890-893
Shri K. Subbarayan	893-895
Shri Syed Imtiaz Jaleel	896-898
Shrimati Aparajita Sarangi	899-902
Shri P. Ravindhranath	902-904
Shri Brijendra Singh	905-910
Shrimati Navneet Ravi Rana	910-913
Prof. Sougata Ray	913-915
Dr. Nishikant Dubey	915-918
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	919-922
Clauses 2 to 10 and 1	946-952
Motion to Pass	952-953
*ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	882
Member-wise Index to Unstarred Questions	883-888
*ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	889
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	890

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES	

LOK SABHA

Monday, April 04, 2022/ Chaitra 14, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]

HON. SPEAKER: Let us now take up Question Hour.

Question No.441 – Shri Benny Behanan ji

....(Interruptions)

11.01 hrs

At this stage, Shri B.B. Patil and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

....(Interruptions)

11.01 ½ hrs

At this stage, Shri T. R. Baalu and some other hon. Members left the House.

....(Interruptions)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No.441 – Shri Benny Behanan ji

(Q. 441)

SHRI BENNY BEHANAN: Hon. Speaker, Sir, my question is related to the high prices of medicines which are badly affecting the poor people of the country.(Interruptions) Sir, we are unable to buy items of daily necessities due to rise in prices.(Interruptions) How can we pay 18 per cent GST on medical insurance?(Interruptions) Sir, medical insurance started in India very late as compared to developed countries in the world like United States, UK, Australia etc., where majority of the people had taken medical insurance

policies much earlier as part of the social security measures adopted by those countries. In India, even now only a minority population, whether in urban or rural areas, have taken medical insurance policies.(Interruptions) In order to boost the medical insurance sector, and to strengthen the social security measures for the people of India, it is highly necessary to exempt medical insurance policies from GST at the earliest.(Interruptions)

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी जब कोविड काल आया था, उस समय हमारे मंत्री परिषद के समूह ने एक तत्काल निर्णय लिया कि कोविड से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ हैं, ... (व्यवधान) जिनको पाँच परसेंट और 12 परसेंट के दायरे में रखा गया। ... (व्यवधान) कोविड के समय कोविड से संबंधित दवाइयाँ एवं इंस्ट्रूमेन्ट्स थे, उनको 12 या 18 परसेंट से घटा कर पाँच परसेंट करने की व्यवस्था भी की गई थी। ... (व्यवधान)

SHRI BENNY BEHANAN: Sir, my supplementary question is whether the Government of India has any plan to propagate medical insurance by promoting group medical insurance policies at anganwadis, schools, colleges etc., as this will in turn help promote health insurance in both urban and rural India.(Interruptions)

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के सभी जरुरतमंदों को स्वास्थ्य बीमा मिल सके, उसके लिए पहले से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत के तहत ऐसे तमाम स्वास्थ्य बीमा की योजनाएं सरकार लेकर आई है।... (व्यवधान) इसमें में कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य बीमा का लगभग 66 फीसदी हिस्सा भारत सरकार की योजनाओं से संचालित होता है और लोग इसे प्राप्त करते हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:एडवोकेट अदूर प्रकाश – उपस्थित नहीं

... (<u>व्यवधान</u>)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: अध्यक्ष जी, इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है, वह जीडीपी का चार प्रतिशत है और जो ग्लोबल एवरेज है, वह सात प्रतिशत है।... (व्यवधान) लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ी इंडस्ट्री है। वर्तमान में सेक्शन 88सी में इसके लिए डिडक्शन क्लेम किया जाता है।... (व्यवधान) कोरोना महामारी के समय लाइफ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है। मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। इसके अतिरिक्त, इनकम टैक्स में भी सिर्फ 25,000 रुपये का एग्जेम्प्शन मिलता है। इससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है।... (व्यवधान) मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सरकार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक सेपरेट सेक्शन फॉर डिडक्शन देने का प्रावधान या पीपीएफ की तरह इसकी एग्जेम्प्शन लिमिट को 25,000 रुपये से अधिक करने की योजना कर रही है? ... (व्यवधान)

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदस्य को बताना चाहता हूं कि बीमा इंश्योरेंस पर 18 पर्सेंट का जीएसटी लगता है। जीएसटी आने के पूर्व में भी, अगर आप देखें तो सभी देशों के स्टैंडर्ड्स रेट होते हैं, और इसके पहले भी बीमा इंश्योरेंस पर 15 पर्सेंट सर्विस टैक्स था और वैट वगैरह सारे टैक्स मिलाकर देखें तो उस समय भी 18 पर्सेंट टैक्स लगता था। जहां तक इनकम टैक्स की रिबेट का सवाल है, 25 हजार से लेकर 1 लाख तक की रिबेट वृद्धों के लिए दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न संख्या ४४२, डॉ. संजीव कुमार शिंगरी।

(Q. 442)

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, MICE is an acronym for Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions. We know that tourism industry can shape the economy of any nation. The world MICE industry's focus is shifting from Europe to Asia-pacific region and India has a chance for making a breakthrough.

11.06 hrs

At this stage, Shri Nama Nageswara Rao and some other hon. Members left the House.

India has many advantages in this regard. There are 300 five-star hotels, several convention centres and big educational institutions with seminar halls. India has good air connectivity with 123 commercial airports and 35 international airports, and good road connectivity with 1.4 lakh kilometres of highways. India is also aiming to make Indian roads as good as American roads by December 2024. And, India is considered as the spiritual capital of the world.

Sir, the present share of India in the global MICE market is one per cent and the Government of India aims to achieve two per cent share by 2025. The global market size was around Rs. 60 lakh crores in 2017 and is expected to double by 2028 at an expected growth rate of 23 per cent. When we compare business tourism with leisure tourism, people spend 50 per cent more amount

during business tourism than during leisure tourism. In fact, no destination in the world has succeeded in leisure tourism until business tourism came about.

My first question to the hon. Minister is this. HICC of Hyderabad is considered as the largest convention centre in India. There are many such centres in Noida, Ahmedabad, Lavasa, Kochi and Delhi. Has the Government of India any plans to construct such a world-class convention centre in the State of Andhra Pradesh because Andhra Pradesh is bestowed with a lengthy coastline and has the most famous Hindu temples? Is there any nodal agency to allot specific types of businesses to specific convention centres?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में एक बड़ा कनवेंशन सेंटर बने। पर्यटन मंत्रालय अपनी ओर से माईस टूरिज्म बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट, नेशनल स्ट्रेटिजी रोड मैप बनाया हुआ है और उसका काम भी शुरू हो गया है।

कम से कम आठ राज्यों में हम छोटे कनवेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। माननीय सदस्य की इसे आंध्र प्रदेश में बनाने की डिमांड है। स्टेट से प्रपोजल आने पर हम निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। टूरिज्म स्टेट का सब्जेक्ट है। सेंटर से जितनी मदद हो सकती है, हम वह करेंगे। आंध्र प्रदेश में जो आपने मांगा है, उस पर हम निश्चित तौर पर विचार करेंगे।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI: Sir, the Indian Institute of Tourism and Travel Management at Nellore was started in 2010. It was shifted to a new campus in 2016. There are many issues plaguing the Institute at Nellore, like internal roads, water scarcity, staff quarters, bus service and land-scaping. How much funds were released to the institution in the past five years and when is the infrastructure development expected to be completed? Sir, the

Institute can be used for capacity building of staff of the State Tourism Department. Likewise, the Institute can be developed as the nodal centre for rural tourism, adventure tourism and beach tourism. Are there any plans by the Ministry of Tourism in this regard?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट को प्रपोज करना होता है और इसके लिए जो मदद टूरिज्म मिनिस्ट्री और सेंटर से चाहिए, वह मदद हम देने के लिए तैयार हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि हर स्टेट टूरिज्म में आगे बढ़े और अपना विकास सामने लेकर आए।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Sir, my question is with the hon. Minister. Hon. Finance Minister is also sitting over here. I have a long-cherished proposal, which I have been putting over here, for many years. West Bengal has an area called Sundarbans area. It is a jungle area and has a huge tree-cover.

There are Royal Bengal Tigers, the famous tigers in the world. In South Africa if you go for a tour, there is 'Walk with Lions' tour. People walk with lions. Similarly, in Sunderban area in West Bengal, the Government can take an initiative. Madam, Nirmala Sitharaman, I want you to consider about a tiger safari in the State. It can be a national safari also. Millions of people who are fond of watching animals, like tigers and lions can go and see them. Lion safari is there but tiger safari is nowhere there in the world. So, Sunderbans cannot be left out. It is not that only when the proposal from the State Government will come, we will respond. Why can the Government of India not take a proposal

of their own that Sunderbans will be considered and will be taken up for formation a tiger safari. It is my humble submission.

श्री भर्तृहरि महताब : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सुंदरवन में टाइगर मछली खाता है कि नहीं, यह भी देखने लायक है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सुंदरवन के बारे में प्रश्न पूछा है। पर्यटन मंत्रालय दो-तीन स्कीमों के जिए हर स्टेट को फाइनेन्स करता है कि टूरिज्म प्रोजेक्ट वहां आए। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत हम डेवलपमेंट करते हैं, प्रसाद स्कीम है, आइकॉनिक डेस्टिनेशन है, वहां भी हम लोग इस तरह की स्कीमों से डेवलपमेंट करते हैं।

मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आप प्रपोजल भेज दीजिए। आपने सफारी के बारे में कहा है, उसे निश्चित रूप से करना है। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा पर्यटक साधन है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रपोजल आने के बाद मंत्रालय इस पर निश्चित रूप से विचार करके प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए मदद करेगा।

SHRI DUSHYANT SINGH: Speaker Sir, thank you, for allowing me to ask a question. मंत्री जी ने अभी प्रश्न के उत्तर में बताया कि टूरिज्म स्टेट सब्जेक्ट है। But MICE is a very important component of tourism. I would like to ask this from the hon. Minister. Is the strategy – as he obviously says it is a part of the State subject – of the Government of India to promote tourism vis-à-vis MICE tourism to increase MICE tourist operators and the tourism business will then help employment in various States? What is the strategy the Government of India is coming out with?

The hon. Minister stated in his answer that there is 0.96 per cent of India's share out of the total global MICE industry. How will we increase it? Will he give the industry GST rebate vis-à-vis MICE tourism so that he can improve

employment and give people employment and improve MICE tourism in all States of India?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म नेशनल स्ट्रेटेजी का रोडमैप ड्राफ्ट किया हुआ है। उसमें माइस के लिए टूरिज्म मिनिस्ट्री ही सब कुछ कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। कॉमर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्री को साथ लेकर भी कर सकते हैं। हमने उसमें सजेशन्स दिए हुए हैं, माइस के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात है, developing ecosystem for MICE के लिए तैयार करना चाहिए। Enhancing the competitiveness of the Indian MICE industry, enhancing the ease of doing business for MICE events, marketing India as a MICE destination, and skill development or the MICE industry, हमने इसी रिपोर्ट से सजेशन लेकर सरकार को दिए हुए हैं, इस पर विचार शुरू है। Tourism is an industry. जब इसे डिक्लेयर करेंगे तभी लोग माइस को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इस सजेशन को हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके लिए हमारा प्रयास शुरू है।

SHRI HIBI EDEN: Sir, Sri Lanka was a major destination for MICE. In the present political scenario, the southern part of India can be utilised for MICE as the biggest strategy.

Cochin with the beautiful backwaters and many other infrastructural facilities has a lot of convention centres as well. Can the Government of India make a policy to develop MICE in the southern part of India, especially where tourism is flourishing? This can be a detailed project whereby not just meetings and exhibitions can happen, they can also explore local revenue of the localites who eat local food and promote the tourism industry as well. Will the Government take necessary steps for this?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, जैसा सदस्य ने कहा है, पॉलिसी पार्ट ऑफ कंट्री के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए बनती है।

मैं निश्चित तौर से एश्योर करता हूं कि साउथ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि वहां इंटरस्टेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स को डैवलप करना है और हम इसे करेंगे।

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न संख्या ४४३, कुंवर दानिश अली।

(Q. 443)

कुंवर दानिश अली: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री का जवाब मिला है, मैंने पूछा था कि स्टूडेंट्स लगातार सुसाइड क्यों कर रहे हैं? रोहित वेमुला का बड़ा केस था, उसकी चर्चा देश भर में हुई। कई ऐसे केस होते हैं जिनकी चर्चा नहीं होती और वे अंडर द कार्पेट रह जाते हैं।

महोदय, मेरे लोक सभा बार्डर पर एक यूनिवर्सिटी टीएमयू है, वहां करीब दर्जन भर छात्राओं ने आत्महत्या की है। किसी ने फिफ्थ और किसी ने फोर्थ फ्लोर पर से कूद कर की है।

माननीय अध्यक्ष:आपका प्रश्न क्या है?

कुंवर दानिश अली: माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। कई बार ये केस लॉजिकल कन्क्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं, एक-आध केस में इंक्वायरी भी हुई है, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने केवल सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जवाब दिया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अल्टीमेटली भारत सरकार ने, इसी पार्लियामेंट ने अलाऊ किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार केवल सैंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी ले, प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनको परिमशन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दी है, उनको जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। मुरादाबाद में टीएमयू यूनिवर्सिटी में दर्जन से ज्यादा छात्राओं ने आत्महत्या की है।

क्या माननीय मंत्री जी हाउस को एश्योरेंस देंगे कि वह एक स्पेशल कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे?

DR. R.K. RANJAN SINGH: Sir, our Government takes the incidents of suicide cases in Government-run institutes extremely seriously, irrespective of caste, categories of the victims. However, education being in the Concurrent List, the Central Government and the State Government have a shared responsibility.

Regarding the constitution of the committee, it has already been constituted in relation to a case concerning South India and six

recommendations have been given to us. The Government has accepted them, and through that, the University Grants Commission has circulated a series of regulations. It is also framing varieties of Committees. Monitoring committees are also constituted. We are taking action seriously.

कुंवर दानिश अली: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि समिति गठित कर दी गई है। मैं सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने से पहले स्पेसिफिक सवाल दोहराता हूं। मैं तीन छात्राओं के नाम ले सकता हूं, नीरज भडाना, वैशाली चौधरी और कविता ने टीएमयू में आत्महत्या की है। क्या इसके लिए आप कोई कमेटी जांच के लिए भेज रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री संज्ञान ले रही है कि जिस तरीके से देश के विभिन्न राज्यों में एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं? खास तौर से अभी उत्तर प्रदेश में 12वीं बोर्ड का इंगलिश का पेपर लीक हुआ है। ऐसे कई राज्यों में लीक हो रहे हैं। क्या सरकार इसका संज्ञान ले रही है?

क्योंकि, यह मेरे राज्य उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है। पिछले पांच सालों में 18 पेपर्स लीक हुए हैं। ... (व्यवधान)

DR. R.K. RANJAN SINGH: Hon. Speaker, Sir, this question is not related to the main Question.

HON. SPEAKER: Okay.

KUNWAR DANISH ALI: Sir, you have to direct the Minister to give an answer.
... (*Interruptions*) What is this? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ४४४, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा।

(Q. 444)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत की राजधानी में प्रदूषण के लिए जो कदम उठाए हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं। ... (व्यवधान) चाहे, वह ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरीफेरल बनाने की बात हो, सोनीपत हाईवे, गाजियाबाद हाइवे, कुंडली हाईवे, द्वारका एक्सप्रेसवे या यूईआर-2 बनाने की बात हो, ये सारी बड़ी रोड्स बनाने से बड़े-बड़े ट्रक जो पहले इंडस्ट्रियल एरियाज में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे, आज वे दिल्ली में प्रवेश नहीं करते हैं। उससे दिल्ली में प्रदूषण काफी कम हुआ है। इसी के साथ भारत सरकार ने जो बीएस-6 क्वालिटी पेट्रोल को लागू करने के लिए कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। उसके साथ हमारे माननीय मंत्री जी ने जो कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पूरे एनसीआर के लिए बैठाया है, वह दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक तरफ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी पर हमारे देश के और सारी दुनिया के वैज्ञानिकों ने काबू पाया, तो दूसरी तरफ सात सालों में अभी तक एक व्यक्ति की खांसी ठीक नहीं हो पाई है। दिल्ली के प्रदूषण के कारण आज हजारों बच्चों और युवाओं के फेफड़े खराब हो रहे हैं और उनको खतरनाक बीमारी हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, डीयूएसआईबी, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट जैसे मुख्य विभाग हैं और ये सारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। ... (व्यवधान)

मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि हर साल जब भी ठंड का महीना आता है, तो दिल्ली प्रदूषण लेवल 500 तक पहुंच जाता है। उसके बाद, दिल्ली सरकार ब्लेम गेम शुरू कर देती है कि पंजाब में पराली जल रही है, इसलिए दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है। मैं आपको और इस सदन को पराली का सच बताना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, यह सवाल हो रहा है या भाषण हो रहा है। ... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार एक आरटीआई के जवाब में कहती है, पूरे देश में डी-कम्पोस्ट सॉल्यूशन को लागू करने के लिए दिल्ली के मुख्य मंत्री जो बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, आरटीआई के जवाब में दिल्ली सरकार कहती है कि उन्होंने केवल 40,000 रुपये का डी-कम्पोस्ट सॉल्यूशन पूसा एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट से खरीदा है और 23 लाख रुपये उसके डिस्ट्रिब्यूशन पर लगा दिए। हमने पूछा कि विज्ञापन में कितना पैसा लगाया? तो आरटीआई के जवाब में आया 15 करोड़ रुपये। ... (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, scrap the Question Hour if the Government does not want to give answers. ... (*Interruptions*)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, वे 40,000 रुपये का उसका सॉल्यूशन खरीदते हैं और 23 लाख रुपये डिस्ट्रिब्यूशन के लिए मशीनरी खरीदते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, the Minister must reply. ... (Interruptions)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि मंत्री जी ने जो कमीशन बनाया है, दिल्ली और पंजाब, क्योंकि दोनों जगह आज एक ही पार्टी की सरकार है, क्या अभी तक कमीशन ने इन दोनों सरकारों से बात की है? ताकि, जब दिल्ली की खराब स्थिति हो, उससे पहले ही प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। ... (व्यवधान)

KUNWAR DANISH ALI: The hon. Cabinet Minister is sitting here. ... (*Interruptions*) He should have answered the Question. ... (*Interruptions*)

श्री भूपेन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया है, वह वास्तव में एनसीआर क्षेत्र में जो एयर शेड है, जिसके अंतर्गत एनसीआर क्षेत्र से लगे, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य आते हैं, एयर क्वालिटी कमीशन ने इन सभी राज्यों के साथ बैठक की है। ... (व्यवधान) जहां तक माननीय सदस्य ने बॉयो फ्यूल की बात

की है, तो एक्स सितु मैंनेजमेंट और इन सितु मैनेजमेंट दो तरह के मैंनेजमेंट कमीशन द्वारा स्थापित किए गए हैं। इन सितु मैनेजमेंट के अंदर भारत सरकार द्वारा कुल 2 लाख के करीब मशीनें पंजाब, हिरयाणा और उत्तर प्रदेश में उपलब्ध कराई गई हैं। ... (व्यवधान) इसके साथ-साथ बॉयो फ्यूल का उपयोग करने के लिए कमीशन द्वारा डायरेक्शन भी इश्यू किए गए हैं। बॉयोमास पॉवर प्रोजेक्ट्स, को-फायरिंग इन थर्मल पॉवर प्लांट्स, फीड स्टॉक इन टू-जी एथेनॉल प्लांट्स, फीड स्टॉक इन कम्पोस्ट बॉयोमास प्लांट्स, फ्यूल एंड इंडस्ट्री ब्वॉयलर्स आदि प्रावधान हमने सभी एनसीआर के जुड़े हुए राज्यों में लागू किए हैं। ... (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि दिल्ली में 11,000 बसों की जरूरत है। मगर दिल्ली में सात साल पहले भी 6,700 बसें थीं और आज भी दिल्ली में 6,700 बसें हैं, जिनमें से 3,000 ऐसी बसें हैं, जो कि लगभग 12 साल पुरानी हैं और दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाती हैं। ऐसे ही हम मां यमुना जी को देख रहे हैं, जैसे वह पहले भी मैली थी, आज उससे ज्यादा मैली हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर चुनाव में कहते हैं कि आगे जो चुनाव आएगा, मैं उससे पहले मां यमुना में डुबकी लगाऊंगा।...(व्यवधान)

महोदय, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या इस कमीशन को ऐसी पावर है कि वह दिल्ली सरकार पर कोई फाइन लगाए? क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानती है और दिल्ली के युवाओं और बच्चों की जान के साथ खेला जा रहा है, क्या इस कमीशन के पास उसके ऊपर कोई फाइन लगाने का अधिकार है?

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सवाल दिल्ली सरकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो अधीर रंजन जी क्यों शोर मचा रहे हैं? ठीक है।...(व्यवधान) माननीय सांसद दिल्ली के प्रतिनिधि होने के नाते दिल्ली में यमुना नदी का जो प्रदूषण है और दिल्ली में जिस प्रकार से बसों की आवश्यकता है, उन्होंने अपने क्षेत्र से जुड़े होने के कारण ये प्रश्न उठाए हैं। निश्चित रूप से यह स्थानीय सरकार की ड्यूटी भी बनती है कि वह दिल्ली के पर्यावरण को कम करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाए।

SHRI FEROZE VARUN GANDHI: Sir, according to the World Air Quality Report, our nation has 63 Indian cities which count among the 100 most polluted places on earth. Yet, 33 per cent of the Air Quality Monitors in India are concentrated in and around Delhi in the National Capital Region. My question to the hon. Minister is: what are the measures taken by the Government, including the timelines, to increase the monitoring density in other parts of the nation?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में विवाद मत कीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विषय हो गया है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में कुल मिलाकर एयर क्वॉलिटी को मापने के लिए 1,230 यंत्र लगाए गए हैं। इसमें सिर्फ दिल्ली के पास ही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत 465 शहरों और 26 ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत इन यंत्रों को लगाया गया है। इसलिए हम लोगों ने एयर क्वॉलिटी के जो यंत्र लगाए हैं, ये पूरे देश के संदर्भ में हैं और पूरे देश में वायु की जो गुणवत्ता है, उसको देखकर लगाए गए हैं।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN: Sir, in 2018, the Ministry of Environment has released the draft of the National Clean Air Programme (NCAP). Various cities across the States have been considered for this programme but it is sad to note that Chennai despite its million plus population has not yet been included in this programme whereas Trichy and Tuticorin are part of the NCAP in Tamil Nadu. We are happy about it. I would

like to ask, through you, Sir, whether the Ministry will consider our request and Chennai will be included in the NCAP soon.

कुंवर दानिश अली : महोदय, मेरा जवाब तो दिलवाइए।...(व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में जिन शहरों को वायु प्रदूषण के लिए चयन किया गया है, वह उन शहरों की वायु गुणवत्ता के हिसाब से किया गया है। सीपीसीबी ने जो डॉयेक्शंस निकाले हैं, उन्होंने इसमें इस प्रकार के जो 12 गैसेज़ और प्रदूषण के कारक हैं, उनको इसमें शामिल किया है। चेन्नई एयर क्वॉलिटी की दृष्टि से अच्छा शहर है, जिसके लिए चेन्नई के लोग बधाई के पात्र हैं।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी दिल्ली के माननीय सांसद ने कहा है कि...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप तो अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय, यह विषय प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है कि वायु प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। ये उनका प्रश्न है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आज भी इस बात को कबूल नहीं करते हैं कि वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है।

मेरे पास केन्द्र सरकार का लिखित जवाब है, जिसमें उन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में बोला है कि विभिन्न संगठनों ने इस बात पर रिसर्च की है कि यह स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक केन्द्रीय सरकार ने इसको कबूल नहीं किया है। मेरी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से दर्ख्वास्त है कि वह स्वास्थ्य मंत्री जी को निर्देश दें और सरकार के द्वारा एक सरकारी जांच हो। वायु प्रदूषण और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्वास्थ्य पर एक स्टडी हो, आप ऐसा निर्देश दीजिए।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता ही है कि वर्ष 2018 में पूरे देश में NCAP का कार्यक्रम ना केवल घोषित किया गया है, बल्कि इसको मिशन स्तर

पर भी चलाया जा रहा है। यह केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता ही है कि हमारी वित्त व्यवस्था के अंतर्गत इसमें 4400 करोड़ रुपये लगाए गए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के सभी भागों में जनप्रतिनिधियों की, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन्स की तथा प्रतिनिधियों की लगातार वर्कशॉप की जा रही है इसलिए माननीय सदस्य ने जो आकांक्षाएं उठाई हैं, वे गलत हैं, तथ्यहीन हैं तथा खंडित करने योग्य है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या ४४५, श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर।

(Q. 445)

SHRI BALUBHAU *ALIAS* SURESH NARAYAN DHANORKAR: I want to ask whether it is a fact that the same report also outlines the goal to increase exports to 800 million USD by 2022-23 whereas it is only 600 million USD in 2021-22.

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार हमने 400 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा निर्यात को बढ़ावा दिया है। हमारी सरकार ने यह जो सारी व्यवस्थाएं की हैं, सारे कानूनों में बदलाव किया है, उसका ही यह परिणाम है कि आज हमारा निर्यात 400 बिलियन डॉलर्स से ज्यादा बढ़ चुका है।... (व्यवधान) कुंवर दानिश अली: सर, छात्रों की आत्महत्या पर जवाब दिलवा दीजिए।... (व्यवधान)

SHRI BALUBHAU ALIAS SURESH NARAYAN DHANORKAR: I want to ask whether it is a fact that the same report recommends increased capital expenditure balanced by an increase in Government tax revenue with the goal to reach, at least, 22 per cent of tax-GDP ratio while the gross tax-GDP ratio in 2022 was just 10.12 per cent. Why is India taking no debt of more than Rs. 6.6 lakh crore even though it is the 2022-23 Budget?

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नीति आयोग ने वर्ष 2018 में स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75 को बनाया था, उसका लक्ष्य यह था कि वर्ष 2022-23 तक हम भारत की अर्थव्यवस्था को 8 परसेंट से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हमारा निवेश 36 परसेंट होगा। इस बीच में कोविड आने से समस्याएं हुई, लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री जी के अथक प्रयास से हमारे देश का जीडीपी, जो कि माइनस 6 तक चला गया था, वह आज की डेट

में 8.9 परसेंट पर है। आज भारत दुनिया में तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, आप मिनिस्टर जी को डायरेक्शन तो दे दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Sir, I am sorry to say that the overseas investors have pulled out a net Rs. 1,14,856 crore from the Indian markets in the current year so far. Foreign portfolio investors have sold domestic equities worth Rs. 48,261 crore and this is the sixth straight month that the foreign institutional investors have withdrawn from the positions in the Indian equity market – a trend which may unfortunately be exacerbated by the U.S. interest rates hike and commodity price hikes particularly of crude oil.

Would the hon. Minister care to explain the worrying trend of steadily declining investment by foreign portfolio investors in our country and whether the Government is taking any measures to rectify this current trend in the market? What specific things can be done to reverse something which has been steadily worsening for six months? It is a very serious question about the investment in our country that we need for our economy to grow.

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से निश्चित तौर से देश में निवेश बढ़ाने के तमाम उपाय किए गए हैं। पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई है। आईबीसी कोड लाकर बैंकों की स्थित को सुधारने का प्रयास किया गया है। देश में जो तमाम प्रकार की कर व्यवस्थाएं थीं, उनको समाप्त करके जीएसटी एक्ट लाया गया।... (व्यवधान) पीएलआई स्कीम लाई गई। सभी कानूनों में सरलीकरण किया गया। आज कॉरपोरेट टैक्स दर में

कमी आई है। हमने ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में 80 पायदान की छलांग लगाई है। अध्यक्ष जी, आज भारत में इस कारण कहीं ना कहीं निवेश बढ़ रहा है।... (व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS

(SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, investments will have to be gauged not just by looking at FIIs and FPIs which by very nature depend on the interest rates which keep moving up and down.

I am sure the senior Member who has held positions abroad will understand that FIIs and FPIs can be very tempted by interest rates elsewhere and prospects anywhere else as well. ... (Interruptions) Sir, why is it that when I stand up to answer there is always this temptation to have a running commentary? Even learned Member Prof. Sougata Roy never ever forgets that he has to obstruct the Minister when she gives an answer! I wish he gets up and seeks a clarification after I finish rather than have small-time satisfactions of interrupting. Sir, through you I request him to listen to my answer. After that, he is very welcome, with your permission, to ask a question or seek a clarification. I have not yet finished yet.

Sir, FPIs and FIIs are obviously going to be, as it is typical of their very nature, coming in and going out. But what has got to be looked at, with fairness and objectivity, is the inflow of FDIs which has remained unabated. India is the highest receiver of FDIs since before COVID and that continues during COVID.

In fact, it continues very much significantly during COVID and subsequently also. It is that which indicates if the money which is coming in is

staying invested in this country thereby creating jobs and prospects for us, and

not by indicating only the FIIs and FPIs.

One last bit, Sir. FIIs and FPIs may come and go but today Indian retail

investors have proven that even if they come and go, any shock that may

come is now taken care of because of the shock-absorbing capacity the Indian

retailer has brought into Indian market. I think we as a House should stand up

and appreciate the Indian retailor who has invested a lot of confidence in the

stock market today in India.

माननीय अध्यक्ष:श्री प्रतापराव जाधव – उपस्थित नहीं।

श्री संतोख सिंह चौधरी।

(Q. 446)

श्री संतोख सिंह चौधरी: सर, मेरे संसदीय क्षेत्र जालंधर में नेशनल चाइल्ड लेबर ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे थे, जिनमें करीब 1300 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। जालंधर क्षेत्र में ऐसे 27 सेंटर्स चल रहे थे और इनमें 117 टीचर्स काम कर रहे थे। अब एक ऑर्डर आया है कि इन सेंटर्स को बन्द कर दिया गया है, क्योंकि इसको सर्व शिक्षा अभियान में सबस्यूम कर दिया गया है, जो मेरे जिले में फंक्शनल नहीं है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर जी ने अपनी बजट स्पीच में कहा था कि इन सेंटर्स को कंटिन्यू किया जाएगा, इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन अब यह जो हुक्म आया है, इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के इन 1300 बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। वहां जो 117 टीचर्स हैं, उनको पिछले 17 महीनों से सैलरी नहीं दी गयी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान वहां फंक्शनल नहीं है, तो क्या इसे कंटिन्यू करेंगे और वहां टीचर्स की जो सैलरी बकाया है, उसे देने की व्यवस्था करेंगे? धन्यवाद।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, वह न्यूनतम मजदूरी के संबंध में है और न्यूनतम मजदूरी के मानदण्डों को तय करने के बारे में है, लेकिन माननीय सदस्य महोदय जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह मूल प्रश्न से बिल्कुल अलग है। अगर आप मुझे अनुमित दें तो मैं स्पष्ट कर सकता हूं।

माननीय अध्यक्ष : अगर आप जानकारी देना चाहें तो दे दें।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल चाइल्ड लेबर स्कीम, वर्ष 1988 से प्रारम्भ हुई थी और जो बच्चे बाल मजदूर के रूप में पाए जाते थे, उनके लिए इस स्कीम का संचालन किया जाता था। हमारे यहां राइट टू एजुकेशन आने के बाद, चूंकि अब हमारे देश में छोटी आयु से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को समग्र रूप से इसमें शामिल किया जाएगा, इसलिए अब जो भी बच्चे शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जो किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

समग्र शिक्षा का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किया जाता है, क्योंकि समग्र शिक्षा का संचालन करने वाला जो शिक्षा मंत्रालय है, उनके पास कार्यक्षमता, हॉस्टल की सुविधा एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं। दो पैरालल स्कीम्स एक साथ चलने के कारण भारत सरकार ने, जो चाइल्ड लेबर के लिए जो सेंटर्स चल रहे थे, इनके सेंटर्स को समग्र शिक्षा के अंतर्गत समाहित कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी फाइनैंस बजट के समय में जो अपना बयान दिया था, उसमें भी सदन में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि स्कीम बंद नहीं की गई है। स्कीम को लेबर डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया गया है। फिर भी, जिन चाइल्ड लेबर सेंटर्स में बच्चों के रिजस्ट्रेशंस हो गए हैं, वे आने वाले समय तक अपने पाठ्यक्रम को पूरा करें, उस पाठ्यक्रम के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा हमारे मंत्रालय को अनुदान दिया गया है। अगर ऐसा कोई विशेष सेंटर, माननीय सदस्य को लगता है कि वहां पर यह नहीं पहुंचा है, क्योंकि दो-चार सेंटर्स ऐसे हैं, जिन्होंने अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स नहीं दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विशेष सेंटर का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का विषय है, तो माननीय सदस्य वह मेरे संज्ञान में लाएं, हम उसका समाधान करेंगे, लेकिन जहां तक स्कीम की बात है, स्कीम को समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मर्ज कर दिया है।...(व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सहित देश भर के विभिन्न सरकारी कार्यलयों में संविदा प्लेसमेंट एजेंसीज और कंसल्टेंसी एजेंसीज द्वारा कार्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है, परंतु इन कार्मिक श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन एजेंसियों द्वारा कम दर पर टेंडर निविदा लिए जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संविदा प्लेसमेंट एजेंसी और कसंल्टेंसी एजेंसी द्वारा कार्मिक श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित पूरा मानदेय देने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैं इस संदर्भ में आपसे मांग करता हूं कि इस

प्रकार के टेंडरों में कम दर वाली शर्तों को समाप्त करके सरकार द्वारा निर्धारित पूर्ण मानदेय की व्यवस्था की जाए।

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न न्यूनतम मजदूरी के संदर्भ में है, लेकिन माननीय सदस्य ने काँट्रैक्ट लेबर के बारे में विषय उठाया है, जिसमें वह राजस्थान सरकार के द्वारा की गई किमयों कों इंगित कर रहे हैं। स्थानीय सरकार, राजस्थान सरकार को काँट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि गरीब श्रमिकों को राजस्थान में न्याय मिल सके।

श्री अरविंद सावंत: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मेरा मूलभूत सवाल है कि आप छ: महीने के बाद वेरिएबल डीए बढ़ाते हैं। महंगाई बढ़ी है। काँट्रैक्चुअल लेबर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं, उनको मिनिमम वेजेस मिल रहा है। लोग 10-10 साल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनको मिनिमम वेजेस वही मिल रहा है। जैसे वीडीए की बात आती है, वैसे ही इंक्रीमेंट की भी बात आनी चाहिए। जिंदगी भर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। बैंक में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी 10-10 हजार रुपए में 10-10 वर्ष नौकरी करते हैं, तो उनके लिए सरकार ऐसा कोई निर्णय ले, जैसे आपने वीडीए दिया, वैसे ही इंक्रीमेंट के बारे में कुछ बात करें, तो उनको थोड़ा तसल्ली मिलेगी, समाधान मिलेगा।

श्री भूपेन्द्र यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूतम मजदूरी का अर्थ है कि जो कुशल कारीगर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन की मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको एक निश्चित आय सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, जो कि उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वीडीए तय किया जाता है, इसे हर पांच वर्ष में रिव्यू किया जाता है। यह इंक्रीमेंट के लिए नहीं है, यह मिनिमम वेजेज के लिए है, जिसको 1 अक्टूबर, 2021 को किया गया। सरकार हर पांच साल में इस विषय को रिव्यू कर रही है। आप जो विषय पूछ रहे हैं, वह मिनिमम वेजेस का नहीं है, वह इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस का है, जो इससे भिन्न है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न संख्या ४४७, श्री विष्णु दत्त शर्मा।

(Q. 447)

श्री विष्णु दत्त शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न खजुराहो बर्ड हेरिटेज से संबंधित है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुजराहो को सेवेंटिंथ आइकॉनिक सिटी में भी शामिल किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना से लेकर प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के विकास का उल्लेख किया है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खजुराहो, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, पर्यटन के विकास के लिए एमआईसीई मीटिंग, इंसेंटिव काँफ्रेंसेज एंड एग्जिबिशंस हॉट स्पॉट के रूप मे विकसित करने की योजना है। इसमें केन्द्र सरकार की तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है?

मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। खजुराहो में पर्यटन का विकास वहाँ की स्थानीय जनता को केन्द्र में रखकर समन्वित रूप से किया जा रहा है। इसके संबंध में, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास में ये प्रतिभागी बन सकें एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, प्रगति और विकास भी सुनिश्चित हो सके, इसके बारे में क्या योजना है?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार को एवं माननीय सदस्य को भी धन्यवाद देता हूँ। हमने अलग-अलग स्कीम्स में से मध्य प्रदेश को खजुराहों के लिए जो प्रोजेक्ट्स दिये, एकाध को छोड़कर उन्होंने 100 परसेंट प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर पूरे किए हैं। कम से कम 'स्वदेश दर्शन' स्कीम में हमने 45 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हुए थे, उनमें 95 परसेंट से अधिक कम्प्लीट हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य एमआईसीई स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं, जो यूनेस्को के तहत डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ माईस टूरिज्म प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके लिए अभी हमारी पॉलिसी बन रही है। उसमें खुजराहो का नाम भी है। पॉलिसी बनने के बाद हम उस पर निश्चित रूप से गौर करेंगे।

श्री विष्णु दत्त शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि खजुराहो संसदीय क्षेत्र में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वॉटर कंज़र्वेशन के बारे में बात की है। मेरे क्षेत्र में चन्देल राजाओं के द्वारा हजारों तालाबों के निर्माण हुए हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पर डेवलपमेंट की बात करने का प्रयास करते हैं और जब हम स्थानीय प्रशासन से बात करते हैं, तो इसमें एएसआई ऑब्सटैकल बनकर खड़ा हो जाता है। वहाँ कोडर नदी है, जिसके डेवलपमेंट के बारे में हम सोचना चाहते हैं, लेकिन एएसआई के कारण वहाँ पर स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए समन्वित प्रयास के रूप में वॉटर कंज़र्वेशन, तालाबों के संरक्षण और संवर्धन, नदियों के विकास के लिए क्या सरकार कोई योजना बनाएगी?

श्री श्रीपाद येसो नाईक : माननीय अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म मिनिस्ट्री की 'प्रसाद' स्कीम के तहत एएसआई के जो प्राचीन साइट्स हैं, वहाँ भी यह स्कीम लागू है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यदि उस प्रोजेक्ट में नहीं डाला गया है, तो कम से कम इस स्कीम में डाल दीजिए। वह प्रोजेक्ट एएसआई ही करती है। हम उन्हीं को फण्डिंग करते हैं। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं, हम उसके लिए मदद करेंगे।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that beyond the scope of Khajuraho, there are several World Heritage Sites in the country, like the caves of Ellora and Ajanta in my State, and Hampi in Karnataka. In the last two years, because of all the challenges the country has faced due to COVID-19, they have really not been well looked after. What better mechanism can we have between the States and ASI? As my colleague has said, we always have challenges in reaching out to ASI. In order to make ASI effective, we should have a swifter and a

smoother relationship. So, how can you help the States to make this mechanism smoother?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने भी एएसआई के बारे में ही प्रश्न पूछा है। छोटे-मोटे प्रॉब्लम्स हैं। हम उनको सॉर्टआउट कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूँ कि यदि कोई खास प्रोजेक्ट है, तो आप हमें बताइए, हम उसे देख लेंगे।

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रश्न खजुराहो से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसे और विस्तृत रूप से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

ओरछा, खजुराहो, पन्ना टाइगर रिज़र्व, चित्रकूट, जहाँ पर भगवान श्री राम साढ़े 11 वर्ष तक रहे, वह स्थान, सतना में व्हाइट टाइगर सफारी, बांधवगढ़ और अमरकंटक आदि इतने बड़े टूरिस्ट सर्किट हैं, क्या भारत सरकार इनको एक नये टूरिस्ट सर्किट के रूप में घोषित करेगी? यह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जो-जो प्रपोजल मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, हमने उनको एप्रूव किया हुआ है। यदि कुछ बचे हुए होंगे, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, आप यह प्रपोजल भी हमें दे दीजिए, हम निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार करेंगे।

04.04.2022

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न संख्या ४४८, श्री टी.आर. बालू।

(Q. 448)

SHRI T. R. BAALU: Sir, I would like to know whether any study has been carried out, on priority basis, in this regard to find out both short-term and long-term solutions to identified issues, and if so; the details thereof.

श्री भूपेन्द्र यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अडैप्टेशन को लेकर भारत सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम एक लंबे समय से प्रारंभ किए गए हैं। अडैप्टेशन को लेकर जो ये कार्यक्रम किए गए हैं, उनमें 27 राज्यों के अंतर्गत 30 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से 847 करोड़ रुपये की राशि के द्वारा ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इसके संबंध में कोई विशेष स्टडी की जा रही है? मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चार कॉम्पोनेंट्स -- strategic research, technology demonstration, capacity building, and sponsored competitive grants -- के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। इस समय देश में कुल मिलाकर 21 संस्थाओं को यह राशि प्रदान की जाती है। पैरम्बूर, तिमल नाडु में सेंट जॉन एजुकेशन ट्रस्ट को भी इसमें capacity building के लिए अनुदान दिया जाता है।

SHRI T. R. BAALU: How much amount has been budgeted in 2021-22; how much has been spent; and how much has been left out?

श्री भूपेन्द्र यादव: नेशनल क्लाइमेट अडैप्टेशन फंड का बजट एक निश्चित अवधि के लिए है। यह प्रतिवर्ष के लिए नहीं है, क्योंकि अडैप्टेशन का प्लान एक वर्ष में पूरा नहीं हो सकता है। यह एक लंबे समय में पूरी की जाने वाली प्रक्रिया है। इसको कृषि के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य टैक्नोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में किया जाता है।

मैंने पूर्व में अपने उत्तर में भी बताया है कि कुल मिलाकर भारत सरकार के द्वारा 27 राज्यों में, 30 से ज्यादा परियोजनाओं में 847 करोड़ रुपये रुपये की राशि के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU: Kindly provide us the details sector-wise.

श्री भूपेन्द्र यादव: अडैप्टेशन को लेकर कई मंत्रालयों के समन्वय वाले कार्यक्रम भी चलते हैं। जैसे कृषि के क्षेत्र में मौसम विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रम चलते हैं। विभिन्न मंत्रालयों के भी अंतर-मंत्रालयी कार्यक्रम चलते हैं। यह प्रोजेक्ट टार्गेट-बेस्ड आधार पर किया जाता है, जिसको वर्गीकृत करना ठीक नहीं है। जहां तक राशि और प्रोजेक्ट्स का विषय है, मैं माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

04.04.2022

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्न नंबर – 449 – श्री सी.एन. अन्नादुरई – उपस्थित नहीं।

(Q. 449)

DR. PON GAUTHAM SIGAMANI: Hon. Speaker, Sir, thank you. As you all know, the national average of GER, that is, the Gross Enrolment Ratio is 25 per cent; whereas because of the successful Dravidian model in Tamil Nadu, the Gross Enrolment Ratio in Tamil Nadu is 52 per cent, that is, twice the national average. Hence, the grants and scholarships should also be increased.

I would like to know from the hon. Minister whether there are any plans to increase the grants and scholarships for the State of Tamil Nadu in appreciation. Thank you, Sir.

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसके संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि दो ऐसी छात्रवृत्ति शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी जाती हैं।

राष्ट्रीय साधन-सह मेरिट छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत वर्ष 2008 में हुई थी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों के आठवीं कक्षा में ड्रॉप-आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना था।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार ड्रॉप-आउट बच्चों की संख्या को कम करने के लिए तथा सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल, 2017 से जो छात्रवृत्ति छ: हजार रुपये मिलती थी, उसे बढ़ाकर हमने 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष किया है। यह छात्रवृत्ति सीधे रूप से, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को देते हैं।

SHRI KODIKUNNIL SURESH: Hon. Speaker, Sir, the eligible Scheduled Caste and Scheduled Tribe students are denied scholarships by the

04.04.2022

Government agencies, except a few States like Kerala where a robust mechanism operates to identity target beneficiaries.

Keeping in mind the dire situation, -- where fraudulent activities and bureaucratic discrimination are affecting the rights of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students -- I would like to ask the hon. Minister whether a fool proof and a robust mechanism will be established by the Government to monitor and to distribute scholarships to Scheduled Caste and Scheduled Tribe students in the country so as to eliminate loopholes with regard to distribution.

Furthermore, I would like to ask whether the Government will consider increasing the allocation of funds for scholarships -- as more Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities are being included in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe lists -- so that all the new entrants can be benefited from the scholarship scheme.

Now, I come to the pendency with regard to the distribution of scholarships. There is a long-pending demand from all the States for the distribution of scholarships by the Government of India.

I would like to ask this specific question to the hon. Minister whether it will also address the pendency of SC/ST student scholarships.

THE MINISTER OF EDUCATION AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Hon. Speaker, the basic question is related to the Ministry of Education. But I am happy that the learned hon. Member extended this

question to the entire scheme of SC/ST. My colleague Mr. Arjun Munda Ji and my senior colleague Mr. Virendra Kumar are here. Today, the Government of India has a very broad basket for students belonging to SC/ST category. It is already a big basket. Yes, it is an aspirational thing but the Government of India, under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, is committed to fulfil that aspiration. There are two other questions which hon. Member has raised.

What are those two questions? One is about the long pendency of scholarships by the Centre. With due respect to my dear friend, this fact is not correct. After assuming the responsibility, hon. Prime Minister Shri Modi took interest. He had several meetings personally.

Now, the point mentioned by my colleague Smt. Annapurna Devi Ji is this. Under the Government of India any kind of scholarship - whether it is the Tribal Ministry, whether it is Welfare Ministry or whether it is Education Ministry – is being given directly through DBT and now, the new mechanism is a matching one. Now, that scholarship will be released only when the State releases the scholarship to the account of the student. I do not want to politicise this issue. But I have information. I can provide him the information how the respective States are keeping the scholarship of the SC/ST and poor students. They are taking money from the Central Government. The States are supposed to give the matching grant. But they are alleging about the pendency of scholarship on the part of Central Government. These are all on record. I can provide the details to any specific Member. Gone are the days

when there used to be delays. He is remembering the old practices and it is not so during the Prime Minister Modi's regime.

This has become very transparent, clear and is done by DBT. The Government of India will give the scholarship when the respective States will deposit the State's share in the student account. Immediately, within few seconds, the Government of India will release the money. This is the new DBT practice which was started by our Government.

श्रीमती हरिसमरत कौर बादल: अध्यक्ष जी, वर्ष 2019 में पंजाब में गरीब, दिलत स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरिशप मिलती थी, उन स्टूडेंट्स की संख्या चार लाख से सिर्फ एक या डेढ़ लाख रह गई है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पैसे उनकी स्कॉलरिशप के लिए रिलीज होते थे, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नज़र आया। सोशल जस्टिस विभाग के सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपये उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशन्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स को देकर घपला किया। इस बारे में मैंने मंत्रालय को लिखा था और जांच भी बैठी थी। जांच के आदेश राज्य सरकार को दिए गए थे, उन्होंने लीपा-पोती करके जिस सैक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे में बताया था, उसे निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दी। यह अलग बात है कि कांग्रेस सरकार को उस मंत्री को हटाना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूं कि वे चार लाख बच्चे, जिन्हें अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, डिग्री नहीं मिली, वे आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उनका सारा प्यूचर खराब हो गया है। क्या केंद्र सरकार, जो पंजाब सरकार की सरकार का जो स्कॉलरिशप घोटाला था, उसमें किसी को जिम्मेदार बनाकर क्या उस मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया है या ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री अपने चहेतों इंस्टीट्यूशन्स को स्कॉलरिशप दे दें और बच्चे वहीं के वहीं रह जाएं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि मैं इस विषय का राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। आदरणीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, वह सही बात है। राज्यों ने केंद्र से पैसा लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से कहीं दिया और कहीं नहीं दिया।

11.59 hrs (Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

इस संबंध में इन्क्वायरी या कार्रवाई राज्य सरकार का विषय है। मैं आदरणीय सदस्या की इस आपत्ति को पंजाब की नई सरकार के सामने भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी के साथ भेज दूंगा।

माननीय सभापति: प्रश्न संख्या 450, श्री प्रदीप कुमार चौधरी।

(Q. 450)

श्री प्रदीप कुमार चौधरी: सभापित जी, जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं का बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ भी मिला है और लोगों का जीवन बचाने में भी ये योजनाएं सहायक सिद्ध हुई हैं।

सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। मैं उनके जवाब से संतुष्ट हूं।

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 451 to 460 Unstarred Question Nos. 5061 to 5290) (Page no. 69 to 723)

माननीय सभापति : ठीक है। प्रश्न काल समाप्त होता है।

^{*} Available in Master copy of Debate, placed in Library.

माननीय सभापित : माननीय सदस्यगण, विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमित प्रदान नहीं की है।

...(<u>व्यवधान</u>)

12.01 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri M. Selvaraj, Dr. T. Sumathy (A)

Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and sat/stood on the floor near the Table.

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 – श्री राव इन्द्रजीत सिंह।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6913/17/22]

(3) A copy of the National Financial Reporting Authority appointment of Part-time Member Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.220(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2022 under Section 132 read with Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 6914/17/22]

(4) A copy of the Notification No. S.O.1199(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th March, 2022, establishing a Tribunal consisting of the persons, mentioned therein, to decide disputes in the matter of election to the Council of the Institute of Chartered Accountants of India held in December, 2021 arising under Section 10A of the Chartered Accountants Act, 1949 under Section 30B of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 6915/17/22]

(5) A copy of the Notification No. G.S.R.212(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 17th March, 2022, making certain amendments in the Notification No. G.S.R.835(E) dated 3rd November, 2015, under Section 40 of the Cost and Works Accountants Act, 1959.

[Placed in Library, See No. LT 6916/17/22]

- (6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under subsection (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-
- (i) S.O.1192(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2022, making certain amendments in the Notification No. S.O.988(E) dated 27th March, 2017.
- (ii) S.O.1193(E) published in Gazette of India dated 16th March, 2022, making certain amendments in the Notification No. S.O.2039 (E) dated 29th June, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6917/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 2632 (अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्ण वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 3099 (अ) जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्रों के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 3881 (अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में नामेरी राष्ट्रीय पार्क और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (चार) का.आ. 3517 (अ) जो 23 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में बरेला झील पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (पांच) का.आ. 71 (अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (छह) का.आ. 2030 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (सात) का.आ. 2200 (अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2735 (अ) जो 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

- (नौ) का.आ. 3026 (अ) जो 13 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र से संबंधित संशोधन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 2765 (अ) जो 9 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में वाल्मिकी एनपी और बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 2201 (अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बर्नवापारा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 2273 (अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 3653 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 3654 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में अचानकमर बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 69 (अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में शहर पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 185 (अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में सुखना वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1257 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

- (अठारह) का.आ. 1258 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वन्सदा राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 1259 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (बीस) का.आ. 1260 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में गिरनार वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 2561 (अ) जो 22 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में मरीन राष्ट्रीय पार्क और मरीन वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (बाईस) का.आ. 421 (अ) जो 9 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में थोल झील पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (तेइस) का.आ. 1653 (अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
 - (चौबीस) का.आ. 1365 (अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में बारदा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 1829 (अ) जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में पोरबंदर पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6918/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6919/17/22]

- (3) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6920/17/22]

(5) 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सन्नों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या ३३ नौवां सत्र, २०11

[Placed in Library, See No. LT 6921/17/22]

सोलहवीं लोक सभा

2.	विवरण संख्या 29	तीसरा सत्र, 2014

3. विवरण संख्या 28 चौथा सत्र, 2015

4. विवरण संख्या 23 नौवां सत्र, 2016

5. विवरण संख्या 18 दसवां सत्र, 2016

6. विवरण संख्या २१ ग्यारहवां सत्र, २०१७

7. विवरण संख्या २० बारहवां सत्र, २०१७

8. विवरण संख्या 16 चौदहवां सत्र, 2018

9. विवरण संख्या 13 सत्रहवां सत्र, 2019

[Placed in Library, See No. LT 6922/17/22]

सत्रहवीं लोक सभा

10.	विवरण संख्या 13	पहला सत्र, 2019
10.		10011 11111 2010

11. विवरण संख्या 10 दूसरा सत्र, 2019

12. विवरण संख्या 9 तीसरा सत्र, 2020

13. विवरण संख्या 9 चौथा सत्र, 2020

14. विवरण संख्या 8 पांचवां सत्र, 2021

15. विवरण संख्या ७ छठा सत्र, २०२१

16. विवरण संख्या 1 आठवां सत्र, 2022

[Placed in Library, See No. LT 6923/17/22]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2022/75 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/65 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6924/17/22]

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 तथा संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214 (अ) जो 21 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-संघ-राज्यक्षेत्र कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6925/17/22]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत पोत परिवहन विधेयक (उपकरण आधारित योजना के संबंध में निर्यात पश्चात् संपरिवर्तन) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6926/17/22]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर) विनियम, 2022 जो दिनांक 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 6927/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Reports (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the years 2018-2019 to 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Entrepreneurship, Guwahati, for the years 2018-2019 to 2020-2021.
- (2) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6928/17/22]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

(1) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6929/17/22]

- (3)(एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6930/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री रामेश्वर तेली जी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

> (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6931/17/22]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6931A/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6932/17/22]

- (3) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6933/17/22]

(5) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6934/17/22]

- (7) (एक) समग्र शिक्षा गोवा, आल्टो-बेटिन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) समग्र शिक्षा गोवा, आल्टो-बेटिन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6935/17/22]

- (9) (एक) समग्र शिक्षा तिमलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) समग्र शिक्षा तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6936/17/22]

- (11) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6937/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. R.K. RANJAN SINGH): Sir, I, on behalf of Dr. Subhash Sarkar, beg to lay on the Table: -

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Ahmedabad, Ahmedabad, for the year 2020-2021.

2. Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6938/17/22]

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Kashipur, Kashipur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Kashipur, Kashipur, for the year 2020-21.
 - (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6939/17/22]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, New Delhi, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6940/17/22]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Sanskrit University, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Sanskrit University, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6941/17/22]

- (9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Lucknow, Lucknow, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Lucknow, Lucknow, for the year 2020-2021.
- (10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 6942/17/22]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Ranchi, Ranchi, for the year 2019- 2020, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Ranchi, Ranchi, for the year 2019-2020.
- (12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 6943/17/22]

- (13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Bangalore, Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Bangalore, Bengaluru, for the year 2020-2021.
- (14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 6944/17/22]

- (15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Assam University, Silchar, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Assam University, Silchar, for the year 2020- 2021.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 6945/17/22]

- (17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Indore, Indore, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Indore, Indore, for the year 2019-2020.
- (18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 6946/17/22]

- (19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Bhopal, for the year 2020-2021.
- (20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 6947/17/22]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, for the year 2020-2021.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Kolkata, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and 13 Research, Kolkata, for the year 2020-2021.
- (22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 6948/17/22]

- (23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad, for the year 2020-2021.
- (24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 6949/17/22]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Goa, Goa, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jammu, Jammu, for the year 2020-2021.
- (26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 6950/17/22]

- (27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Tirupati, Tirupati, for the year 2020-2021.
- (28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 6951/17/22]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (30) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 6952/17/22]

- (31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2019-2020.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pondicherry University, Puducherry, for the year 2019-2020.
- (32) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 6953/17/22]

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi University, Rono Hills, for the year 15 2019-2020.
- (34) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 6954/17/22]

- (35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, for the year 2020-2021.
- (36) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 6955/17/22]

(37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tezpur University, Tezpur, for the year 2020-2021.
- (38) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 6956/17/22]

- (39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi, for the year 2020-2021.
- (40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 6957/17/22]

- (41) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the North-Eastern Hill University, Shillong, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (42) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

[Placed in Library, See No. LT 6958/17/22]

(43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2020-2021.

- (ii) A copy of the Annual Accounts of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, for the year 2020-2021.
- (44) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

[Placed in Library, See No. LT 6959/17/22]

- (45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2020- 2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Mizoram, Aizawl, for the year 2020-2021.
- (46) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (45) above.

[Placed in Library, See No. LT 6960/17/22]

(47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2020-2021.

- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (iv) Statement regarding Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi, for the year 2020-2021.
- (48) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

[Placed in Library, See No. LT 6961/17/22]

- (49) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal, for the year 2020-2021.

(50) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (49) above.

[Placed in Library, See No. LT 6962/17/22]

- (51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Manipur, Manipur, for the year 2020- 2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Manipur, Manipur, for the year 2020-2021.
- (52) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying 18 the papers mentioned at (51) above.

[Placed in Library, See No. LT 6963/17/22]

- (53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2020-2021.
- (ii) A copy of the Annual Accounts of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central University of Kashmir, Srinagar, for the year 2020-2021.

(54) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (53) above.

[Placed in Library, See No. LT 6964/17/22]

- (55) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the English and Foreign Languages University, Hyderabad, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
- (56) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (55) above.

[Placed in Library, See No. LT 6965/17/22]

- (57) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Bodhgaya, Bodhgaya, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Bodhgaya, Bodhgaya, for the year 2020-2021.
- (58) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (57) above.

[Placed in Library, See No. LT 6966/17/22]

- (59) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 37 of the Indian Institutes of Management Act, 2017:-
- (i) The Indian Institute of Management Kashipur Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V in Gazette of India dated 31st January, 2022.

(ii) The Indian Institute of Management Nagpur Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V in Gazette of India dated 21st February, 2022.

- (iii) The Indian Institute of Management Sambalpur Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V (pt.1)(iii) in Gazette of India dated 10th February, 2022.
- (iv) The Indian Institute of Management Ranchi Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. IIMR/DIR/Regulation/2021- 22/1168 in Gazette of India dated 10th January, 2022.
- (v) The Indian Institute of Management Indore Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V in Gazette of India dated 6th December, 2021.
- (vi) The Indian Institute of Management Sirmaur Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V (ii) in Gazette of India dated 14th December, 2021.
- (vii) The Indian Institute of Management Shillong Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. 8-9/2021-TS.V in Gazette of India dated 10th February, 2022.
- (60) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (v) & (vi) of (59) above.

[Placed in Library, See No. LT 6967/17/22]

(61) A copy of the Central University of Punjab Cadre Recruitment Rules for the Non-Teaching and Other Academic Posts 2021 (Hindi and English

versions) published in Notification No. F. No. CUPB/Ord-CRR./630 in Gazette of India dated 24th February, 2022 under sub-section (2) of Section 43 of the Central Universities Act, 2009.

[Placed in Library, See No. LT 6968/17/22]

(62) A copy of the Notification No. 55-1/02/MGAHV/New Delhi dated February 6, 2002 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 24th February, 2022, relating to amendment/addition of Statutes 12, 39, 14, 16(1), 2(4), 2(5) and 7 of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya under Section 44 of the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya Act, 1996.

[Placed in Library, See No. LT 6969/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-

- (1) The Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. AX1/ST/OSR/1325/2021-22 in Gazette of India dated 14th December, 2021.
- (2) The Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. CO:HRD:IRP:2021-22:236 in Gazette of India dated 28th January, 2022.

(3) The Indian Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. F. No. IB/G-9/2021-22(E) in Gazette of India dated 16th March, 2022.

- (4) The Indian Overseas Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. HRMD/SUP/177/01/2021-22(E) in Gazette of India dated 16th February, 2022.
- (5) The Punjab and Sind Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. F. No. PSB/STAFF/OSR/2021 in Gazette of India dated 24th December, 2021. UTPAL KUMAR SINGH Secretary General New Delhi; April 01, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 6970/17/22]

12.03 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha.

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on Monday, the 28th March, 2022 adopted the following Motion in regard to the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs): -

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) for the term of one year beginning from the date of the first sitting of the Committee, and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferrable vote, ten Members from amongst the Members of the House to serve on the said Committee."

2. I am further to inform the Lok Sabha that in pursuance of the above Motion, the following nine Members of the Rajya Sabha have been duly elected to the said Committee:

Shri Dineshchandra Jemalbhai Anavadiya

- 1. Shrimati Geeta alias Chandraprabha
- 2. Shri Rajendra Gehlot
- 3. Shri Narayana Koragappa
- 4. Shri Jungalsinh Lokhandwala
- 5. Shri Vishambhar Prasad Nishad

- 6. Shri Subhas Chandra Bose Pilli
- 7. Shri Sakaldeep Rajbhar
- 8. Shri Haranath Singh Yadav
- 3. I am also directed to inform that in order to fill up the remaining one vacancy in the Committee, the election process is being initiated during the current session of Rajya Sabha itself.'

12.03 ½ hrs

COMMITTEE ON ESTIMATES

(i) 13th and 14th Reports

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of Committee on Estimates (2021-22):-

- Thirteenth Report of Committee on Estimates (2021-22) on the subject 'Review of National Disaster Response Force' pertaining to the Ministry of Home Affairs.
- 2. Fourteenth Report of Committee on Estimates (2021-22) on the subject 'Review of Funds Allocation and Utilisation under MPLAD Fund Scheme' pertaining to the Ministry of Statistics and Programme Implementation.

(ii) Statement

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Sir, I beg to lay the Statement (Hindi and English versions) showing further Action Taken by the Government on the 4th Report (17th Lok Sabha) on Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twentyninth Report (16th Lok Sabha) of the Committee on subject 'Preparedness of Armed Forces – Defence Production and Procurement' pertaining to the Ministry of Defence.

12.04 ½ hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

12^{th,} to 14th Reports

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2021-22):-

- 1. Twelfth Report on Action taken by the Government on the recommendations contained in the fourth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject 'Ways and means to ensure reservation for SCs and STs in the light of Privatisation, outsourcing of work and contractual employment in Government services, PSUs and Autonomous Bodies in special reference to Prasar Bharati'.
- Thirteenth Report on `Reservation of Scheduled Castes and Scheduled
 Tribes in Central Public Sector Undertaking with special reference to

 Power Grid Corporation of India Limited.'
- 3. Fourteenth Report on `Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Life Insurance Corporation of India (LIC)'.

12.05 hrs

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

78th to 81st Reports

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का 78वां, 79वां, 80वां और 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i)(a) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 262nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on 'Development of Buddhist Circuit in India' pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं-

पर्यटन मंत्रालय में संबंधित 'भारत में बौद्ध सर्किट का विकास' के बारे में विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्यवन की स्थिति।

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6911/17/22

(b) Status of implementation of recommendations/observations contained in the 273rd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 262nd Report of the committee on 'Development of Buddhist Circuit in India' pertaining to the Ministry of Tourism *

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): महोदय, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं-

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में बौद्ध सर्किट का विकास' के बारे में विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 273वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्यवन की स्थिति।

-

^{*} Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6912/17/22

12.06 hrs

ELECTIONS TO COMMITTEES

(i) National Tiger Conservation Authority

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE,
AND MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER
YADAV): Sir, I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (C) of sub-section (2) of section 38L of the Wild Life (Protection) Act, 1972, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Tiger Conservation Authority, subject to the other provisions of the said Act."

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) Marine Products Export Development Authority

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to move the following:

"That in pursuance of clause (c) of sub-Section (3) of Section (4) of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 read with rule 4(1) of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Marine Products Export Development Authority subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

... (Interruptions)

माननीय सभापति : प्रश्र यह है :

"कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पिठत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : श्री सत्यदेव पचौरी जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री का ध्यान सौर चरखा से निर्मित कपड़े को खादी की मान्यता देने के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

महोदय, वर्तमान समय में हमारे देश में खादी का उत्पादन चरखे के माध्यम से दो प्रकार से होता है।... (व्यवधान) एक परम्परागत चरखे द्वारा, जो हमारी महिलाएं घर में चलाती हैं, 8 घंटे में उससे मात्र 400 ग्राम खादी का उत्पादन होता है।... (व्यवधान) दूसरा, सौर चरखा है, जो सौर एनर्जी से चलता है।... (व्यवधान) जिसमें खादी का उत्पादन 8 घंटे में 1600 ग्राम होता है।... (व्यवधान) भारत सरकार द्वारा हाथ के बने हुए वस्त्रों को खादी की मान्यता प्राप्त है, लेकिन सोलर चरखे से बनी हुई खादी को खादी की मान्यता प्राप्त नहीं है।... (व्यवधान) इसलिए उसको अनुदान की श्रेणी में नहीं रखा गया है।... (व्यवधान)

महोदय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में 'मिशन सोलर चरखा' के माध्यम से एक पायलट परियोजना नवादा जनपद, बिहार में प्रारम्भ की थी।... (व्यवधान) जिसमें 550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था।... (व्यवधान)

50 सौर समूहों द्वारा सोलर चरखे से खादी का उत्पादन किया गया था।... (व्यवधान) माननीय सभापति: आप अपना अनुरोध रखिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री सत्यदेव पचौरी: महादेय, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिला था, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि सरकार उस पर अनुदान नहीं देती है।... (व्यवधान) महोदय, मेरी भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री जी से मांग है कि यदि सौर चरखे से निर्मित खादी के वस्त्रों को खादी की मान्यता देंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। एक नए भारत के निर्माण में... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मद्दीला गुरूमूर्ति ।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : श्रीमती नवनित रवि राणा।

... (व्यवधान)

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): सभापति महादेय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज मैं आपसे यह विनती करना चाहूंगी कि जितने भी डम्ब, डीफ, ब्लाइंड, मेन्टेली रिटायर्ड, पैरालाइज्ड, हैंडीकैप्स, विडोज़ और सीनियर सिटीजन्स हैं, इन्हें महीने का एक हजार रुपये मिलता है।... (व्यवधान) पहले तो मैं पंत प्रधान जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे महाराष्ट्र में 600 रुपये से 1000 रुपये करने के लिए पंत प्रधान जी ने डिसिजन लिया है।... (व्यवधान) आज महाराष्ट्र में एक हजार रुपये सभी लोगों को मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में यह एक हजार रुपये टाइम पर नहीं मिलते हैं।... (व्यवधान) इन जरूरतमंद लोगों के हाथों में यह एक हजार रुपये दो महीने, तीन महीने लेट आते हैं। मैं आपसे विनती करूंगी कि हैंडीकैप्स, विडोज़, सीनियर सिटीजन्स और अनाथ बच्चों को महीने के मिनिमम तीन हजार रुपये मिलने चिहए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी योजना नहीं है।... (व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से विनती करूंगी कि ऐसे सभी व्यक्तियों को सरकार के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस भी देना चाहिए, ताकि उनका पालन-पोषण भी हो जाए।... (व्यवधान) आपने देखा होगा कि ब्लाइंड लोगों को अपना पालन-पोषण व गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है।... (व्यवधान) मैं केन्द्र सरकार से गुहार करती हूं कि इन्हें महीने का तीन हजार रुपये दिया जाए और उन्हें लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाए।... (व्यवधान) मैं इतनी विनती करती हूं। धैंक यू।

माननीय सभापति : श्री कुलदीप राय शर्मा।

... (<u>व्यवधान</u>)

04.04.2022 765

 st SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you Chairman Sir, for giving me the opportunity to raise an important issue. Sir I would like to request the government to establish a 'Khelo India Centre' at my constituency Jajpur. Sir, as we all know, Odisha is the Sporting Capital of India. Under the able leadership of our Chief Minister Shri Naveen Patnaik, our State government has been encouraging and promoting sporting activities a lot. It is due to our patronage, that the Hockey team both Men & Women brought laurels to the country in the Tokyo Olympics. Jajpur has a population of more than 18 lakhs and young people are of a sizeable number. There are many talented children who need nurturing. If the Khelo India Centre is established in Jajpur, young talent can be tapped from the grassroots level. They can bring laurels for the nation in National & International Sporting events. In the entire nation the Department of Sports is establishing Khelo India Centre to build the infrastructure of sports. Sir, through you I am requesting the government to establish one Khelo India Centre at Jajpur. Thank you.

माननीय सभापति : कुंवर दानिश अली।

... (व्यवधान)

कंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाने का मौका दिया है।... (व्यवधान) सर, अगर पहले हाउस ऑर्डर में करवा दें, ये महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इनको जरा कहिए कि हाउस ऑर्डर में कर लें। ये महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।... (व्यवधान)

^{*}English translation of the speech originally delivered in Odia.

सभापित महोदय, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले दिनों पेपर लीक हुआ। जो बोर्ड की परीक्षाएँ हैं, उसका 12वीं का इंग्लिश का पेपर लिखा हुआ।... (व्यवधान) पिछले पाँच सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 18 पेपर्स लीक हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।... (व्यवधान) मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि इसकी एक स्पेशल जाँच कराई जाए। पेपर लीक के जो माफिया हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और जो व्हिसल ब्लोअर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है।... (व्यवधान) उत्तर प्रदेश के अंदर बलिया में जो परीक्षा लीक हुई, वहां पर एक मीडिया वाले, दो जर्नलिस्ट्स के ऊपर कार्रवाई की गई है। ... (व्यवधान)

उनको जेल भेजा गया है, जबिक जो असली नकल माफिया है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, विसल ब्लोअर्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ... (व्यवधान) पत्रकारों का उत्पीड़न इस देश में लगातार हो रहा है। ... (व्यवधान) कल दिल्ली के अंदर भी हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुआ। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ... (व्यवधान)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، آپ نے مجھے ایک بہت اہم مُدعہ اُٹھانے کا موقع دیا (مداخلت) جناب، اگر پہلے ہاؤس آرڈرمیں کروا دیں، یہ مہنگائی پر چرچہ کی مانگ کر رہے ہیں۔ انکو ذرا کہئیے کہ ہاؤس آرڈر میں کر لیں۔ یہ مہنگائی پر چرچہ کی بات کر رہے ہیں (مداخلت)

چیرمین صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش کے اندرپچھلے دنوں پیپر لیک ہوگا۔ جو بورڈ کے امتحانات ہیں، اس کا بارہویں کا پیپر لیک ہوا (مداخلت) پچھلے پانچ سالوں میں اتر پردیش کے اندر 18 پیپرس لیک ہوئے، لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے (مداخلت)۔ میری آپ کے ذریعہ سے یہ مانگ ہے کہ اسکی ایک اسپیشل طریقے سے جانچ کروائی جائے۔ پیپر لیک کے جو مافیا ہیں، ان کو سیاسی تحفظ حاصل ہے، اور جو وہسل بلوورس ہیں،

ان کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے، (مداخلت) اتر پردیش کے اندر بلیا میں جو پیپر لیک ہوا، وہاں پر ایک میڈیا والے، دو جرنلسٹ کے اوپر کاروائی کی گئی ہے۔ ان کو جیل بھیجا گیا ہے، جبکہ جو اصلی نقل مافیہ ہیں، ان کے اوپر کاروائی نہیں ہو رہی ہے۔ کاروائی نہیں ہو رہی ہے، وسل بلوورس کے اوپر کاروائی ہو رہی ہے۔ (مداخلت)۔ صحافیوں کا استحصال اس ملک میں لگاتار ہو رہا ہے (مداخلت)۔ کل دہلی کے اندر بھی ہوا اور اتر پردیش کے اندر بھی ہوا (مداخلت) میں آپ کے ذریعہ سے چاہتا ہوں کہ سرکار کو اس کی جانچ کرانی چاہئیے (مداخلت)۔

माननीय सभापति: आपका नंबर नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार सिंह – उपस्थित नहीं।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस - ... (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): सभपित महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवादा ... (व्यवधान) महोदय, वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में विरष्ठ नागरिकों की संख्या 11 करोड़ है और वर्ष 2026 तक बढ़ कर 17 करोड़ होने का अनुमान है। ... (व्यवधान) विरष्ठ नागरिकों को वर्ष 2020 तक कन्सेशन दिया जाता था, जिसमें महिलाओं को 50 प्रतिशत और पुरुष यात्रियों को 40 प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाता था। ... (व्यवधान) भारतीय रेल द्वारा कोरोना महामारी के पहले 53 कैटेगरीज़ को कन्सेशन दिया जाता था, जिसमें सीनियर सिटीज़ंस, स्टूडेंट्स, स्पोर्टपर्संस और मेडिकल प्रोफेशनल्स शामिल थे। वर्तमान में इन 53 में से सिर्फ 15 कैटेगरीज़ को कनसेशन मिल रहा है। ... (व्यवधान) एक आरटीआई के जवाब में यह बताया गया है कि 4 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों ने भारतीय रेल को फुल फेयर दिया है। ... (व्यवधान) इन वरिष्ठ नागरिकों में बहुत बड़ा वर्ग रिटायर्ड है और कोरोना महामारी के कारण बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है। ... (व्यवधान)

मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे को संवेदना के दृष्टिकोण से देखते हुए सीनियर सिटीज़ंस को दिए जाने वाले कन्सेशन को तत्काल प्रभाव से दोबारा शुरू किया जाए, जिससे इस वर्ग को लाभ मिल सके। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल

... (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): सर, मैंने अपनी मातृभाषा में अपना विषय रखने के लिए अनुमित ली है।

There are 1.5 crore Indian Citizens of Gorkha community whose mother tongue is Nepali. The Eight Schedule of the Indian Constitution recognises Nepali as one of the prominent linguistic group in the country. However, no concrete steps have been taken up so far for the preservation and publicity of Nepali language. All the Eight Schedule languages have their own respective broadcasting facility in their languages through a dedicated Doordarshan Channel. But Gorkha language is so far neglected in this regard. In the absence of a national platform, the upliftment and spread of Gorkha/ Nepali language is being obstructed. As a result, other languages are prospering, but we are finding it difficult to preserve Gorkha society, language and culture. The required infrastructure, artistes and audience for Nepali programmes are already available in Darjeeling, Kurseong and Kalimpong region. Therefore, I request the Government to expedite the establishment of DD Gorkha Channel.

^{*... *} English translation of this part of the speech originally delivered in Nepali.

सर, मैं एक विषय हिंदी में भी रखना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में पेट्रोल दस रुपये अधिक मंहगा है। ... (व्यवधान) जितने भी एनडीए या बीजेपी की सरकार वाले राज्य हैं, उनके मुकाबले दस रुपये अधिक मंहगा है। ... (व्यवधान) मुझे हैरानी होती है कि टीएमसी के सांसद यहां वेल में खड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) सर, मैं चाहता हूँ कि इससे बड़ा और जटिल विषय पश्चिम बंगाल के लिए यह है कि पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वॉयलेंस आज भी लागू है। ... (व्यवधान) हमारे डेढ़ करोड़ से ज्यादा कार्यकर्त्ता मारे जा चुके हैं। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर पहले चर्चा हो।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे – उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह – उपस्थित नहीं।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलढाणा में एक जलंब जंक्शन नाम का रेलवे स्टेशन है।... (व्यवधान) कोविड महामारी के पहले वहां बहुत सारी रेलगाड़ियों के स्टॉपेजेज थे, लेकिन कोरोना के चलते वहां पर उनकी स्टॉपेजेज बंद कर दी गईं।... (व्यवधान) अब महाराष्ट्र में कोरोना बिल्कुल भी नहीं है। वहां से जिन लोगों को आना-जाना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं।... (व्यवधान)

महोदय, मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से विनती है कि जलंब जंक्शन पर पहले जिन रेलगाड़ियों के स्टॉपेजेज थे, उन्हें वहां पर स्टॉपेज दी जाए और सभी रेलगाड़ियों के वहां रुकने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं।... (व्यवधान)

श्रीमती हरिसमरत कौर बादल (भिटंडा): सर, मैं इस सरकार का ध्यान उन बंदी सिखों की तरफ दिलाना चाहती हूं जो पिछले 25-30 सालों से, अपनी सजा पूरी करने के बावजूद, अभी तक जेलों में कैद हैं।... (व्यवधान) वर्ष 1984 में जब काँग्रेस की सरकार ने हमारे धार्मिक स्थान श्री हरमन्दिर साहिब में टैंकों और तोपों के साथ हमला किया था तो उस समय हमारे कुछ सिख भाइयों ने अपनी

भावनाओं में बह कर ऐसे कदम उठा लिए थे, जिसके कारण उन्हें सजा हुई थी।... (व्यवधान) उनकी सजा पूरी होने के बाद दोगुनी सजा हो गई है, लेकिन अब भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है।... (व्यवधान) गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिन पर वर्ष 2019 में इस सरकार ने ऐसे आठ सिखों की रिहाई के लिए स्पेशल रिमीशन के लिए कहा था और एक की फाँसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के लिए कहा था।... (व्यवधान) वर्ष 2019 निकल गया, वर्ष 2020 निकल गया, वर्ष 2021 निकल गया और अब वर्ष 2022 का गुरु पर्व आने वाला है।... (व्यवधान) में पूछना चाहती हूं कि प्रोफेसर भुल्लर जैसे लोग, जो अपनी सही मानसिक या फिजीकल हालत में नहीं हैं कि वे अपनी देखभाल कर सकें, लेकिन अब भी उन्हें जेल में 27 सालों से बंद किया गया है जबकि उनकी सजा पूरी हो गई है।... (व्यवधान)

केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में वादे करती है, लेकिन यहां उन्हें कैद में रखती है, उन्हें फ्री नहीं करती है।... (व्यवधान) उनके मंत्री इसे रोक कर रखते हैं।... (व्यवधान)

सर, बलवंत सिंह राजोआना 27 सालों से जेल में बंद हैं। पहली बार उन्हें फरवरी में अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाने के लिए एक घंटे की पैरोल मिली।... (व्यवधान) इस सरकार ने वर्ष 2019 में उनकी फाँसी की सजा को हटाकर उम्र कैद की थी।... (व्यवधान) अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार जवाब दे।... (व्यवधान) मैं पूछना चाहती हूं कि इनकी उम्र कैद की सजा पूरी करके इन्हें रिहा कब किया जाएगा?... (व्यवधान)

खैरा साहब 30 सालों से जेल में बंद हैं।... (व्यवधान) कांग्रेस सरकार भावनाएं क्या जानेगी, इनकी माँ तो इन्दिरा गाँधी हैं।... (व्यवधान) इनकी भावनाएँ तो अकाल तख्त पर हमले के साथ इन्दिरा गाँधी के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन सिख कौम की भावनाएं उन बंदी सिखों के साथ जुड़ी हुई हैं, जो 30-30 सालों से काल कोठरी में बंद हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: अपनी डिमांड रखिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्रीमती हरिसमरत कौर बादल: सर, इन्दिरा गाँधी की हत्या होती है, राजीव गाँधी की हत्या होती है, वे सब रिहा हो जाते हैं, फिर भाई राजोआना और भुल्लर साहब क्यों रिहा नहीं हो सकते?... (व्यवधान)

सरकार यह जवाब दे कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा करेगी या नहीं और हमारे बंदी सिख भाई, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या उन पर फंडामेंटल राइट्स एप्लाई नहीं करते हैं?... (व्यवधान) आर्टिकल-21 उन्हें 'राइट-टू-लाइफ' देती है।... (व्यवधान)

*SHRI OM PAVAN RAJENIMBALKAR (OSMANABAD): Hon'ble Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important issue pertaining to NDRF. Sir, through you I would like to draw the attention of the Central Government towards it and also highlighting the necessity to amend the criteria fixed by NDRF. Chairman Sir, we have been witnessing torrential rains in Maharashtra for the last two years. Due to this heavy downpour, rivers and nalas get flooded. Farmers are incurring losses in terms of farms and cattle. If any land holder loses cattle, he is eligible for benefits. But there are many farm labourers who rear cattle and they are not eligible for relief and assistance as per the conditions fixed by NDRF. Any marginalised farmer is eligible for relief for land erosion, but the other farmers are not considered for this kind of benefit if erosion takes place in their farms. Hence, there is an urgent need to suitably amend the criteria fixed by NDRF in this regard.

^{*}English translation of the speech originally delivered in Marathi.

Everybody who has faced national or natural calamity should get the relief and assistance.

So, it is my earnest request to the Central government to amend the criteria fixed for NDRF assistance immediately so that everybody who has survived natural calamity should get the required assistance from NDRF.

Lastly I boycott the proceeding of the House protesting against inflation.

12.24 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Shri Dayanidhi Maran, Shrimati Supriya Sadanand Sule, Shri Vinayak Bhaurao Raut and some other hon.

Members left the House.

*DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Hon'ble Chairperson Sir, thank you. I want to draw the attention of the government through you to the serious problems of Tur dal growers in the Kalaburgi district of Karnataka state.

Sir, Farmers did not receive any compensation from the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna for the damage of their Tur Dal crop due to fungal infection. Tur dal growers of Chincholi, Kalgi, and Yedrami taluks of Gulbarga district have suffered huge losses due to heavy rainfall and floods that damaged the standing crop.

^{*}English translation of the speech originally delivered in Kannada.

The state government has received the joint survey report conducted by the officials of both the revenue and agriculture departments and deposited the compensation to the bank account numbers of the farmers under SDRF.

Moreover, our Hon'ble Chief Minister Shri Basavaraj Bommai ji has taken special measures to protect the interest of the affected farmers and ensured that additional compensation was deposited to their accounts. Farmers are happy with this initiative. There seventy thousand farmers enrolled under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna by paying the premium as per the norms of the scheme. Among them, 30 thousand farmers were suffered due to crop damage, out them more than eleven thousand affected farmers are in Chincholi and Kalgi taluk itself. Nearly 8 thousand farmers have reported to the General Insurance company about their crop damage, however the farmers of Tegateppi, Ramangod and Godanahalli villages complained as the officials of Insurance company did not visit their field for inspection of the crop loss. But the officials visited other villages to conduct inspection.

Since the officials did not make the report of some villages all the affected farmers were deprived off the compensation.

As per the norms Rs. 16 thousand per hectare is to be paid as compensation to the farmers. However, farmers received compensation from Rs. 250 to Rs. 3000. There is no justice done to farmers in calculating the compensation. Hence there is a need for an investigation in this issue.

Sir, while disbursing compensation the joint survey report was not taken into consideration. Therefore farmers are demanding for justice to get their due

compensation under the PMFBY scheme as per the guidelines. In previous year 2020-21 farmers had suffered crop losses due to scanty rainfall and they received compensation of around Rs.12 thousand to Rs.13 thousand per hectare. However in the year 2021-22 farmers have undergone huge losses due to heavy rainfall and they did not receive adequate compensation for the same. So the injustice is done to our farmers in disbursing compensation.

Therefore I would like to urge the government to get the report of the loss of the tur dal crop from the concerned authority and ensure justice for my farmers without further delay. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sir, through you, I would like to raise an important issue which relates to the Ministry of Railways. It is regarding the Ernakulum Junction Railway Station which is one of the most important railways stations in the State of Kerala.

The redevelopment of 26 stations was announced by the Ministry of Railways a few years back in which Ernakulum Junction Railway Station was also included. The estimates of about Rs. 450 crore is pending with the Railway Board and the Zonal Railways. They have still not called for the tenders. I would like to urge the Central Government to take up the redevelopment of this station at a very fast pace as it has been pending for a long time. We want this station to be developed as one of the most modern stations in the State.

Sir, there has been a demand for the extension of Trivandrum Madurai Amrita Express to Rameswaram since long. Also, there is a long pending demand for the introduction of a new train between Ernakulum and Vellankanni via Kollam. Both these demands are yet to be addressed. The Zonal Railways says that they are waiting for the final orders from the Board. So, I would urge the Government to look into this matter.

Sir, the Ernakulum Marshalling Yard project has been handed over to the construction department. Even now, the Railways is not taking keen interest as regards the DPR. This may be provided to the KRDCL and necessary instructions may be given to the Zonal Railways for the Detailed Project Report preparation. This is going to be one of the biggest railway stations in the State. This needs to be done so that new trains can be operated. Also, there is no need for land acquisition. It is because about 100 acres of land worth Rs. 5,000 crore is with the Indian Railways. So, I urge the Government to take up these matters with immediate intervention.

Thank you.

श्री कुलदीप राय शर्मा (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंडमान निकोबार एडिमिनिस्ट्रेशन ने 14 दिसम्बर, 2021 में एक आर्डर इश्यू किया था। इस आर्डर के तहत यह कहा गया था कि जो भी अंडमान निकोबार के आफिशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी सभी वैकेंट पोस्ट्स को भरा जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपने विषय बदल दिया है।

श्री कुलदीप राय शर्मा: सर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरी आपके द्वारा सरकार से विनती है कि अंडमान निकोबार एडिमिनिस्ट्रेशन को यह डायरेक्शन दी जाए कि वहां जो भी पोस्ट्स वैकेंट हैं, वहां करीब दस हजार पोस्ट्स वैकेंट हैं, ये दस हजार पोस्ट्स वहां के बच्चों को दी जाएं। माननीय सभापति: आपने पॉम ऑयल के बारे में अनुरोध किया है। आप वही विषय रखिए। श्री कुलदीप राय शर्मा: सर, वह भी इसमें है। दस हजार बच्चों को उसमें नौकरी मिलेगी। ऑनलाइन द्वारा इसमें भर्ती नहीं की जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार के अंदर अनइंप्लायमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। वहां लाखों की तादाद में बच्चे बेरोजगार हैं। उनको नौकरी मिलेगी, तो वह उनके जीवन जीने का एक जिया होगा।

दूसरा, भारत सरकार ने 11 हजार करोड़ रुपये एडिबल ऑयल और पॉम ऑयल के लिए बजट में प्रोविजन रखा है, जिसमें 6 लाख हेक्टेअर से ज्यादा जमीन पर पॉम ऑयल प्लांटेशन किया जाए। अंडमान निकोबार में लिटिल अंडमान एक आइलैंड है। इसके अंदर वर्ष 1978 में यह सरकार के द्वारा स्टार्ट हुआ था, लेकिन नवंबर, 2017 में इसे बंद कर दिया गया।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वैस्ट है कि प्लांटेशन को दोबारा खोला जाए। अगर यह स्कीम के अंदर आ जाएगा तो लिटिल अंडमान के हजारों की तादाद में बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। जैसे हटबे है, आरकेपुर है, वीकेपुर है, रिवन्द्र नगर है, नेताजी नगर है, वहां अनइंप्लायमेंट इश्यू बहुत ज्यादा है। वहां के लोगों को नौकरियां मिलेंगी।

मेरा लास्ट पॉइंट है। वहां लांग आइलैंड नामक एक छोटा सा आइलैंड है। वर्ष 1956 में वहां बोट बिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ था, छोटी-छोटी बोट बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन वह काम अब बंद हो गया है। मेरी आपके द्वारा सरकार से डिमांड है कि दोबारा लांग आइलैंड के अंदर बोट बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाए, जिससे वहां दो-चार सौ बच्चों को नौकरियां मिल जाएं। अनइंप्लायमेंट अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी समस्या है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: जीरो ऑवर में एक ही मांग रखते हैं।

... (<u>व्यवधान</u>)

04.04.2022

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, on Monday, the prices of both petrol and diesel were hiked by 40 paisa per litre, taking the total increase in rates to Rs. 8.40 per litre in the last two weeks. Rates have increased across the country which vary from State to State depending upon the local tax rates. This is the twelfth time that the prices have increased since the ending of four and a half months' long hiatus in rate revision on March 22.

The petrol prices have gone up by Rs. 8.40 per litre since then. The price of 19 kg commercial LPG cylinder has been increased by Rs. 250 per cylinder, effective from Friday. As a consumer State, Kerala has been victimised the most due to increase in fuel prices. Hence, the Government should explore new options like purchasing the oil from Russia to check the galloping fuel inflation.

As a second assault on the common man, the prices of essential medicines, including painkillers, antibiotics and anti-infectives, are set to go up from April, with the Government allowing an increase of over 10 per cent for the scheduled drugs. India's Drug Pricing Authority on Friday allowed a price hike of 10.7 per cent for the scheduled drugs which are under the price control regulation. This is the highest price hike allowed. Over 800 drugs under the National List of Essential Medicines will see a price rise from April. भारतीय जनता पार्टी देश को खोखला कर रही है।

I urge upon the Government of India that it should re-look at these price hikes as the day-to-day life of the common man has become extremely miserable in India due to the price hike. Thank you very much, Sir.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Sir, we are also associating with this.

माननीय सभापति: श्री प्रदीप कुमार सिंह जी।

... (Interruptions)

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, some of the childhood cancer survivors of my constituency have sent some letters to me on the 'World Cancer Day'. If we see these letters, our hearts will break. These are the letters sent to me and their self-loaded pictures are also included. They are trying to bridge the gap in the cancer treatment care, that means, they are asking our intervention. They are not getting enough facilities for cancer treatment. All over India, as per the figures shown in that, 76,805 children get cancer each year. Out of this number, only 35 per cent is getting the facility to approach the hospitals. Out of that 35 per cent, only 50 per cent of the patients are surviving. That means, overall, 20 per cent of the people, who are suffering from childhood cancer, are surviving.

As my constituency, Idukki, is a completely rural area, we have no facility for cancer treatment, which means, even lower rate of patients' survival. Apart from this, in the case of Kerala, we are the only district where there is more aggregate percentage of cancer patients. We want enough facilities for cancer treatment. For that, there is a programme here at the Centre called, 'National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes and Cardiovascular Diseases and Strokes (NPCDCS)'. The hon. former Minister, Harsh Vardhan Ji is here. I approached him also.

From our State the Health Department has already approached the Centre to start a cancer hospital there. I seek the intervention of the hon. Minister, through you, Sir, to kindly give permission to start a Cancer Treatment Centre in Idukki. Thank you very much.

माननीय सभापति : श्री मद्दीला गुरूमूर्ति जी।

श्री प्रदीप कुमार सिंह जी -- उपस्थित नहीं।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल जी -- उपस्थित नहीं।

श्री सुशील कुमार सिंह जी -- उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी -- उपस्थित नहीं।

श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): सभापित महोदय, मैं राजस्थान की कुछ घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अभी राजस्थान में जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति चल रही है। हिन्दू नववर्ष के अवसर पर प्रदेश और देश भर में जुलूस निकल रहे थे, तब राजस्थान के करौली जिले और कई स्थानों पर शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकल रही थी। हजारों की संख्या में लोग नववर्ष को मना रहे थे, ऐसे समय वहां पथराव किया गया, आगजनी की गई, दुकानों में आग लगा दी गई।

केवल करौली ही नहीं राजस्थान के अनेक इलाकों में जानबूझकर इस प्रकार के उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों ने शांतिपूर्वक निकल रहे जुलूसों के ऊपर पथराव किया। अभी कुछ दिनों पूर्व ही सालासर बालाजी में एक राम दरबार की मूर्ति को तोड़ा गया। राजस्थान में कई जगहों पर मंदिरों को निशाना बनाया गया।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, देश भर में कई जगह मंदिर बन रहे हैं। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर बन रहा है, आबूधाबी में भी भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन

राजस्थान की सरकार जानबूझकर धार्मिक स्थानों को तोड़ने और निशाना बनाने का काम रही है। वहां बहन-बेटियां रात को निकल नहीं सकतीं, बेटियों के साथ अत्याचार और दुराचार होता है।

अगर वे पुलिस के पास न्याय मांगने जाती हैं तो पुलिस अधिकारी उन पर अत्याचार करते हैं। अगर वे अस्पताल में जाती हैं तो वहां बलात्कार हो जाता है। एम्बुलेंस में बच्चों और बहनों का बलात्कार हो जाता है। इस तरह से अबला कहीं भी सुरिक्षत नहीं है। वहां न किसान सुरिक्षत हैं और न सरकारी कर्मचारी सुरिक्षत हैं। सरकार के विधायक कर्मचारियों के साथ मारिपीट कर रहे हैं। सरकार के विधायकों के लड़के बच्चों के साथ बलात्कार कर रहे हैं।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहां शासन, प्रशासन में राम राज्य आए, इसके लिए जरूरी है कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के
महत्व के विषय उठाये गये।	साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
एडवोकेट डीन कुरियाकोस श्री हिबी ईडन	श्री कुलदीप राय शर्मा

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

12.41hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Three Minutes past Fourteen of the Clock.

14.04 hrs

(Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)

HON. CHAIRPERSON: Now, Matters under Rule 377.

14.05 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति: श्री विजय बघेल जी।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : विजय बघेल जी, आप अपने विषय को पढ़िए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आपका सब्जेक्ट क्या है? आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : विषय से बाहर बोलने के अलाऊ नहीं किया गया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़िए।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : लोक सभा सचिवालय की तरफ से आपको एक अप्रूब्ड टेक्स्ट दिया गया होगा, आप उस टेक्स्ट को पढ़िए।

... (<u>व्यवधान</u>)

(i) Regarding subsidy on phosphate rich organic manure

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जैविक खाद प्राम (फास्फेट रीच आर्गेनिक मैन्युअर) फास्फोरस के विकल्प के रूप में सर्वोत्तम माना जा रहा है। इसलिए प्राम खाद किसानों या संस्थाओं की मांग पर प्रदाय करने पर सीधे किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया जाए।

(ii) Regarding augmentation of railway services in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर का मुख्य एवं बड़ा रेलवे स्टेशन अजमेर में संचालित है। उक्त रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त रेल यातायात सुविधाओं के साथ-साथ नई ट्रेनों के संचालन के साथ-साथ संचालित ट्रेनों के विस्तार और इनके नामकरण कराने की महती आवश्यकता हेतु आप रेल मंत्रालय से रेलवे बोर्ड को निम्नांकित बिन्द्ओं पर सक्षम एवं प्रभावी कार्यवाही हेत् आगामी बजट 2022-23 की विभागीय कार्य योजनाओं में सम्मिलित कराकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कराकर मुझे अनुग्रहित करावें। अजमेर से आबूरोड तक डेम्/मेमू ट्रेन का संचालन प्रारम्भ करावें। इस हेतु उत्तर पश्चिमी रेलवे को मेमू रेकों की उपलब्धता कराते हुये आवश्यक बजट का प्रावधान स्वीकृत करावें। उदयपुर-अजमेर-हरिद्वार/ऋषिकेश द्रुतगामी ट्रेन संख्या 19609-19610 का संचालन सप्ताह में 03 दिन किया जा रहा है, जिसे सप्ताह के सातों दिन संचालित करावें। इस हेतु उत्तर रेलवे की सहमित एवं रेलवे बोर्ड की स्वीकृति आवश्यक है। अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन संख्या 12413-12414 का संचालन कटरा तक विस्तारित कराकर अजमेर, राजसमन्द, भीलवाडा, नागौर संसदीय क्षेत्र के श्रद्धालुओं को लाभाविन्त करावें। जयपुर-प्रयागराज ट्रेन नम्बर 12403-12404 प्रतिदिन का संचालन अजमेर या पुष्कर तक विस्तार कराकर देश के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों को आपस में सीधा जोडें। अजमेर-तिरुपति बालाजी और चेन्नई के मध्य द्धि-साप्ताहिक ट्रेन का नवीन संचालन प्रारम्भ करावें। वर्तमान में जयपुर/जोधपुर जाकर संचालित ट्रेन से यात्रा करनी पड़ती है।

अजमेर से संचालित गाड़ी संख्या 12987-12988 अजमेर-सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण अजमेर के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर 'पृथ्वीराज चौहान एक्सप्रेस' एवं गाड़ी संख्या 19607-19608 मदार, अजमेर-कोलकाता

साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नामकरण विश्वविख्यात जगतिपता ब्रह्मा जी के नाम पर 'ब्रह्मा एक्सप्रेस' किया जाए।

(iii) Need to extend North East Express train upto Jaipur via Jhunjhunu and Sikar

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू) : महोदय, गाड़ी संख्या 12505/06 कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस के विस्तार से राजस्थान के झुन्झुनू, सीकर, जयपुर के प्रवासी सीधे पूर्वोत्तर से जुड़ सकेंगे। चूंकि वर्तमान में सीकर झुन्झुनू से पूर्वोत्तर हेतु कोई सीधी/कनेक्टिंग रेल सेवा नहीं होने से सम्पूर्ण यात्रियों को बस द्वारा दिल्ली/जयपुर/आगरा जैसे शहरों तक यात्रा कर पूर्वोत्तर हेतु नार्थ-ईस्ट/ब्रह्मपुत्र मेल में यात्रा करनी पड़ती है, जो काफी कष्टदायी तथा असुविधाजनक रहती है। बुजुर्ग, महिलाएं तथा सीमा के प्रहरी सैनिकों को भी इस कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि विदित है कि झुन्झुनू से सेना में अनेक सैनिक अपनी सेवाएं देश के हर कोने में दे रहे हैं। ऐसे में उनकी यात्रा में भी इस प्रकार सीधी रेल न होने से व्यवधान रहता है। चूंकि 12505/06 रेल का प्राथमिक अनुरक्षण कामाख्या में होता है तथा आनंद विहार टर्मिनल पर ये रेल करीब 10 घंटे यार्ड में स्थान घेरती है। इस रेल का 1 रैक बढ़ाकर आसानी से झुन्झुनू-सीकर के रास्ते जयपुर भेजा जाए।

HON CHAIRPERSON: Shri Ravi Kishan – not present

(iv) Regarding development of Hazira Port in Gujarat

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय, हजीरा पोर्ट या सूरत पोर्ट गहरे पानी का तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल और मल्टी-कार्गों डीप वाटर पोर्ट है, जो भारत के सूरत से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ एलएनजी सुविधा चालू है, जबिक कार्गों पोर्ट विकासाधीन है। महोदय, हजीरा पोर्ट सेंट्रल गुजरात के, वड़ोदरा, भरूच, पंचमहाल, मेरे मत विस्तार आनंद आदि जिलों जहां कि बहुत सारे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनके लिए कार्गों ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से बहुत अहम साबित होने वाला है। आनंद, जहां दालों की कई मिलें है और दाल निर्यात का बड़ा केंद्र है, उनके लिए अफ्रीका जैसी जगहों के लिए हजीरा कार्गों पोर्ट शुरू होने से व्यापार वर्तमान से ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल गुजरात विशेषकर वड़ोदरा और आनंद से नजदीक कार्गों पोर्ट मुंबई 450 किलोमीटर और कांडला 400 किलोमीटर पड़ता है, जबिक हजीरा पोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से संबन्धित विभाग को आग्रह करता हूँ कि हजीरा पोर्ट के तेजी से विकास एवं कार्गो सुविधा को दुरुस्त कर शुरू करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाए।

(v) Regarding construction of a railway overbridge near Kharkhauda Railway Station, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, रेलवे द्वारा बनाए गए अंडरपासों में थोड़ी वर्षा से भी पानी भर जाने की समस्या को अनेक बार विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाया गया है। इस समस्या का अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है तथा परिणामस्वरूप बरसात के मौसम में इन अंडरपासों से जुड़े गाँव मुख्य मार्गों से पूरी तरह कट जाते हैं तथा सभी ग्रामवासियों विशेषकर किसानों, बीमार व्यक्तियों तथा बच्चों को अत्यधिक कठिनाई होती है। सभापति जी, मेरठ में खरखौदा-मोहिउद्दीनपुर मार्ग जनपद का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर खरखौदा रेलवे स्टेशन के निकट ही रेलमार्ग पर अंडरपास निर्माणाधीन है। अंडरपासों उपरोक्त अनुभव के कारण नागरिकों को आशंका है कि इस मार्ग पर बनने वाले अंडरपास में भी पानी भरेगा तथा सम्पूर्ण क्षेत्र का आवागमन ही बाधित हो जायेगा।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग पर यातायात के आवागमन को ध्यान में रखते हुए खरखौदा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित रेलमार्ग पर एक ओवर ब्रिज बनाए जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें।

(vi) Regarding salary of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Schools' employees and regularization of services of KGBV workers

SHRI B.B. PATIL (ZAHIRABAD): I would like to bring to your kind notice that in my Telangana State, there are about 475 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya schools and 96 junior colleges, educating near about 1,71,000 girl students. This is a great contribution of the Government *nara* - Beti Bachao Beti Padhao. These schools are run by 60 Central Government and 40 per cent State Government contribution. Near about 14,250 women employees work round the clock for this divine aim, but the Government is not doing justice to these workers. Employees work round the clock, but very low salaries are paid to them. Moreover, they have no job security as they are appointed on contractual basis. I request the hon. Minister to provide justice to the KGBV workers by giving equal salary for equal work and regularize the KGBV workers at the earliest.

> (vii) Regarding putting all projects of Phase – Il Metro in Pune on fast track

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Rapid urbanization in the

recent past has put the Pune city's travel infrastructure to stress. With an

increase in small scale, medium scale as well as heavy industries, the traffic in

the city is rising at alarming rates. Phase 1 of Maharashtra Metro Rail

Corporation (Maha Metro) is nearing completion. Maharashtra Metro has also

started conducting survey and planning for Phase 2. It is preparing a DPR to

extend the existing 33.1 km. Metro lines (Phase 1). The Phase 2 corridors

would be 82.5 km. long and would connect Vanaz to Chandani Chowk (1.5

km), Ramwadi to Wagholi (12 km), Hadapsar to Kharadi (5 km), Swargate to

Hadapsar (7 km), Khadakwasla to Swargate (13 km) and SNDT to Warje (8

km). Survey report of PCMC to Nigadi 4.41 km and Swargate to Katraj 5.46

km. has been forwarded to the Central Government for approval. Sir, there is a

need to put all projects of phase 2 on fast track to mitigate the alarming

situation of traffic jam. I request the hon. Minister of Housing and Urban Affairs

to put all phase- 2 projects on fast track so that the people of Pune will get the

much-required rapid transport to get rid of traffic jams.

HON. CHAIRPERSON: Shri Tejasvi Surya -- not present.

(viii) Regarding setting up of a Mega Textile Park in Bhilwara, Rajasthan

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, भारत सरकार मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना का मंतव्य रखती है, परन्तु इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनिवार्यता है। मेगा टेक्सटाईल पार्क के लिए राजस्थान में भीलवाड़ा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। भीलवाड़ा सम्पूर्ण विश्व में वस्त्रनगरी के नाम से विख्यात है, मेगा टेक्सटाईल पार्क हमारा हक है। भीलवाड़ा में 9 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिमाह बनता है तथा एक लाख से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। यहां देश भर से कपड़ा व्यापारियों का आना-जाना लगा रहता है, भीलवाड़ा कपड़े की बड़ी तथा बढ़ती हुई मंडी है, इसलिए आवश्यक है कि भीलवाड़ा को मेगा टेक्सटाईल पार्क की सौगात मिले। मेगा टेक्सटाईल पार्क भीलवाड़ा का अधिकार है, इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि मेगा टेक्सटाईल पार्क के लिए एकाधिक स्थानों के प्रस्ताव राज्य सरकार से पुन: लिए जाएं तथा टेक्सटाईल्स मंत्रालय सर्वे के पश्चात् उनमें से एक स्थान का चयन करे। यह न्यायसंगत होगा तथा भीलवाड़ा के साथ न्याय होगा।

(ix) Regarding healthcare facilities in Darjeeling, Kalimpong and other districts of North Bengal

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The people of Darjeeling, Kalimpong, and other districts of North Bengal are today suffering due to abysmal healthcare facilities.

Majority of the people from our region work in the tea gardens, and the rest are dependent on mountain farming for their sustenance. The tea garden workers get paid only Rs. 205 per day. With such a low income, our people find it very difficult to make ends meet.

In such a situation, even if one family member gets unwell, the whole family faces a situation of acute economic distress.

Our existing health system is on the verge of collapse, and the State Government has failed to provide even basic health facilities. There is acute shortage of staff, hospital beds, doctors, and medical resources.

Majority of the people from our region are unable to afford travel to distant cities for availing treatment. Given that the tea garden workers are listed as industrial workers, I request the hon. Ministry of Labour and Employment to set up ESIC Hospitals in the tea gardens. I also request for the construction of an AIIMS in North Bengal region and the establishment of Medical Colleges in Darjeeling and Kalimpong District Hospitals.

(x) Need to formulate a plan to prevent annual flood and land erosion in Maldaha Uttar Parliamentary Constituency, West Bengal

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मालदा उत्तर, पश्चिम बंगाल में बाढ़ एवं कटान की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मालदा जिला का अधिकांश भाग गंगा और फुल्हर नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ एवं कटान के कारण तमाम गांव जैसे महानंदा टोला, भिलाई मारी, कहला, देवीपुर, उत्तर-दक्षिण भकुरिया इत्यादि गावों को बाढ़ एवं कटान के दौरान बहुत ही क्षित का सामना करना पड़ता है। महोदय, महानंदा टोला भिलाई मारी गांव गंगा नदी से 100 मीटर की दूरी पर बचा हुआ है एवं कई गांव जो नदी में विलीन हो चुके हैं, वे मालदा जिला के के.बी.झाव बोना ग्राम पंचायत जंजाली टोला, खास्साबरना, रसटोला, जबुनताला, रामायणपुर, रोहिमारी, कुली दियारा, हुसैनपुर, चिना बाजार, दुर्गाराम टोला, चौधरी पड़ा, अनूप नगर, इत्यादि हैं।

महोदय मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गंगा और फुल्हर नदी के बारे में कटान की रोकथाम के लिए मेरे द्वारा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को भी बहुत बार अवगत कराया गया है। अभी तक कटान की रोकथाम के लिए कोई ठोस क़दम नहीं उठाया गया। स्थायी कार्य योजना बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाए तथा अभी तक जो लोग कटान से प्रभावित होकर सड़कों पर जाने को मजबूर हैं, उनको पुनर्वास एवं रोजगार की व्यवस्था की जाए तथा कटान के कारण उनको हुई क्षित का मूल्यांकन करते हुए, मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Sushil Kumar Singh and Shri Mohanbhai Kundariya – not present.

(xi) Regarding SAI Centre and laying of synthetic track in Nandurbar Parliamentary Constituency

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, the young athletes from my constituency have been performing exceptionally at national and international level tournaments by winning Gold, Silver and Bronze in various events. There have been consistent demands from students and young people concerning sports infrastructure in my constituency of Nandurbar which is a tribal dominated area and also an aspirational district with low Human Development Index.

In order to promote a culture of fitness and sports along with ensuring adequate infrastructure for sports activities in my constituency, there is a need to start a Sports Authority of India Centre at Nandurbar, the proposal for which has already been forwarded by the State Government of Maharashtra. In addition to this, there is also a demand for laying of 400 m synthetic athletic track under Urban Sports Infrastructure Scheme at District Sports Complex Nandurbar.

Creation of these facilities will bolster the training facilities for athletes and I request the Government to kindly expedite the functioning of SAI Centre and synthetic track for the benefit and development of our athletes who will be trained as medal prospects in the future. The development of adequate infrastructure will also further the aim of a Fit and Healthy India which has been the flagship programme of our Prime Minister.

HON. CHAIRPERSON: Shri Ram Kripal Yadav– not present.

(xii) Regarding proposed waterway from Jamshedpur to Odisha via West Bengal

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): सभापित महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर (झारखंड) के अंतर्गत एक प्रस्तावित जलमार्ग चांडिल - स्वर्णरेखा नदी से टाटानगर होते हुए हिन्दिया (पश्चिम बंगाल) एवं ओड़िशा तक भी इस जलमार्ग को जोड़ा जा सकता है। ज्ञात हो कि मंत्रालय द्वारा मंजूर किये हुए देश भर के 100 जलमार्गों की सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र का यह मार्ग भी शामिल किया गया है।

महोदय, यह मेरे संसदीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग सिद्ध होगा, क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें टाटा, टेल्को, ट्यूब जैसे दर्जनों बड़े उद्योग हैं, वहीं मध्यम और लघु उद्योग भी हज़ारों में स्थापित हैं और इसी कारण यह मालवाहक का सबसे बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है। इसलिए इसका शीघ्र पूर्ण होना अति आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस जलमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है और साथ ही यह भी बताने की कृपा करें कि यह जलमार्ग यात्रियों के लिए कब तक चालू कर दिया जायेगा?

(xiii) Need to make permanent the services of doctors and healthcare workers employed on contract basis under Rashtriya Swasthya Mission

श्री कृष्णपालिसंह यादव (गुना): महोदय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन किया जा रहा है जिसमें संविदा पर चिकित्सकों की भर्ती होती है। कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित हुई थीं और प्रतिकूल पिरिस्थितियों में भी डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी चिंता ना करते हुए मरीज़ों की सेवा की और कोरोना की हर लहर से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज देश में कोरोना के मामले बहुत कम हैं और टीकाकरण अभियान ही 184 करोड़ तक पहुँच गया है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के मरीज़ों की कमी के कारण संविदा पर नियुक्त हुए इन चिकित्सकों की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश दिए जा रहे हैं जिससे ये चिकित्सक बेरोज़गार हो जाएंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि लाखों की संख्या में नियुक्त हुई इन चिकित्सकों और कर्मचारियों की मेहनत को सम्मानित करने हेतु इनकी सेवाओं का नियमितीकरण के साथ इनको नियुक्त किये गए पदों पर स्थायी नौकरियां दी जाए जिससे हमारे देश के doctor-patient ratio को सुधारा जा सके और जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रहना पड़े और आयुष्मान भारत का सपना साकार हो।

(xiv) Regarding construction of various underground passages and RoBs in Rayagada and Koraput districts of Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): There is a strong demand for various underground passages and ROBs in various places in Rayagada and Koraput districts of Odisha as follows: rail underground passage at kilometre 121/9 to 121/10 (Near Narigaon, Chatua GP addressing 15+ villages) between Darliput Railway Station and Gorapur Railway Station of Koraput-Vishakhapatnam Rail line; rail underground passage at Musuriaguda near North and Manbar Station in Manbar GP in Koraput-Vishakhapatnam Rail line; rail underground passage at Kerandiguda-Chancharaguda of Bissamcuttack GP in Bissamcuttack Block, Rayagada District; rail underground passage at Lataguda of Chattikona GP in Rayagada District; rail underground passage at Sana Brundabadi of Bhatpur GP in Rayagada District; rail underground passage near Mile No 308/17 at Majhihalma of Chatikona GP in Rayagada District and rail over bridge at Muniguda town.

I would like to request the Ministry of Railways to kindly look into the matter and approve the above projects to mitigate the sufferings of the people. Also, I would like to request the Ministry of Railways to ensure that train stoppage at Laxmipur Road Station be restored at the earliest. It is a genuine demand of people. It is almost 2 year and there is hardly any progress on Rayagada Division. I would like to request the government to approve the DPR at the earliest.

HON. CHAIRPERSON: Adv. Adoor Prakash – not present.

(xv) Regarding resumption of regular train services on Thiruvarur-Karaikudi Section and manning of level crossings in Southern Railways

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): The broad gauge conversion of Thiruvarur-Karaikudi Section of Southern Railway was completed in 2019. However, the train services have not yet resumed because of the pandemic and non-deployment of gatekeepers at level crossings. Nearly Rs. 1,000 crore was spent for this project. Unnecessary delay is causing hardships to about one crore people of seven districts along this route. Railways have planned to engage ex-servicemen on contract basis to man the level crossings. However, due to demands from various guarters, Trichy Division has invited applicants from retired para-military also. It is learnt that during medical test, they were not entertained stating that only ex-servicemen will be considered for posting. The paramilitary personnel have contended that they had all the courage and valour to guard all frontiers of the country. I wonder whether they do not have the capabilities to guard the railway gates. They normally do not get opportunities in getting employment in civil duties and they deserve due consideration. Moreover, it is not a hi-tech job. Local unemployed youths with necessary training can also be recruited. I shall, therefore, humbly urge upon the hon. Minister of Railways to resume regular train services on Thriuvarur-Karaikudi Section immediately and engage paramilitary personnel and local jobless youths in guarding the unmanned level crossings.

(xvi) Regarding allocation of fund for construction of a dam across Koraiyar river, Tirunelveli District, Tamil Nadu

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI): Koraiyar river is a small tributary of Thamirabarani river. North Koraiyar and South Koraiyar are tributaries of Koraiyar river. North Koraiyar originates at a height of 951 metres and merges with South Koraiyar tributary in the plains. During rainy season, excess water generated through floods drains into sea.

I urge that construction of dams across Koraiyar river is the only available solution and through a dedicated canal, water can be distributed to the surrounding areas where there is water scarcity. When this project will be implemented in full swing, as much as 9091.50 acres of agricultural land will be irrigated through water canals and ponds. A survey relating to water level and testing of soil nature has been completed with finalization of concept and design of this project. Tamil Nadu government is also ready to give land to the Forest Department in lieu of the forest land to be acquired for this purpose. I urge upon the Union Government to allocate a fund of Rs.800 crore for this special project for construction of a dam across Koraiyar river in Vikramasingapuram village of Tirunelveli district in Tamil Nadu.

•

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

(xvii) Regarding inclusion of Beda Jangam Community in SC List

DR. SANJEEV KUMAR **SINGARI** (KURNOOL): Empowerment and development of marginalized sections of the society is the commitment enshrined in our Constitution. But the fact is that many marginalized sections are pushed down due to incoherent and inconsistent decisions. I am talking about Budaga Jangam community, also called as Beda community. The community was recognized as Scheduled Caste in Part-1 of the Constitution, in the SC Act 1976. It was listed at Serial No.19 in undivided Andhra Pradesh Scheduled Castes List. Also it is listed in Karnataka Scheduled Castes List at Serial Number 98. Yet, the community is denied the benefit of reservation. Most of them are wandering job seekers and many of them survive by storytelling profession called Jangama Kathalu. They are in the lowest stratum of the society, both socially and economically. They are often humiliated and treated as untouchables. Many committees like Lokur Commission. Ramachandra Rao Commission, Usha Mehra Commission and Moti Lal Commission reported the presence of this community in 13 districts of Andhra Pradesh. But in AP Reorganisation Act 2014, Budaga Jangam community was removed from the SC List. This final punch on the poor and marginalized Budaga Jangam community has crippled and pushed them to a corner of the society. I request the Government of India to consider their long pending demand of Budaga Jangam people for their inclusion in Scheduled Castes List.

(xviii) Regarding operationalisation of Chandkhali Halt Station

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the kind attention of hon. Railway Minister towards the hardships faced by the railway commuters of Chandkhali area. Chandkhali falls between Taldi and Canning stations on the Sealdah-Canning line. Despite having halt station, it is lying unoperational. This has been causing inconvenience to the villagers, students and daily passengers of the area. After eight years of persuasion and requests to the then Railway Ministers, the platform construction has been completed. But even after that, the station is non-functional. The severity of the pandemic has decreased to a commendable degree resulting in the increased need of an operational halt station. Thus, I sincerely request the hon. Minister of Railways to take necessary steps and make the Chandkhali Halt Station functional as soon as possible.

(xix) Regarding shifting of headquarters of National Board for Workers Education from Nagpur to Delhi

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): माननीय सभापित महोदय, केंद्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड को विभिन्न सरकारी संस्थानों, संघों और कारखानों के कर्मचारियों को एक निश्चित अविध में प्रशिक्षित करने के लिए नागपुर में स्थापित किया गया था। देश के केंद्र में स्थित नागपुर शहर के महत्व को देखते हुए तत्कालीन केंद्र सरकार ने 1958 में बोर्ड की स्थापना की थी। तबसे इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसके कार्यालय हर राज्य में हैं और इन पर नियंत्रण नागपुर से होता है। मुख्यालय में प्रोफेसर और कर्मचारी हैं, जो उद्योग में औद्योगिक प्रबंधन और कर्मचारियों की भागीदारी और प्रशिक्षित संगठनों के प्रतिनिधियों के गठन के महत्व को सिखाते हैं। 2014 से इस मुख्यालय को दिल्ली लाने की कोशिश की जा रही है। जिनके नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है, यह नागपुर उन दत्तोपंत ठेंगडी जी की कर्मभूमि है, यह अन्याय कारक है। यहां कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों ने इसका विरोध किया है। महोदय, नागपुर की इस महत्वपूर्ण संस्था को स्थानांतरित करने से उद्योग जगत को नुकसान होगा। अत: आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि दत्तोपंत ठेंगडी श्रमिक शिक्षा मंडल का मुख्यालय नागपुर से दिल्ली में स्थानांतरित करने पर पुनर्विचार करे और इस मुख्यालय को नागपुर में रहने देने के लिए उचित कदम उठाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Kaushlendra Kumar – not present.

Shri Anubhav Mohanty – not present.

(xx) Need to address the problem of shortage of water for irrigation and drinking purposes in Shrawasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती जिले के विधान सभा भिगना, गैसड़ी व तुलसीपुर के असिंचित, पथरीली व तराई क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं। यहां सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होना व पीने योग्य पानी न होने के कारण सारी फसलें सूख व बर्बाद हो जाती हैं, जिसके कारण किसानों की आर्थिक स्थित अत्यधिक दयनीय हो गई है तथा पीने योग्य स्वच्छ जल नहीं मिलने के कारण उन्हें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ता है। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में सिंचाई के लिए सरकारी नलकूपों की व्यवस्था, पीने योग्य स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी व पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। धन्यवाद।

(xxi) Regarding land acquisition in Lakshadweep Islands

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Sir, the unprecedented

and massive land acquisition notices now being issued by the District Collector

in Lakshadweep Islands during the last few months are several times more

than the total land acquired by the administration for various developmental

activities including tourism projects during the last 75 years. Majority of the

Tribal land is going to be acquired for the purpose of tourism activity alone and

is going to be handed over to non-Tribal multinationals in total disregard to the

protection that has been guaranteed to us by the founding fathers of our

Constitution. Total area of land notified by the present administration is to the

tune of nearly 52 lakh sq. mts. including inhabited and uninhabited Islands and

the areas now identified for new projects. This is in addition to the land already

taken by the administration through acquisition and lease from the locals for

the developmental activities during the last 75 years. If the land used for

construction of roads and the free space of 1.5 mts. stipulated from the edge of

the roads and the 20 mts. NDZ surrounding the islands is taken into

consideration, 50 per cent of lands in a few islands has already been lost by

the inhabitants. ... (Interruptions) ...

HON. CHAIRPERSON: Only approved text will go on record.

* Not recorded.

(xxii) Regarding hike in prices of petroleum products and medicines

DR. M. P. ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): The fuel price hike is not an issue of normal price hike. It has become the worst example of allegedly looting the people of the country. Never and nowhere, this kind of increase in prices of petrol, diesel, CNG and kerosene on a daily basis has happened. As a result of this, prices of all essential commodities are rising. The new policy adopted by the Government for the so-called systemisation of 800 drugs, is also resulting in rising of their prices. The common people are undergoing the worst kind of financial suffering that has already affected the wellbeing of each and every walk of their life. It is reported in the Media that oil companies lost about 2.25 billion dollars in revenue for keeping fuel prices on hold during the elections in five States. So, it is apprehended that this price hike may be for the purpose of compensating the same. There must be an end to it, and this House should discuss it.

Sir, I request the Government to take urgent action to control the situation and roll back prices.

HON. CHAIRPERSON: The House shall now take up 'Zero Hour'.

Shri Syed Imtiaz Jaleel.

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): सभापित जी, हर माँ-बाप चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। मैं समझता हूं कि आज देश के सभी ग्रामीण एरियाज के स्कूलों की हालत यह है कि वहां सुविधाओं की बहुत कमी है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के कई शहरों की बात करता हूं, जहां गांवों में जाएं, तो तपती धूप में टिन की शेड के नीचे बच्चे आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं। चूंकि हम तो यहां एसी में बैठते हैं, इसलिए हमें उनकी स्थिति का आभास नहीं होता है। यह बहुत अफसोसनाक बात है कि जब बारिश होती है और टिन शेड में से पानी टपकता है तो बच्चों को बाहर किसी झाड़ के नीचे बैठा कर पढ़ाया जाता है। यह राज्य सरकार का मुद्दा है लेकिन यदि राज्य सरकार इसकी अनदेखी कर रही है तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि देश में जितने स्कूल हैं, जहां बच्चे टिन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां कि लीकेज है और बच्चों के बैठने की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, इसके लिए केंद्र सरकार को एक योजना के तहत ऐसे स्कूलों को एक साल में दुरुस्त करना चाहिए तािक कोई भी बच्चा टिन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर न हो। ऐसी योजना बनाकर सभी स्कूलों को इनक्लूड करना चाहिए। मेरा कहना है कि ग्रामीण लोगों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अधिकार है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise a matter of national concern regarding the recent occurrence in the State of Rajasthan.

Sir, Rajasthan Police has registered an FIR against Dr. Archana Sharma, a gynaecologist, in connection with the death of a patient. The police registered the crime under Section 302 of IPC for committing murder, without conducting any inquiry. The police authorities violated the basic principles of

criminal jurisprudence, and the judgements of the Supreme Court and the High Courts. The action of the police is illegal and unfair.

Dr. Archana Sharma committed suicide, and her suicide note reveals the fact. The cause of her death is an illegal act on the part of the police. Such acts will destroy the morale of the doctors dedicated to save the lives of the common people in the country.

HON. CHAIRPERSON: This matter was raised in the House earlier.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Yes, it has already been raised, but I have a suggestion to make.

So, it is the duty of the nation to protect the interest and morale of the doctors. Hence, I urge upon the Government to initiate immediate action against those responsible for the death of Dr. Archana Sharma.

I urge upon the Government of India to come out with a strong legislation so as to deal with the situation where the medical fraternity is being attacked and is being insulted. Doctors and medical fraternity are being attacked like anything. So, a stringent legislation is highly essential to address the concerns of the medical fraternity. Therefore, I urge upon the Government of India to come out with a legislation to address this situation.

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much.

Sir, toll gates have become a menace for the common people who feel the pinch of it every time they pass the toll gates. I would like to term it as a 'Government-sponsored highway robbery'. Recently, the hon. Minister of Road

Transport and Highways, Shri Nitin Jairam Gadkari, has promised, on the floor of the House, that the toll gates – which are operating within a length of sixty kilometres on national highways – will be removed within three months' time. But nothing has been done in this regard. Our hon. Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin has requested the hon. Minister to remove all such toll gates immediately. But several such toll gates are still operating, levying high toll fees and causing a lot of grief to the common public. Even our hon. Minister of Highways, in the State, Thiru Velu, had also given a representation to the hon. Union Minister in this regard. Hon. Chairperson, Sir, with regard to the existing toll gates between Surappattu and Vanagaram, there is a sudden rise in fees from Rs. 10 to about Rs. 40. This is a heavier price. For a one-time travel by car, jeep and van, toll has been increased by Rs. 5. This is the last straw on the common people.

Sir, the Surappattu – Vanagaram toll gates are hardly separated by 19.50 kilometres. Similar is the case with Vikravandi and Sengurichi. Toll gates between Attur and Vikravandi are just 43 kilometres apart. Sengurichi and Thirumandurai toll gates are just 52.5 kilometres apart. I can also name Samayapuram and Boothakudi. There are so many others in the list.

I would like to request the hon. Union Minister, through you, to consider this request not only as an hon. Member of Parliament but also, as a common citizen of India, and also to do away with the toll gate charges. Thank you.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): धन्यवाद सभापित जी, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार ने डीएमएफटी फंड की घोषणा की है। जिस एरिया में कोई खान निकलती है, कोई मेटल या मटीरियल निकलता है, उसमें जो रॉयल्टी आती है, तो उस एरिया, जिसमें से माइनिंग हो रही है, उसके डेवलपमेंट के लिए उस रॉयल्टी का 2 परसेंट वहां के जिले के डीएमएफटी फंड में ट्रांसफर किया जाता है, तािक वहां के स्थानीय क्षेत्र में माइनिंग के कारण जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो सके और उसका विकास हो सके, लेकिन मेरे जिले में 800 करोड़ रुपये का डीएमएफटी फंड है। राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह चुकाने के लिए वह पैसा ले लिया है जो कि उस क्षेत्र के विकास के लिए आया है, जहां से माइनिंग हो रही है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि डीएमएफटी ट्रस्ट में जो नियम है कि उस रािश का 20 परसेंट एजुकेशन पर, 20 परसेंट हेल्थ पर व्यय हो, उसके तहत खर्च किया जाए। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह बड़ी चिंता का विषय है कि हिन्दुस्तान में खाद की कीमत धड़ल्ले से बढ़ रही है। डीएपी के बैग में 150 रुपये का इजाफा हुआ है, एनपीके के बैग में 110 रुपये का इजाफा हुआ है और पिछले दो हफ्ते में 12 बार पेट्रोल, डीजल आदि के दामों में बेतहाशा इजाफा होने के चलते आम लोगों की परेशानी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। सीएनजी से लेकर पीएनजी, हर चीज के दामों में बढ़ोत्तरी हो रही है। 800 दवाइयों के दामों में भी बढ़ोत्तरी हुई है। टोल टैक्स में भी बढ़ोत्तरी हुई है। मैं सरकार को यह सलाह देना चाहता हूं कि 'मोदी है, तो मुमिकन है' की जगह 'मोदी है, तो महंगाई है' बोलना शुरू कर दें। भारत को इस तरह से लूटने का क्या मतलब है? सरकार का ध्यानाकर्षण करने की मैं बार-बार कोशिश करता हूं। सरकार ने आज तक लगभग साढ़े छब्बीस लाख करोड़ रुपये केवल तेल के दामों में वृद्धि करके कमाए हैं। यह सरकार जनता का शोषण कर रही है। अत: मैं यह मुद्दा सदन के सामने रखना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के
महत्व के विषय उठाये गये।	साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
श्री सी. पी. जोशी	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन	श्री गोपाल शेट्टी

14.50 hrs

CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, now, we will take up item No. 21, the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आज इस महान सदन के सामने मैं एक बिल लेकर आया हूँ, जो वर्ष 1920 के बंदी शिनाख्त कानून को रिप्लेस करेगा और वर्ष 1920 से जो स्थापित है, वह बंदी शिनाख्त कानून आज कई दृष्टि से अपने आपमें समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, दोष सिद्ध करने के लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए, वे प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक तरह से कालबाह्य हो गया है।

14.51 hrs (Hon. Speaker in the Chair)

इसको रिप्लेस करके दण्ड प्रकिया (शनाख्त) विधेयक, 2022, जिसे मैं आज लेकर आया हूँ, उससे ये सारे, जो कालबाह्य हुए छिद्र हैं, इनकी न सिर्फ भरपायी होगी और यह दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बहुत बड़ा इजाफा भी कर पायेगा।

महोदय, दोषसिद्धि का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में काननू और व्यवस्था की परिस्थित और देश की आंतरिक सुरक्षा, दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है। वैसे तो बहुत लेट हो गया है। वर्ष 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट के अंदर एक बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था।... (व्यवधान) यह

प्रस्ताव विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार-बार चर्चा भी अनेक फोरमों में हुई। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा की है, राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार भी किया गया है, अनेक प्रकार के इस पर अभिप्राय भी लिए गए हैं।

इन सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोषसिद्धि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, यह विधेयक लेकर, मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ।

महोदय, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है, वह बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है।

अत: मैं यह विधेयक लेकर आया हूँ, परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आए थे तब अनेक आपत्तियाँ इस विधेयक पर उठाई गई थीं। अनेक सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स को भी कोट किया गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स के ऐंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। उनकी चिंता वाजिब है। आप सबकी चिंताओं की चिंता भी इसके अंदर कर ली गई है, बाद में जब मैं जवाब दूँगा तब उसके बारे में बताऊँगा। इसके साथ-साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल 'प्रिजन अधिनियम' भी बना रही है।

हम मॉडल प्रिजन अधिनियम के नाम से राज्यों को यहां से भेजेंगे। मॉडल प्रिजन मैन्युअल भेजने के बाद कई सारी चिंताएं हैं, जो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कैदियों के पुनर्वास के लिए है, उनको फिर से समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को सीमित करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था आदि। इन कई सारी चीजों का प्रिजन मॉडल अधिनियम का प्रारूप हम यहां से भेजेंगे। हमने जेल अधिनियमन के अंदर बहुत सारी चीजों को समाहित किया है। मैं इसकी भी जानकारी दूंगा। कृपया इस बिल को अकेले में, आइसोलेशन में देखने की बजाय, आने वाले मॉडल प्रिजन अधिनियम के साथ मिलाकर

देखना होगा हमें ढेर सारी चीजों को स्वीकारना भी होगा कि अगर समय पर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए, अदालतों की मदद के लिए उपलब्ध कराने हैं, उसमें हम पीछे रहते हैं। दोषसिद्धि का डर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इनवेस्टिगेशन के अंदर भी मदद नहीं मिलती है। अत: मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर सब अपने-अपने विचार रखें। मैं भी बाद में डिटेल में जवाब सदन के सामने रखूंगा। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): हमने बेसिक मैन्युअल देखा नहीं है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। अभी सरकार बना रही है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। सरकार में आप होते तो जरूर देखते। दादा ने जो कहा है, मैं इसके कुछ डायमेन्शंस भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूं।... (व्यवधान)

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): आप दादा के प्रश्नों का जब उत्तर दें तो थोड़ा धीरे बोलेंगे। क्योंकि आप जब दादा के प्रश्नों का जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत डांट कर बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: नहीं, नहीं। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं। मेरी आवाज जरा ऊँची है। मेरी मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है और न मैं कभी गुस्सा होता हूं। कश्मीर का सवाल आता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं, बाकी गुस्सा नहीं होता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, अत: मेरा सदन के सभी पक्ष-विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध है कि इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तावित करने के अलावा कुछ नहीं है।

जो दोषी हैं, उनकी दोषसिद्धि करके, उनको समाज से अलग करके, उनको भी सुधरने का एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनीश तिवारी (आनंवपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कैदियों को चिन्हित करने का वर्ष 1920 का जो कानून है, उसको रद्ध करने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है। उसका एक इतिहास है और उसका एक परिप्रेक्ष्य है। मैं समझता हूं कि वह इतिहास और परिप्रेक्ष्य इस सदन के समक्ष रखना बहुत जरूरी है। सन् 1920 में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। पूरे देश में ऐसा लगता था कि एक बिजली सी दौड़ गई है। साम्राज्यवादियों के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सारा देश लामबंद हो रहा था। जो साम्राज्यवादी सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वह बौखलाई हुई थी। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वह साम्राज्यवादी सरकार, वह अंग्रेजी सरकार वर्ष 1920 का कानून लेकर आई थी। उसकी मंशा यह थी कि लोगों में एक डर पैदा किया जाए कि अगर आपके फिंगर प्रिंट्स ले लिए जाएंगे, आपकी तस्वीर खींच ली जाएगी, वह तस्वीर थानों में लगाई जाएगी, आपके फिंगर प्रिंट्स सर्कुलेट किए जाएंगे तो आपको न कोई नौकरी मिल पाएगी और न आप कोई व्यवसाय कर पाएंगे।

15.00 hrs

तो यह साम्राज्यवादी सरकार का एक मंसूबा था, भारत के आज़ादी के आंदोलन को कमज़ोर करने का। आज 102 वर्ष बाद जब उस कानून को रद्ध कर के सरकार एक नया कानून ले कर आई है तो यह उम्मीद की जाती थी कि वह कानून उदारवादी होगा। वह जो मानवीय अधिकारों में तरक्की हुई है, पिछली एक शताब्दी में, उसको संज्ञान में लेगा और उसके साथ-साथ जो दुनिया

में एक ज्यूरसप्रूडेंस है कि किस तरह से अगर कोई अपराधी भी है, उसके साथ मानवीय तरीके से सलूक किया जाए, उसको भी ज़रूर अपनी नज़र में रखेगा। अध्यक्ष जी, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह जो विधेयक किसी भी मापदंड के ऊपर खरा नहीं उतरता है। भारत के संविधान में तीन धाराएं हैं - धारा–14, धारा-19 और धारा-21 । इन तीनों धाराओं को संविधान का गोल्डन ट्रायएंगल माना गया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, जो भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को दिए हैं, और भारत के नागरिकों के अलावा भी बाकी लोगों को दिए हैं, यह उसका मूलभूत निचोड़, धारा 14, 19 और 21 है, और यह जो विधेयक है, वह उन तीनों धाराओं का, मैं उस पर आऊंगा और जो धारा - 20(3) है, उसकी अवमानना करता है।

अध्यक्ष जी, वर्ष 1973 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया। उस आदेश का नाम - केशवनंद भारती वर्सेज़ यूनियन ऑफ इंडिया है। उस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि अगर इस सदन में किसी एक राजनीतिक दल को 543 में से 543 सीटें भी मिल जाएं, राज्य सभा में 238 में से 238 सीटें मिल जाएं, जो विधान सभाए हैं, उनमें दो तिहाई बहुमत भी मिल जाएं कि जो विधान सभाएं हैं, वे एक राजनीतिक दल के पास हैं, फिर भी इस संविधान के कुछ ऐसे अंश हैं, जिनको यह सदन नहीं बदल सकता है, जिनको उन्होंने बेसिक फीचर करार दिया है।

साथ ही आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, जो संविधान के चैप्टर – 3 में, पार्ट 3 में उसको दर्ज किया गया है, उसको उच्चतम न्यायलय ने यह बेसिक फीचर करार दिया था। आज जो यह विधेयक आया है, वह मूलभूत अधिकारों की अवमानना करता है। जब यह विधेयक पुर:स्थापित हो रहा था, मैंने उस समय भी यह आपित उठाई थी, और आज मैं वह आपित फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि क्या इस सदन को इस चीज़ पर चिंता करनी चाहिए? बहुत गंभीरता से अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि क्या ऐसे कानून जो भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों की अवमानना करते हैं, जो उसके सीधे-सीधे विरुद्ध हैं, क्या इस सदन को ऐसे विधेयकों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं? इसके ऊपर भी एक बहुत गंभीर चर्चा की जरूरत है।

मैं इस बिल के मेरिट्स के ऊपर शुरूआत करता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि संविधान की धारा 20(3) में साफ तौर पर यह लिखा है कि "No person accused of an offence shall be compelled to be a witness against himself."

अब यह विधेयक माननीय गृह मंत्री जी ले कर आए हैं, उसकी जो डेफिनेशंस क्लॉज़ है, उसमें क्लॉज़ 2(1)(b) है, जो मेज़रमेंट से संबंधित है। मैं उसको इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

मेजरमेंट्स की डेफिनेशन इस कानून में, इस विधेयक में है कि:-

"(b) "measurements" include finger-impressions, palm-print impressions, foot-print impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioural attributes, including signatures, handwriting or any other examination referred to in section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure, 1973."

अध्यक्ष जी, मैं बहुत सम्मान के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि यह जो डेफिनिशन है, यह बहुत ज्यादा ही व्यापक है और बहुत ही एम्बिगुअस और नेबुलस है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जब आप 'बॉयोलॉजिकल सैम्पल्स एण्ड देयर एनालिसिस' की बात करते हैं और मैं माननीय गृह मंत्री जी से इसके ऊपर स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या इसका मतलब है कि ब्रेन मैपिंग और नार्कों एनालिसिस भी होंगे, क्योंकि the amplitude of the definition is so wide that it completely conflicts with the constitutional guarantee under Article 20(3) of the Constitution of India. उसके साथ-साथ अगर आप उसे इस बिल के क्लॉज-5 के साथ पढ़ें, जो एक मजिस्ट्रेट को अख्तियार देता है कि वह यह निर्देश दे सकता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की इच्छा के बावजूद ये सारे सैम्पल्स ले सकती है, तो एक एक्यूज्ड को संविधान ने जो हक दिया है कि you are innocent until proven guilty, यह उसका सीधा-सीधा हनन करता है, उसकी सीधी-सीधी अवमानना करता है।

अध्यक्ष जी, इसके अलावा, इसी डेफिनिशन क्लॉज में बिहैवियरल एट्रीब्यूट्स का जिक्र किया गया है। यह भी एक व्यापक शब्द है। सरकार बिहैवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी। किसका बिहैवियरल एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करेगी? क्या सिर्फ यह कैदियों तक सीमित रहेगा?

क्या यह उन लोगों को भी अपने संज्ञान में लेगा जिनके ऊपर किसी फौजदारी की जाँच चल रही है or it will actually lay the foundations of mass surveillance state. These are the questions which are extremely troubling in this Bill.

अगर आप इसकी धारा-3 या क्लॉज-3 को अपने संज्ञान में लें तो उसमें यह लिखा है कि सेक्शन-107 सीआरपीसी, सेक्शन-108 सीआरपीसी, सेक्शन-109 सीआरपीसी, सेक्शन-110 सीआरपीसी, जिनमें किसी में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार को यह अख्तियार होगा, पुलिस को यह अख्तियार होगा कि आप उसकी रेटीना स्कैन्स भी लेंगे, उसकी आइरिस स्कैन्स भी लेंगे, उसकी बाँयोलॉजिकल सैम्पल्स भी लेंगे, उसके बिहैवियरल एट्रीब्यूट्स भी लेंगे।

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा हूं क्योंकि हममें से कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेक्शन-107 सीआरपीसी, सेक्शन-151 सीआरपीसी कानून में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए प्रोविजन्स हैं। अगर दो औरतों में पानी के ऊपर भी झगड़ा हो जाए तो पुलिस सारे परिवार को सेक्शन-107 सीआरपीसी, सेक्शन-151 सीआरपीसी के तहत अन्दर ले जाती है। अगर किसानों में बट के ऊपर लड़ाई हो जाए और गँडासा, फरसा न चले, गोली न चले तो उनके भी सारे परिवार को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली शहर में ही रोज पार्किंग के ऊपर झगड़ा होता है। पुलिस सेक्शन-107 सीआरपीसी और सेक्शन-151 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करके उनको बंद कर देती है। वैसे सेक्शन-151 सीआरपीसी इसमें नहीं है, पर अगर आप सेक्शन-107 सीआरपीसी को संज्ञान में लें तो क्या ऐसे किसी जुर्म के लिए भी पुलिस को मेजरमेंट लेने का अख्तियार होना चाहिए, सरकार को इस बात पर बहुत गम्भीरता के साथ सोचने की जरूरत है। सरकार की तरफ से यह दलील आएगी कि यह तो पिछले कानून में भी था, पिछले कानून में भी '118' का जिक्र था, तो मैं

सरकार को दोबारा से यह बात कहना चाहता हूं कि उस कानून को एक साम्राज्यवादी सरकार ने बनाया था, एक कोलोनियल सरकार ने वह कानून बनाया था। भारत की आज़ादी में जो लोग शामिल थे, उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको आतंकित करने के लिए, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए यह कानून बनाया गया था। क्या आज 102 वर्षों के बाद इस कानून में सेक्शन-107, सेक्शन-108, सेक्शन-109 और सेक्शन-110 का कोई औचित्य है, बहुत ही गम्भीरता के साथ इस पर विचार करने की जरूरत है।

अब, अगर आप 108 सीआरपीसी को संज्ञान में लें, disseminating seditious material, तो महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि section 124A is the prince among the political sections of the Indian Penal Code. यह महात्मा गाँधी जी ने कहा था, जब उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, तब उन्होंने सेक्शन 124ए के संज्ञान में यह बात कही थी। हम सब को मालूम है कि किस तरह से 124ए का दुरुपयोग किया जाता है। अगर आप किसी के ऊपर सिडेशन का चार्ज लगाते हैं कि वह ऐसा मैटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो सिडेशस हो सकता है।

अगर आप उसका फिंगरप्रिंट लेंगे, फूटप्रिंट लेंगे, आइरिस स्कैन लेंगे, उसके रेटिना स्कैन लेंगे, उसकी बायोलॉजिकल सैम्पल लेंगे, उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करेंगे तो यह कहाँ तक उचित है? इसी तरह से सेक्शन 109 है। अगर कोई आदमी संदिग्ध हो और उसका आचरण ठीक रहे तो उसके लिए उसको बॉण्ड एक्सीक्यूट करना पड़ता है। सेक्शन 109 या 110 सीआरपीसी में कोई गिरफ्तारी का भी प्रावधान नहीं है। अगर आप उससे भी सैम्पल्स लेंगे तो यह एक बहुत ही ड्रैकोनियन है, जो सिविल लिबर्टिज़ के बिल्कुल विरुद्ध है। आप एक ऐसा कानून यहाँ पर पारित करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, अगर आप इस बिल के क्लॉज-3 को अपने संज्ञान में लें, अब इन्होंने कहा है कि यह पिछले कानून में था।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा-सा समय चाहूँगा, क्योंकि यह विधेयक छोटा है, परंतु बहुत इम्पॉर्टेंट है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष:गृह मंत्री जी ने सीआरपीसी चेंज करने के लिए सुझावों के संबंध में सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है, जिसमें सदस्य अपने-अपने सुझाव दें। आप जो बात कह रहे हैं, शायद सरकार उस दिशा की ओर बढ़ रही है।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: गृह मंत्री जी ने कौन-सा पत्र लिखा है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी जब लास्ट में जवाब देंगे तो उसके बारे में आपको बता देंगे।

श्री मनीश तिवारी: अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आपकी बात सही है कि माननीय गृह मंत्री जी ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड़ के सुधार के लिए पत्र लिखा है और यह पत्र हमको मिला है। परंतु, इस सरकार में एक परंपरा भी रही है, एक pre-legislative consultative policy भी है कि कोई विधेयक लाने से पहले, जो लार्जर सिविल सोसाइटी है, उससे एक प्री-लेजिस्लेटिव कंस्लटेशन करना जरूरी है और वह वर्ष 2014 की पॉलिसी है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे संज्ञान में यह बात नहीं है कि सिविल सोसाइटी से किसी भी तरह की कंस्लटेशन हुई हो। परंतु, जो बाकी प्रावधान हैं, जिनके ऊपर मुझे आपित है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। सरकार ने इस विधेयक में यह कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सात साल से कम सजा के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए तो उसको यह सैम्पल देने की जरुरत नहीं होगी। पिछले कानून में यह अविध एक साल थी, सरकार ने इसे बढ़ा कर सात साल कर दी।

अध्यक्ष जी, अगर आप उसकी वर्डिंग को अपने संज्ञान में लें तो उसमें लिखा है कि "Provided that any person arrested for an offence committed under any law for the time being in force, except for an offence committed against a woman or a child or any offence punishable with imprisonment for a period of not less than seven years may not be obliged..."

यह 'may not be obliged' क्या है? मुझे भी वकालत करते हुए 30 साल हो गए, लेकिन 'may not be obliged', के बारे में पता नहीं चला। यह मुझे समझ में नहीं आया कि may not be obliged to whom? अगर सरकार कानून में एक पॉजिटिव स्टॉपर लगाना चाहती कि हाँ, अगर सात साल से कम के जुर्म में आपकी गिरफ्तारी हुई तो you shall not be obliged or you shall not give samples. There should have been a positive stopper. यह 'may not be obliged' और वह भी फौजदारी के कानून में, अब सरकार कहे कि 'may' का मतलब 'shall' है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स हैं कि फौजदारी के कानूनों में, जहाँ पर लाइफ फॉर लिबर्टी इन्वॉल्व हो, जो लेजिस्लेटिव इन्टेन्ट है, वह लेजिस्लेटिव इन्टेन्ट बिल्कुल क्लियर और साफ होना चाहिए। इसलिए, जो प्रोटेक्शन है, यह इतनी amorphous है, इतनी ambiguous है कि it can lend itself to a million interpretations.

इसके अलावा मजिस्ट्रेट क्लॉज 5 में आदेश दे सकता है कि अगर आप 7 साल से कम जुर्म के लिए भी गिरफ्तार हुए हों, फिर भी आपको सैंपल देना अनिवार्य है। पुराने कानून के क्लॉज 5 में एक सेविंग क्लॉज था। वह सेविंग क्लॉज यह था कि अगर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करता भी है और अगर उस जुर्म के लिए आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, you have not been arrested for that offence, तो मजिस्ट्रेट के पास भी वह अख्तियार नहीं है कि वह डायरेक्शन दे सकता है कि आपको सैंपल देना जरूरी है। वह जो सेफगार्ड था, वह भी इस विधेयक से हटा दिया है।

अध्यक्ष जी, जो कैदी हैं, even prisoners have fundamental rights. अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को संज्ञान में लें, ए. के. गोपालन, 1950, खडग सिंह, 1964, चार्ल्स शोभराज, 1978, शीला बर्से, 1983, प्रमोद सक्सेना, 2008, ये साफ तौर पर कहते हैं कि चाहे आप कैदी भी हैं, your fundamental rights are only suspended. मैं सिर्फ एक लाइन चार्ल्स शोभराज वाली जजमेंट से पढ़ना चाहता हूं। यह कृष्णा अय्यर साहब की जजमेंट थी। "Imprisonment does not spell farewell to fundamental rights." अगर आप कैदी भी हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, वे लिप्त हो गए। They are only

suspended. इस तरह के अगर आप कानून बनायेंगे, जहां पर सैक्शन 107, 108, 109, 110 सीआरपीसी में, जिसमें गिरफ्तारी का भी प्रावधान नहीं है, उसमें भी आपको सैंपल देने पड़ेंगे, तो आप पुलिस को ऐसे अख्तियार दे रहे हैं, जिसका पुलिस दुरुपयोग करेगी। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी।

अध्यक्ष जी, मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस विधेयक में क्लॉज 4(1) है। यह एनसीआरबी को इजाजत देता है कि 75 वर्ष तक जो सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं - फिंगर प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स, बाकी जो सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं, आप उनको रख सकते हैं। सिर्फ रख ही नहीं सकते, आप उनको राज्य सरकारों को, जितनी जांच एजेंसीज़ हैं, लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, राज्य सरकारें हैं, आप उन सबको भेज सकते हैं। So, there will be a million, myriad copies of all these records which have been obtained.

कानून में लिखा है कि कोई व्यक्ति इससे छूट जाए, उसका क्विटल हो जाए, तो अगर वह चाहेगा भी, in the absence of a data protection law, it will be impossible to extinguish all these records, which would have been disseminated all across the country, and this is a clear violation of the Puttaswamy Judgment, which held that 'the right to privacy is a fundamental right.'

अध्यक्ष जी, मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह विधेयक छोटा है, पर जो इसके परिणाम हैं, इंप्लीकेशंस हैं, सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ये बहुत ही एनॉर्मस हैं और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा। मैं गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप स्थायी समिति को भेज दीजिए। इसके ऊपर वहां व्यापक चर्चा हो जाए। आपकी स्टैंडिंग कमेटी या होम मिनिस्ट्री की सिविल सोसाइटी से कंसल्टेशन नहीं हुई है, उनसे बातचीत करके, इस कानून में सुधार करके, जिससे जो सरकार की मंशा है, that they are able to collect scientific evidence for prosecution and conviction, that can also

be fulfilled, but at the same time, human rights and civil liberties which are enshrined in the Constitution of India, can also be protected.

Thank you very much, Mr. Speaker, Sir.

श्री विष्णु दयाल राम (पलाम्): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अत्यन्त महत्वपूर्ण बिल, दी क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटीफिकेशन) बिल, 2022 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का आभारी हूं, जिन्होंने हमेशा इनवेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के अनुसंधान की प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है।

चाहे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में नया प्रावधान लाना हो या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट यूएपीए के प्रावधान में बदलाव लाना हो या नेशनल सेंट्रल फॉरेन्सिक यूनिवर्सिटीज की स्थापना करना हो।

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह बिल सदन में आया है तब से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पदाधिकारियों ने बार-बार मुझे फोन किया, एक पूर्व पुलिस पदाधिकारी होने के नाते हमसे जानना चाहा कि यह बिल सदन में कब चर्चा में आएगा और कब पारित होगा। यह बिल आज सदन में चर्चा के लिए आया है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी आ गई।

माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संस्कृति में उपयुक्त अवसर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आज से ज्यादा बेहतर उपयुक्त अवसर नहीं हो सकता है। रामनवमी के पवित्र महीने में और रमजान के महीने में इस बिल को लाया गया है। इसकी मनसा, वाचा, कर्मणा में कहीं भी किसी प्रकार की संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इस बिल के पारित हो जाने के बाद में पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पदाधिकारियों को कन्वीक्शन हासिल करने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।

अध्यक्ष जी, इस बिल को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। 102 साल पुराने बिल को रिप्लेस करने के लिए इस बिल को लाया गया है। विकसित देशों के प्रावधानों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, नई-नई तकनीकों का समावेश किया गया है। इसके माध्यम से मेजरमेंट लेने की व्यवस्था की गई है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस बिल को लाने में इतनी देरी क्यों की गई। यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। इस बिल से न केवल कन्वीक्शन रेट अधिक हासिल करने में सफलता मिलेगी बिल्क अपराधियों और अपराध पर भी अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी और नई-नई तकनीक का उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। उसकी क्रेडिबिलटी बढ़ेगी और जिसकी विश्व में मान्यता भी प्राप्त है।

आज के जमाने में अपराध और अपराधकर्मियों का दायरा असीमित हो गया है। उनका मोडस ऑपरेंडी बदलता जा रहा है। हरेक प्रकार के अपराध में अलग-अलग मोडस ऑपरेंडी के द्वारा अपराध किया जा रहा है। आज अपराध की दुनिया में नए-नए अपराध शामिल हो रहे हैं, जिसकी सौ साल पहले कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मौजूदा समय में विश्व में इतने ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं कि यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को सम्बल और सक्षम नहीं बनाया जाएगा तो अपराध पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल कार्य होगा। वैज्ञानिक साक्ष्य के अभाव में बहुत से अपराधी दंड से बच जाते हैं।

जिनके बारे में हम कहें कि उनको परोक्ष रूप से संरक्षण प्राप्त हो जाता है। ऐसी परिस्थित में यदि कानून में ऐसा प्रावधान नहीं रहता है कि जांच करने वाली एजेंसी के पदाधिकारी किसी व्यक्ति को अपराधी समझते हैं और उसका मेजरमेंट लेना आवश्यक है तो मेजरमेंट इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि कानून में इसका प्रावधान नहीं है। द आइडेंफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट में नई-नई तकनीकों का प्रावधान नहीं है क्योंकि उस वक्त ये नई-नई तकनीकें उपलब्ध नहीं थीं।

आज समय का तकाजा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए भी यह आवश्यक है कि कांडों का उद्भेन करने के लिए नई-नई तकनीकों का उपयोग करें और वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को

इकट्ठा करें ताकि वे साक्ष्य अकाट्य हों और कोर्ट के समक्ष एविडेंस की वैल्यू हो। इसी पृष्ठभूमि में इस बिल को सच्चे मन से लाया गया है।

मेरी समझ से इस बिल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का हाथ मजबूत किया जाए, उनको सम्बल बनाया जाए, उनको सक्षम बनाया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि इस बिल के पीछे कोई और मंशा है।

महोदय, जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने कुछ बिंदुओं को उठाया था। उन बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक और स्पष्टता के साथ चर्चा का उत्तर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जरूर दिया जाएगा, लेकिन मैं समय को देखते हुए कुछ मोटी बातों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आदरणीय मनीष तिवारी जी ने अनुच्छेद 20(3) की चर्चा की। सही है कि यह चर्चा इस बिल के अवसर पर की जा सकती है। वह बड़े अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, लेकिन इस संबंध में मैं उनको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह कांस्टीट्यूशनल राइट्स अगेंस्ट सैल्फ-इनक्रिमिनेशन को वॉएलेट नहीं करता है।

It says:

"No person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself."

यह जरूर है लेकिन यह इस टर्म्ड विटनेस को एविडेंस एक्ट की परिभाषा के परिप्रेक्षय में देखने की आवश्यकता है। आप स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़ केस से अवश्य परिचित होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है -

"There was no infringement of Article 20(3) of the Constitution in compelling an accused person to give his specimen handwriting or signature, or impressions of his thumb, fingers, palm or foot to the investigating officer or under orders of a court for the purposes of comparison."

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कहा है कि सैम्पल देने के लिए कम्पेल करने से आर्टिकल 20(3) का वॉएलेशन नहीं होता है। जब बिल प्रस्तुत हो रहा था तो विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा था कि यह बिल बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। इस बिल में स्टेक होल्डर्स को संज्ञान में नहीं लिया गया है और बिना पूरी चर्चा के बिल लाया गया है। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बात सही नहीं है। यह बिल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप और लॉ कमीशन के सुझावों के अनुरूप लाया गया है।

महोदय, लॉ कमीशन की 87वीं रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट जिक्र था कि आपराधिक जांच को आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ दो-तीन टिप्पणियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थीं, इसे मैं आपके समक्ष निश्चित रूप से रखना चाहता हूं। इससे पहले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि पहचान के उद्देश्य से एकत्र किए जाने वाले मेजरमेंट को सीमित नहीं रखा जा सकता है और वैज्ञानिक ज्ञान का फायदा लेते हुए मेजरमेंट की श्रेणियों को निरंतर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। विधि आयोग ने यह भी कहा था कि अपराधों के संबंध में इस तरह के सबूत एकत्र करने की आवश्यकता हो सकती है। उनका विस्तार करने की आवश्यकता हो सकती है और जिन व्यक्तियों का मेजरमेंट लिया जाना है, उनका दायरा भी विकसित किया जा सकता है।

महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश बनाम रामबाबू मिश्रा के केस में उल्लिखित है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी सिहत किसी भी व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर और लेखन देने का निदेश जारी करने की शिंक मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रितेश सिन्हा बनाम यूपी राज्य में वर्ष 2019 में न्यायिक व्याख्या करते समय विचार व्यक्त किया था कि जब तक संसद द्वारा सीआरपीसी में स्पष्ट प्रावधान नहीं कर दिया जाता है कि एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी व्यक्ति के अपराध की जांच के लिए आवाज़ के नमूने को आदेश देने की शिंक्त को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि स्पेसिमेन सिग्नेचर, हैंडराइटिंग और वॉइस सैम्पल देने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने समीक्षा के क्रम में कही थी।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के आलोक में एनसीआरबी को यह काम दिया गया था कि वे प्रस्ताव की समक्षा करें और समीक्षा करने के क्रम में वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सम्पर्क स्थापित करके उनसे बातचीत करके और उसके साथ-साथ फिंगर प्रिंट ब्यूरों के जो निदेशक हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट दें। तदनुसार, एनसीआरबी ने राज्यों के अधिकारियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं। इसके साथ-साथ, वर्ष 2018 में फिंगर प्रिंट ब्यूरों के निदेशकों के साथ उन्होंने अखिल भारतीय सम्मेलन में भी चर्चा की। उन्होंने इस प्रकार की रिपोर्ट सबमिट की कि माप के दायरे को बढ़ाने और जिन व्यक्तियों के माप लिये जा सकते हैं, उनके दायरे को बढ़ाने में सभी एकमत हैं। सबकी राय है कि यह दायरा बढ़ना चाहिए। व्यक्तियों का भी दायरा बढ़ना चाहिए और जिन लोगों का माप लिया जाना है, उन लोगों का भी दायरा बढ़ना चाहिए।

जब यह बिल सदन में लाया गया था तो दूसरा बिन्दु उठाया गया था कि इससे फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात होता है, यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक दखलअंदाजी है और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-तीसरी और प्रवृष्टि-2 में दर्ज है कि समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार, जैसा आप सभी जानते हैं कि राज्य और केंद्र दोनों को है। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि माप आदि लेने का सीआरपीसी में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन, उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा था कि इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह जांच प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इसलिए, संसद की विधायी क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता है और यह अपराधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। अत: यह कहना उचित नहीं है कि केंद्र सरकार इस पर कानून नहीं बना सकती है और यह राज्यों के विशेषाधिकार का हनन है या राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखलअंदाजी।

'राइट टू प्राइवेसी' की सबसे ज्यादा बात की जाती है। आदरणीय मनीष जी ने पुन: इस बात को दोहराया है। 'राइट टू प्राइवेसी' सबके लिए बहुत महत्व रखने वाली चीज है। चाहे आप

ऑपोजिशन में हों या हम ट्रेजरी बेंच में हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 'राइट टू प्राइवेसी' निश्चित रूप से एक ऐसा राइट है, जिसकी कद्र सभी को करनी चाहिए। लेकिन, आपको स्वयं पता होगा कि 'राइट टू प्राइवेसी' एबसॉल्यूट नहीं है। It is subject to restrictions. आपको यह भी पता होगा कि किन परिस्थितियों में रेस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया जा सकता है। इन सारे बिन्दुओं पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में चर्चा की कि मॉडल जेल मैन्यूअल भी बन रहा है और राज्यों को भेजा जाएगा। बहुत सारे ऐसे बिन्दु, जो अभी उठाये गए हैं, उनका भी निराकरण हो जाएगा। इस संबंध में मैं ज्यादा न कहते हुए यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम की बात कर लीजिए, वहां सैंपल्स कलेक्शन के बारे में इतने स्ट्रिनजेंट रूल्स बने हुए हैं, जिनकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम उन बातों की चर्चा करें और उदाहरण दें, तो आपको स्वयं अंदाजा लग जाएगा कि दूसरे देशों में सैंपल कलेक्ट करने के लिए कितने स्ट्रिनजेंट रूल्स बने हुए हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

चूंकि विस्तार में जाने पर व्याख्या करना आवश्यक हो जाएगा। मैं इस संबंध में एक-दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे जजमेन्ट्स हैं, जिनमें राइट टू प्राइवेसी के आधार पर चैलेंज किया गया है। न्यायालय ने उन सारे चैलेंजेज़ को निरस्त कर दिया है। मैं यूनाइटेड किंगडम के पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, 1984 का विशेष रूप से अवलोकन चाहूंगा। चूंकि इसके सेक्शन 62 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंतरंग नमूने भी लिए जा सकते हैं, उसका भी प्रावधान किया गया है।

आपने मेजरमेंट की बात कही है। यदि इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण कोई शब्द है, तो मेरी समझ में वह मेजरमेंट है। मेजरमेंट में क्या-क्या चीजें इन्क्लूडेड हैं, आपने उसके बारे में बताया है और पढ़कर भी सुनाया है। उसको दोबारा से पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने धारा 107, 108, 109 और 110 के बारे में एक बात कही है। मुझे जितनी जानकारी है, जितना मैं समझता हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन धारा 107, 108, 109 और 110 के अंतर्गत

गुड बिहैवियर के लिए बाउंड डाउन नहीं किया जाता है। धारा 117 के अंतर्गत ही गुड बिहैवियर के लिए बाउंड डाउन किया जाता है। जब धारा 117 में बाउंड डाउन किया जाएगा या जमानत देने के लिए कहा जाएगा, तब ही यह अट्रैक्ट करेगा अन्यथा अट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसकी आप बात कर रहे थे।...(व्यवधान)

किन-किन व्यक्तियों का नमूना लिया जा सकता है? जो कन्विक्ट हैं, उनका नमूना लिया जा सकता है। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है, उनका नमूना लिया जा सकता है, जिसने भी कॉग्निजेबल अफेंस किया है, उसका नमूना लिया जा सकता है या जो प्रिवेन्टेड सेक्शन में अरेस्ट हुआ है, उसका भी नमूना लिया जा सकता है। इसमें जो प्रोविजू है, आपने उसका उल्लेख विस्तार से नहीं किया है। प्रोविजू में यदि कोई महिला या किसी बच्चे के विरुद्ध अपराध नहीं किया गया है या ऐसा अपराध नहीं किया गया है, जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा हो, वैसे व्यक्ति को बायोलॉजिकल सैंपल देने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जाएगा।

आपने कहा है कि एनसीआरबी के द्वारा 75 वर्षों तक रिकार्ड का संधारण किया जाएगा। यहां तो अविध भी निर्धारित की गई है। बहुत सारे देशों में तो एक बार रिकार्ड आ गया, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई प्रोविजन नहीं है, वह हमेशा चलता रहेगा। यहां जो अविध निर्धारित की गई है, मैं समझता हूं किसी को उस पर बहुत ज्यादा आपित नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह किसलिए कहा गया है।...(व्यवधान) दादा, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आपको बोलने का मौका मिलेगा।...(व्यवधान)

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो अपराध की रोकथाम के लिए, उसके डिटेक्शन के लिए, उसके इन्वेस्टीगेशन के लिए, उसके प्रॉसिक्यूशन के लिए रिकॉर्ड को हासिल करेगा। वह स्टेट से भी हासिल करेगा और डिफरेन्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेन्सीज़ से भी हासिल करेगा, उसको स्टोर करेगा, प्रिजर्व करेगा, उसको शेयर, उसको एनॉलाइज करेगा, तािक भविष्य में होने वाले अपराधों और अपराध कर्मियों के विषय में इस आधार पर ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके।

मैं एक अंतिम बात कहकर अपनी भाषण समाप्त करना चाहूंग। लॉ कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा-निर्देश दिए हैं और राज्यों से जो विचार-विमर्श हुआ है, उसमें पाया गया है कि बहुत सारे प्रोविजन्स में चेंजेज़ की आवश्यकता है।

विभिन्न राज्यों के द्वारा इसमें जो संशोधन किए गए, उसमें भारी अंतर है इसलिए इस बिल को कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए इस सदन में पुर:स्थापित किया गया है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि एक हेड कॉन्स्टेबल या एक वार्डन रैंक का पदाधिकारी इन मेजरमेंट्स को ले सकता है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे पूरा विश्वास है और मैंने निश्चित रूप से पुलिस के 38 साल के कार्यकाल में बहुत सारे अवसरों पर देखा है, उस आधार पर मैं यह बात कह रहा हूँ कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों को सुलझाने में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बहुत सालों से न्यायालयों में उचित साक्ष्य के अभाव में मामले लंबित रहते हैं, उनको भी गतिमान बनाने में यह बिल मील का पत्थर साबित होगा। इसी धारणा और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill.

Sir, I rise to oppose the Bill and will strongly vote against the Bill in the current form. I feel that it is anti-people and anti-federal. I would have appreciated if the Home Minister had brought the law *en masse* to ensure that all the antique laws which were brought by the Britishers are given a new effect, but they seem to be cherry-picking, cherry-picking whichever laws they want to change and, that too, if they feel that they can terrorise the country. Let me tell you the reason behind my saying 'terrorise the country'.

Right now, I have the data which was published in the *Prison Statistics* of *India Report, 2020* which was released on 31st December. The total capacity

of our prisons is 4,14,033. The present occupancy is 4,88,511. So, there is 20 per cent over-capacity as far as occupancy is concerned. Out of this, the convicted people are only 1,12,589 and the people who are under-trials are 3,71,848. Literally, 70 per cent of the people, who are in the prisons, are under-trials. Basically, they have not got an opportunity to go and argue for themselves and, preferably, the punishment for the offences committed by them would have been petty, but they are still over-staying in the jail and our Home Minister is not worried about them and to get them out by bringing a new law because they are all antique laws. This will save the money for the Government and also bring up an order in the prison system.

Sir, I would have appreciated if the Home Minister had come out with data while bringing this Criminal Procedure (Identification) Bill and told that he would improve the efficiency of the Police Department and say that we will be able to identify the criminal within 24, 48 or 56 hours of the crime. It is not there.

Basically, this Bill is against the Fundamental Right to Privacy of a citizen which has been guaranteed by the hon. Supreme Court in the Justice Puttaswamy case. The Union Government is always doing it. I sometimes wonder whether the Home Minister and the Prime Minister have forgotten where they have come from. You are all coming from Gujarat. You were the Home Minister of the State of Gujarat and our Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat. At that time, you were against the Union Government taking over the rights of the State Governments.

The moment you come and sit in the Centre, you want all the powers to yourself. Let me tell you, Sir, that there is always a saying 'you cannot be a king throughout your life-time'. The political cycles keep changing. What happened to the Congress will now also happen to you, but do not feel that you will always be in power, taking all the powers from the States. We feel that you are getting into the rights of the States. The right to privacy is a Fundamental Right. I would like to ask him one thing. Are we trying to create a surveillance State? We have seen that in this present Government, a fear is being put amongst the civilians. You do that. First of all, the Data Protection Bill is yet to be tabled in this House. Before the Data Protection Bill is tabled, what is the rush for the Home Minister to come with this Bill?

Sir, I will also say that any Bill that collects data has to comply with rights of privacy. This is a decision of the Supreme Court. This Bill is not doing that. I would like to say that when the hon. Member from the Ruling Party spoke that this Bill is like the one in the USA and they are trying to do what the UK is doing, there is no protection of Fundamental Right in our Bill, in our law.

Let me tell you, every prisoner when he is arrested for a petty crime is made to sit in his underwear in the jail. Are we trying to change that? There are custodial deaths which are taking place throughout the country irrespective of the State Government which is ruling. Have you ever tried to address that? No, you are not worried about that. But when you try to collect a large amount of data of this kind, this brings a fear amongst us.

You are saying that this Bill will solve the crimes. But why do you want to hold the record of measurements for a period of 75 years? The charging section of the Bill provides that any police officer may insist upon measurements to be taken of any person who is convicted or who is just accused of an offence. It is open ended. It does not even prescribe any classification, on basis of the gravity of the crime or the nature of the crime, the length of sentence. Every citizen is entitled to privacy. But in any manner, the thumb impression, signature, everything is being taken. When such records are stored under the guise of investigation and are shared, there are large avenues of abusing the same and using the same. Yet, you claim to be upgrading the technology of a system which is double edged.

As a common man, I am concerned. Do you not feel that this will be misused, targeted against individuals? Your Government is known to target the minorities. Any law you bring, the first abuse is done to the minorities. We feel that this too will be used by your Government for the same. When you are bringing this law, I would like to ask the Home Minister, what about Lalit Modi, what about Nirav Modi, what about Mehul Choksi, what about Vijay Mallya. They all went under your nose through your airports which are guarded by you. What law did you bring to bring them back? How did you send them? You have not changed. For Lalit Modi, your own former Minister, your former Chief Ministers have given statements to the UK Government for his political asylum. This has been recorded. You cannot bring Lalit Modi back to India. Every time Lalit Modi's name comes, you would bring Vijay Mallya. But what about Lalit

Modi? Who are the BJP leaders who have given statements in support of his political asylum in the United Kingdom? There is no law for this. You may say anything but at the end of the day, you always believe in distraction. Whenever there is a major price rise or a fuel price rise and people are talking about fuel price rise, you want to derail and distract the entire Indian population so that we keep talking about this.

I would like to ask you this. In your law, the Delhi Police comes under the Union Home Ministry. The house of the present Chief Minister of Delhi Government was vandalised. What action has been taken? How many people were arrested? None. There are cameras there but no action has been taken. You yourself are in a Union Territory which is governed by the Home Ministry but you cannot do anything. What about the JNU riots or the Delhi riots? Nothing happened. There are so many cameras but you decided to keep quiet. You are always in a hurry to bring laws. When the COVID situation came, you accused the minorities. You wanted to blame somebody. ... (Interruptions) माननीय अध्यक्ष: आप सब्जेक्ट पर बोलिए। अगर गृह मंत्री जी आउट ऑफ सब्जेक्ट बोलेंगे, तो फिर आप मत कहना।

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, I am speaking on the subject.

You accused Tablighi Jammat saying that they were spreading COVID. You arrested the Malaysian citizens here. What happened then? In reciprocation, the Malaysian Government arrested the Indian civilians there. Every time you do something, it is having a reciprocal effect.

The devil is in the details. As an ordinary citizen, let me break down my concerns into three parts – what is the data being collected; whose data is being collected; and who is collecting the data. The Bill has defined 'measurements' to include an incredibly wide and loosely defined set of data points about individuals. You want to collect the expected medical examinations referred to in sections 53 and 53A of the Code of Criminal Procedure, 1973 which includes DNA, hair, etc. But you also want to collect palm-print impressions, impressions, foot-print finger impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, a loosely defined behavioural attributes including signatures, handwriting. If you intend to use this information in applied ways, are we not allowing the creation of the fundamental database and digital infrastructure for a police State?

There is a huge inroad into the right to privacy and is very loosely worded and open ended. This Bill is so broad that we fear it does not satisfy the two-fold check of necessity and proportionality.

Sir, this Bill causes great fear because it is the first step towards establishing the infrastructure needed to create a police state. The Bill also seeks to hold this data for 75 years. Once profiled, it will become a legal maze for an ordinary citizen to get his data removed from this database. Even if a person is arrested for a crime, be it for the smallest of a crime, the police can exercise the powers under this Act, and can insist that all the data must be taken, and only after the accused proves his innocence at all levels, the data

will be destroyed. Even if he proves his innocence, it will take 15 to 20 years, and it is not the finality. The Magistrate can still say that all the data preserved has to be preserved, and that will be there.

Sir, whose data is being collected? The Bill expands the ambit of persons whose measurements can be taken to include the persons directed by the Magistrate to give their measurements and allows police and prison officers to take measurements of any person.

Anyone who resists giving measurements will be considered under the offence, 'obstructing public servant in discharge of public functions', under Section 186 of the Indian Penal Code'.

Sir, see to what level does this Bill suggest developing profiles? It includes ordinary individuals who have not even been convicted of a crime. It includes suspicion. Any ordinary citizen who is accused or a person suspected of anything can be profiled to this extent. We are giving the Union Government sweeping powers. Already we feel that the Union Government is spying on the Indians with the Pegasus software which you failed to address. But it is a fact that the Israeli Government has accepted that they have sold Pegasus software to the Indian Government. We are already being surveilled with that. But nothing is spoken about it. The Chief Justice of India himself made an open statement saying that the CBI and Enforcement Directorate are not doing their job. They are either sleeping or overdoing. You are using your allies, allies do not mean political allies, but your CBI, your Income Tax Department, your Enforcement Department, your RAW, your NIA for all your political

games. Of late, you are using NCB also. NCB has also joined your alliance. Narcotics Bureau has joined your alliance. This is creating fear. ... (Interruptions). Sir, I am the only speaker. ... (Interruptions). We have already seen ordinary citizens being harassed in the name of religion, hatred and pseudo-nationalism and their Fundamental Rights to dignity are being trampled upon. How can we be sure this will not be used to profile groups of small citizens who want to go and make a protest for fuel price rise? They can also be arrested. Tomorrow, if people say, price of petrol has gone to Rs. 120, gas cylinder price has gone to Rs. 1000, if they go and protest, you might arrest them and start profiling them. Tomorrow, you might go for a preventive arrest. You are getting into every domain. My question is who is collecting the data? Sir, you seek to empower the National Crime Records Bureau of India to collect, store, and preserve the record of measurements for sharing, dissemination, destruction and disposal of records. Currently, as prisons and police are State subjects, how do you see the interaction between the two? Is this not an encroachment into a State subject? Apart from this, this present Bill confers unbridled power on the police officials and prison officials and always keeps the rights of the citizens on tenterhooks and at the mercy of different investigating agencies.

The Bill says that all the data that has been collected will be stored with the National Crime Records Bureau for the purpose of prevention, detection, investigation, and prosecution. All data samples collected will be stored at the national level, processed with relevant records and given to any law

enforcement agency as prescribed. I understand that prison management is a subject of importance, and you are naturally interested in consolidating the Centre's powers, but you cannot have such blatant disregard to the States' autonomy and independent functioning in such matters. I fear that this law could be misused. It is a fact that when the hon. Home Minister brought a law, Citizenship (Amendment) Bill in this House, I had raised a point to the hon. Home Minister. I said that you are not the Home Minister only for the North India, but for the entire India. When we said it, you laughed at us. You said it was not important. Today, we have an issue. Today, a tiny island, Sri Lanka is in severe economic crisis. Refugees are pouring into India. There is no law. There are Muslims who are also coming. But we pleaded with you not to do that, not to boycott Muslims, and to bring in inclusiveness. Today, we have a reality. Sir, in your own term as a Home Minister, you are realizing such impossible situations are happening across the world. COVID is bringing a lot of changes. But now, what are we doing? Those refugees who are coming to our country are being arrested. I request you to please have a wider scope. The law pertaining to data protection has to be tabled.

We have to know what data can be protected. Moreover, you clearly have to mention how you are going to protect this data. When this data is going to be given to multiple agencies, how sure are you that privacy of an individual citizen will not be misused? I am not talking like a lawyer and I am talking like a common man. How sure are you that my data will not be misused or given or sold? Right now, we see the Government webpages being hacked.

How can we be sure that you are bringing in systems to protect this data? Please do not be in a hurry. Please stop terrorising people. There is a need and there are other laws, which you have to bring. Keep this as a last priority. ... (Interruptions) Please send it to the Standing Committee. Let it go through the due process. I would request the Home Minister. Just like with CAA where you were in a hurry, and see what happened? Today, please do not be in a hurry in trying to terrorise people. I am sure that the hon. Home Minister will definitely give a good thinking on this and will not be in a rush after seeing whatever he has done. I respect the Home Minister. He does the right thing. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Speaker, Sir, I stand on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress, to oppose the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022, which was introduced by the Minister of State in this House last week. It was to repeal the original Identification of Prisoners Act, 1920. The introduction of this Bill was met with very vigorous protests by the Opposition, and in one of the very rare instances that I have seen that at the introductory stage of the Bill itself we had sought a Division.

The original Act of 1920 was passed by our British colonisers, and they did this in 1920 to control nationalist forces and increase surveillance. They had authorised authorities to take photographs, to collect footprints, to collect palm prints, finger prints of convicted people and also in certain cases non-convicted people and store them.

Now, how tragic or ironic is that a century later or 100 years later we have an elected Indian Government -- this is not a British era coloniser -- who claims to be more nationalistic than any of its predecessors, and today you are bringing in a law that is more intrusive, that collects more data than the original law, and has fewer checks and balances and fewer safeguards than even the British era law had. It is very ironic.

The stated objective of the Criminal Procedure Bill of 2022, which was introduced has set out in its Statement of Objects and Reasons that it is to update the law by taking into account new techniques of measurement and identification that had evolved over the last century. The Bill seeks to authorize Police and prison officers to take measurements of those who have been arrested, detained, convicted of any person directed by a Judicial or Executive Magistrate. The key words here are 'any person'. The Bill has redefined the term measurement to allow Police to take retina scans, iris scans, finger prints, palm prints, footprints, physical and biological samples and even behavioural attributes, which include signatures, handwriting, etc. So, anything that is referred to under section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure, 1973 falls within its ambit. Kindly remember that the original Act had only photographs, palm prints and finger prints. This has increased the ambit.

What is it that is so dangerous about this Bill? I am going to try and explain it in layman's terms so that everyone who is watching this can understand how this affects us. I remember opposing the UAPA Bill in those days standing here, and the hon. Speaker told me that why are you getting so

excited about this. ये तो आतंकवादियों के लिए है, and I remember answering saying that : "Sir, if this Bill comes in, tomorrow there is a risk of all of us becoming terrorists". The UAPA has been misused. Today, we have a fear that this Bill itself may be misused, which is why we are standing up today. ... (Interruptions)

सर, फिर डिस्टर्ब।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने क्या कहा था कि इतना क्यों विरोध कर रहे हो?

...(व्यवधान)

सुश्री महुआ मोइत्रा: वह रिकॉर्ड में है।...(व्यवधान) मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने यह कहा कि आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो?

...(<u>व्यवधान</u>)

सुश्री महुआ मोइत्रा: आपने कहा था कि आप इतना एक्साइटेड...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कभी भी अध्यक्ष के मामले में बोलते समय, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि बिना कोई ऑथेंटिक टिप्पणी के, आसन के बारे में न बोला करें।

सुश्री महुआ मोइत्रा: आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, रिकॉर्ड में है, आपने कहा था, ठीक है।

What is it that is so dangerous about this Bill? ... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, रिकॉर्ड रखना चाहिए, बिना रिकॉर्ड रखते हुए, आसन के खिलाफ कैसे बात कर सकते हैं।...(व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA: The record is there in the Lok Sabha archives. ... (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: No, you have to put it on record. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : पहले सदन स्थगित करके रिपोर्ट...।

...(<u>व्यवधान</u>)

SUSHRI MAHUA MOITRA: I can show you. ... (*Interruptions*) It is there in the speech. ... (*Interruptions*) Let me finish, and I will show the speech. ... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी: आपको रिकॉर्ड की कॉपी रखनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको आग्रहपूर्वक कहा है कि कभी भी सदन के...।

...(व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, if it is not in the records, then you can expunge it. ... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA: If it is not in the records, expunge it. ... (Interruptions)

SHRI PRALHAD JOSHI: Is it so simple? ... (*Interruptions*)

SUSHRI MAHUA MOITRA: Why should they expunge it? ... (*Interruptions*) It is a fact. ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : पहले बोल दीजिए, फिर एक्सपंक्शन करिए यह कोई तरीका है।

... (<u>व्यवधान</u>)

SUSHRI MAHUA MOITRA: I stand by my word. ... (*Interruptions*)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Sir, you allow her to speak. ... (*Interruptions*)

16.00 hrs

श्री प्रहलाद जोशी: सर, इसका लाइव टेलीकास्ट होता है। ऐसे ही नहीं होता है।... (व्यवधान) सुश्री महुआ मोइत्रा: सर, मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा है।... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): क्या अध्यक्ष जी ने विरोध किया, आप यह बताओ।... (व्यवधान) आपकी बात का अध्यक्ष जी ने तो विरोध नहीं किया न?... (व्यवधान)

SUSHRI MAHUA MOITRA: Hon. Speaker Sir has already addressed me, Mr. Meghwal. Please, I would advise you to let me speak. Thank you. ... (*Interruptions*) Hon. Speaker Sir has spoken; there is no need for you, Nishikant *ji.* ... (*Interruptions*) Please sit down. Hon. Speaker has addressed me, and I have accepted it.

This law is being proposed in the absence of any overreaching data protection law, which India so desperately needs today. Five years ago, we mentioned the data protection law, it has still not been brought in. You are saying that there has been an advance of technology in the last decade, which is why, we need to repeal it. But with the advance of technology, there is a flipside; the State has got even greater powers of surveillance. So, when we in this house authorise any legal expansion of the ambit of the powers, we need to ensure that these powers can be controlled and regulated.

The old Act was only photographs and fingerprints, now you added retina, biological samples, behavioural attributes, etc. So, we are signing up, basically all of us, on much greater powers of the State. So, we need to put in very solid safeguards. This bill has no such safeguards

The mala fides of this Bill are apparent, not only the unconstitutional provisions it seeks to enforce. It also seeks to blur out any and old distinction between an undertrial, a detainee or suspect and a convict. It is using the

words, "a person involved in any crime". It is a very broad sweep. The expansion of this ambit of the laws allows arrest of persons for any offence, which include the people under preventive detention laws. Therefore, the privacy of individuals who are not convicted of any wrong doing is being put at the mercy of the State. I would like to quote Faiz Ahmed Faiz, who said, "तीर-ए-इल्जाम भी, संग-ए-दुश्राम भी।" So, you are not only putting 'ilzam', you are also giving us infamy.

The 1920 law enabled the taking of measurements from convicts, sentenced to a prison term of at least one year; anyone arrested on a charge that attracted a prison term of only one year; and thirdly, one who has furnished a bond for good behaviour. This present Bill includes all convicts, and anyone arrested under any law or detained, even under preventive detention. It is increasing the offences from a minimum of one year to seven years imprisonment under Section 3.

As Mr. Tiwari pointed out, the proviso to Section 3 is very poorly drafted. If it is intended to mean that the person who has been arrested with an offence punishable with less than seven years, it is a good thing. However, the word 'may' itself is an escape route because when you use it with the power of the Magistrate to order the taking of measurements, it is nullifying this beneficial aspect of this proviso. So, Section 3 read with Section 5 and the introduction of preventive detection is making this far more draconian than the existing law. I would really request you to look into this. So, I suggest the word 'may' in Section 3 be changed to 'shall'. It may be clarified that under Section 5, the

Magistrate has no power to direct a person arrested for offences punishable with less than seven years. Otherwise, Section 3 is completely nullified. Another dangerous thing about this Bill is, the average life expectancy of Indians is 69.6 years. You are permitting the retention of records for 75 years.

And you are allowing the National Crime Records Bureau, the NCRB, to share and disseminate personal data with any law enforcement agency. This violates the best practices of data protection which is the principle of purpose limitation, which means that you can collect the data legitimately for one purpose but it must be used for that purpose. It cannot be used for another purpose. This is a very vague term in this Bill – it says, investigation and prosecution of crime. You can have agencies all over the country with no purpose limitation having access to your personal data and the collection of personal data for some crimes it may be very necessary. We understand that. But there is no distinction between those crimes and other crimes. It is a very wide sweep, which can be very dangerous.

This Bill will make the *thanedar* – the dreaded *thanadar* - even more dangerous. It is a virtual *carte blanche* to the police for sample collection. The old 1920 Act authorises police officers of the rank of sub-Inspector and above. This new Bill is letting police officers not below a Head Constable and Prison Officers not below the rank of a Head Warden to take measurements. So, it is a no holds barred threshold. If you refuse to take these measurements, it is an offence under Section 186 of the IPC, which is obstruction of duty by public

servant, as Mr. Maran pointed out. Now, this Bill is allowing the police and the prison officials to collect measurements regardless of the refusal.

This is a violation of Fundamental Rights. This is going to shut out any dissent. This is the vagueness and overbreadth of several provisions which is extremely concerning. But there is no appeal mechanism. If the Magistrate is directing it, there is no appeal mechanism against the decision of the Magistrate. The most dangerous and insidious aspect of this proposed law is the grouping of those booked under preventive detention. So, Indian citizens like all of us sitting here in the Opposition can be arrested or detained even before the commission of any act of criminality. You may think we will do something. You may think we will say something and we could be put under preventive detention. So, before doing anything, you can take me and I will be grouped with those arrested for serious offences and convicts.

So, if this becomes a law, we are going to enter a full-fledged police State. Any opposition will be brutalised into silence. That is something we must safeguard against. The Home Minister says, "Trust us". Yes, we would like to trust you but even in UAPA, look at its misuse. You brought in this Bill to increase the misuse. I was looking at Mr. Kishan Reddy who was our hon. Minister of State for Home Affairs putting out the numbers and if you look at the increase in the number of UAPA cases from 2016 to 2019, 5000 cases were registered and 7000 people were arrested during the period of 2016-19 but only 2.2 per cent of cases registered resulted in convictions. Politicians arrested under preventive detention in Kashmir after the revocation of Article

04.04.2022 845

370 were 177 including 71 from National Conference and 35 from PDP. When the CAA protests happened, 1100 people were under arrest, and 5,500 were kept in preventive detention. There was a 28 per cent increase in the number of sedition cases filed each year. Each year, 28 per cent increase between 2014 and 2020! Look at the arrest and detention of journalists in India. I was reading a report by the Free Speech Collective, it said that in the last ten years, 154 journalists in India were detained and arrested. 67 of these were in 2020 alone.

I am going to now quote something from the Supreme Court judgment in the State of Andhra Pradesh vs. Challa Ramkrishna Reddy, year 2000:

"The Right to life is one of the basic human rights. It is guaranteed to every person by Article 21 of the Constitution and not even the State has the authority to violate that right. A prisoner, be he a convict or undertrial, a detenu, does not cease to be a human being. On being convicted of crime and deprived of their liberty with the procedure established by law, prisoners still retain the residue of constitutional rights."

Our democracy, however flawed, seeks to give each Indian equal rights as human beings. Our laws are based on the principle of 'innocent till proven guilty'. I will quote the poet Javed Akhtar:

"मुझे दुश्मन से भी ख़ुद्दारी की उम्मीद रहती है किसी का भी हो सर क़दमों में सर अच्छा नहीं लगता।" 04.04.2022 846

This Bill places the privacy of individuals at the mercy of the State, and allows for the retention of personal data with no framework for data protection whatsoever. I appeal to the Government and to the hon. Home Minister to send this Bill to a Standing Committee for further deliberations if you do not take it back.

16.09 hrs

(Shri A. Raja in the Chair)

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवादा महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 पेश किया गया है, हम इस बिल का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं इस बिल का विरोध करते हुए, साथ-साथ माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए।

इस बिल का भविष्य में जो दुरुपयोग होने वाला है, अगर उसकी तरफ आप गंभीरता से देखें, तो इस बिल को आप स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर करें। उस स्टैंडिंग कमेटी में पूरी तरह से बहस होने दीजिए, उसके बाद बिल पर निर्णय लेने के लिए आप इस सदन में फिर आ सकते हैं। बिल पेश करते वक्त माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि कानून को मजबूत करने हेतु और दोष सिद्ध होने में मदद करने हेतु यह विधेयक लाने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से की गई है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इससे दोष सिद्ध तो नहीं हो सकते, लेकिन यह मानवता के ऊपर आघात करने वाला और इंसानियत नष्ट करने वाला बिल सिद्ध होगा। यह बिल राइट टू प्राइवेसी का हनन करने वाला है। ऐसे बिल पर सदन में या स्टेंडिंग कमेटी में लाकर जब तक अच्छी तरह से बहस नहीं होगी, तब तक मानवता के ऊपर आघात करने वाला बिल सदन में पास होने का मतलब इंसानियत के प्रति क्रूरता हो सकती है। यह बिल इंसानियत नष्ट करने वाला है इसलिए शिव सेना की तरफ से हम इस बिल का विरोध करते हैं।

महोदय, संविधान के माध्यम से हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। कई एजेंसियों का दुरुपयोग करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का काम आज जिस तरह से हो रहा है, यह अच्छा नहीं है। आज कानून में बदलाव करने का काम किया जा रहा है, इसलिए इसके दुष्परिणामों की चिंता भी करनी चाहिए। वर्तमान में जितने भी आरोपी पकड़कर जेल में रखे गए हैं, उनमें से 71 प्रतिशत अनट्रायल अपराधी हैं जिनके ऊपर आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन वर्षों से वे जेल में हैं। पिछले हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने भी चिंता जताई है कि इतनी बड़ी संख्या में 10-15 सालों से जो अपराधी अंडर ट्रायल हैं, उनका क्या भविष्य होगा? जिन लोगों ने छोटा-मोटा अपराध किया है, उनके ऊपर समय से मुकदमा न चलने की वजह से जेल में बंद रहने से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, ऐसे अपराधियों को कुछ राहत देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि वे सुधर कर अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकें। हमारे मराठी में एक कहावत है - 'आगेतुलू टून पोपटा टकला।' ऐसे आरोपियों की मदद करने की बजाय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो चिंता व्यक्त की, उसे हल करने की बजाय और कैसे अपराधियों को कानून के माध्यम से ज्यादा परेशान किया जाए, इस बिल के माध्यम से यह काम किया गया है। सभापति जी, दि क्रिमीनल प्रोसीजर आईडेंटीफिकेशन बिल, 2022 के माध्यम से पुलिस अथॉरिटी या प्रीजनरी अथॉरिटी के माध्यम से फिजिकल एंड बॉयोलोजिकल सैम्पल्स इनक्लूडिंग रेटीना एंड आईरिस स्कैन भी ले सकते हैं और ये सैम्पल्स लेने का अधिकार पुलिस कांस्टेबल को दिया गया है।

वह अपने दिमाग से पकड़े हुए सभी आरोपियों को इस कानून के माध्यम से परेशान कर सकता है। आईरिस, रेटीना या बॉयोलोजिकल टेस्ट या सैम्पल इकट्ठा करने की जो अथॉरिटी फाइनल करनी चाहिए थी, वह न करके पुलिस के हैड कांस्टेबल को यह अधिकार दिया गया है। वह अपना दम दिखाने के लिए सभी को इस कानून के माध्यम से परेशान कर सकता है। आज नाकों टेस्ट करने के लिए भी जाते हैं तो भी आरोपियों की सहमति लेनी आवश्यक है। इस बिल के माध्यम से चाहे सहमति हो या न हो, इजाजत हो या न हो, लेकिन उस पुलिस स्टेशन का हेड कांस्टेबल कहेगा कि हम आपकी जांच करने के लिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कितनी तरीके की

04.04.2022 848

जांच हो और कितना सैम्पल ले रहे हैं, इस कानून के अंदर यह स्पष्ट नहीं है। सारे राजनीतिज्ञों का, सारे सामाजिक कार्यकर्ता का अलग-अलग तरीके के आंदोलनों में हिस्सा तो रहता ही है। आज महंगाई बढ़ चुकी है। डीजल, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं और महंगाई आसमान छू रही है। इसके खिलाफ सभी आंदोलन करते हैं। ऐसे लोग चाहे दंगा-फसाद करें या न करें, पुलिस वाले आते हैं और पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। उन पर धारा 144 के तहत केस दर्ज करते हैं। उन्हें 107 का नोटिस देते हैं और उसके बाद उन्हें जमानत देनी पड़ती है।

सबसे बड़ा असर इस बिल के माध्यम से होने वाला है। जिन पर धारा-107, 108, 109 और 110 ऐसी सामान्य धाराओं के माध्यम से प्रेकॉशनरी कुछ सावधानी लेने के लिए पुलिस स्टेशन के माध्यम से वर्तमान में जो प्रॉविजन है, ऐसे लोगों का रेटिना भी इस कानून के माध्यम से लिया जाएगा, आइरिस ली जाएगी तथा और भी कुछ न कुछ जो पर्सनल डेटा कलेक्शन करना है, वह सभी करने के लिए उस पुलिस स्टेशन का हेड काँस्टेबल हमेशा तैयार रहेगा।

सभापित महोदय, आज चाहे धारा-107 हो या धारा-110 हो, जैसा कि मनीष तिवारी जी ने कहा कि एक चॉल में एक सामान्य नल के ऊपर झगड़ा हुआ, तो भी पुलिस वाले उसे धारा-107 और 110 का नोटिस दे देते हैं। यदि ऐसे मामलों में भी धारा-110 के अंतर्गत शांति भंग का नोटिस लोगों को मिलता है और उनका भी डाटा कलेक्शन करने का काम संबंधित पुलिस स्टेशन वाले करें, तो भविष्य में भारत माता के सुपुत्रों की जो निजी आजादी है, उसकी रक्षा कौन करेगा? अगर इस सभागृह में ऐसा बिल पास हुआ, तो निजी आजादी रहेगी ही नहीं। यह मनुष्यता नहीं है, बिल्क यह क्रूरता है। इसीलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि संविधान के माध्यम से हम सारे देशवासियों को मौलिक अधिकार मिला है, किसी की मेहरबानी से नहीं मिला है। क्या सरकार इस बिल के माध्यम से संविधान को तोड़ने-फोड़ने पर विचार कर रही है? बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान इस तरह नहीं बना कि किसी ने पेन लिया, लिखा और संविधान बन गया। ऐसे संविधान नहीं बना है। 350 लोगों की संविधान पीठ के माध्यम से कई वर्ष अध्ययन करके भारत का संविधान लिखा गया है।

04.04.2022 849

इस संविधान के कारण हम स्वतंत्र होकर भारत में जी रहे हैं। ऐसे संविधान की रक्षा करना शासनकर्ताओं का कर्तव्य है, लेकिन दुर्भाग्य से संविधान को इस विधेयक के माध्यम से तोड़ने का काम हो रहा है, इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करके एक बार फिर से वही बात कहना चाहता हूं, जैसा कि मारन साहब ने कहा कि हम आपसे विनती कर रहे हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है, जिसका सीधा असर भारत के सभी 130 करोड़ देशवासियों पर होने वाला है। इस तरह के बिल को लाने की जबरदस्ती मत करें। इस पर सोचें, अध्ययन करें और इस पर बहस और चर्चा करें। कानून को और मजबूत करने तथा दोषसिद्ध करने हेतु जो-जो आवश्यकताएं हैं, वे जरूर करें, लेकिन सही तरह से सोच-समझकर करें, जबरदस्ती मत करें। धन्यवाद।

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir, for allowing me to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. This Bill basically seeks to repeal the Identification of Prisoners Act, 1920 which is an age-old Act where only fingerprints, palmprints and other basic things were collected from suspects or other people. The Identification of Prisoners Act, 1920 is a very basic law. The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 has been brought in for us to be in line with the global standards and for our investigation agencies to be on a par with the other advanced countries. It basically provides the necessary statutory backing for the agencies to go ahead with investigation.

One thing that we can understand from this Bill is, it can also protect the innocent people. It can save the money of the Government. It can save resources of the Government. It will also save time spent on investigations. We have seen cases remain unsolved for years together. In foreign countries, with the help of various advanced techniques, they are able to catch hold of

the culprits even after ten or fifteen years. So, we have to be in line with the global standards. We should adopt modern strategies. Clause 2(b) of the Bill mentions biological samples and their analysis in the definition for It can be inferred that DNA falls under this definition of measurements. Almost 70 countries around the world have central DNA measurement. database. It is not something new, or something which only India has. I think, we should go ahead with the central DNA database. We should collect samples. This will deter the serial offenders from committing more heinous crimes, and will also help in solving the cases faster. In 2018, the Home Ministry had launched the National Database of Sexual Offenders, NDSO, which includes names and other details. This has greatly helped in curbing the offenders. Similarly, this Bill also provides for database for other criminal offenders, which is a welcome move. If such a database is there, it can strengthen the law enforcement agencies.

I would like to suggest a couple of things. Everybody has shown a serious concern about two things. This Bill should not be used as a means for political witch-hunt. The hon. Home Minister should convince the whole House that this Bill will not be used for political witch-hunt. DNA profiling also, which is a sensitive thing, should be used purely for serious crimes and for counter terrorism purposes only.

The other important question is, how safe is the data which is being collected. The data should not be misused. The hon. Home Minister should assure the House that this data will not be misused. With these suggestions, I

would like to support this Bill on behalf of the YSR Congress Party. Thank you very much.

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhartruhari Mahatab.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Oh, have you called my name?

HON. CHAIRPERSON: You have given your name to speak.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I was waiting for my predecessor from JD(U) to speak. Thank you, Sir.

This reminds me of the deliberations that we had twenty years or to be precise twenty-two years ago when the then Deputy Prime Minister, Shri L.K. Advani, being the Home Minister, had moved a Bill, which was an Ordinance by that time, Prevention of Terrorists Ordnance (POTO). Subsequently, it became POTA. At that time, Lok Sabha, of course, passed it in a hurry. It got stuck up in Rajya Sabha. Subsequently, for the second time, a Joint Session was called to pass the Bill. In the Central Hall, we all debated again on this Bill. I am reminded of that. I will come to that aspect a little later.

The Central Procedure (Identification) Bill, 2022 intends to replace the Identification of Prisoners Act, 1920. This Bill enables the police to collect finger prints, photographs, iris scans, and a range of biological identity samples from individuals. It authorises the National Crime Records Bureau to create a central repository of this evidence and share it with the law enforcement agencies. On the face of it, this 2022 Bill appears to be broader, and a more modern version of its colonial predecessor.

But is such a law too intrusive? That is the question which is being debated here in this House. Is such an intrusion consistent with the Constitution? These are the two major questions which need to be discussed.

Sir, crime prevention is a core function of the Government. But to be constitutionally valid, the law must be validly enacted and must serve a legitimate purpose, and any curtailment of Fundamental Rights, for this purpose, must not be excessive. This is a delicate balancing act usually achieved by narrowing the scope of intrusive provisions, and by introducing safeguards to prevent abuse. As intrusion into an individual's right increases to combat crime, laws must put in place stronger safeguards to prevent abuse. Curiously, this Bill has gone the other way. It allows the police to collect samples not only from convicts but also, from those arrested or even detained under any preventive detention law. This blanket provision, which distinguishes between a local *goonda* -- who is detained when a dignitary is visiting -- and those convicted by terror offences, is not there.

More worryingly, even if a person has never been arrested in connection with an ongoing investigation, a Magistrate can order their samples to be collected. This has the potential to create a comprehensive profile of all the citizens in this country. Is this what the Government wants?

Today, my predecessor speakers have discussed about the Data Protection Bill, which is pending before the Government. The Joint Committee has already given its report. With regard to the DNA Bill also, the Standing Committee has already given its report to the Government. This Bill too is

pending. If these two major Bills could have come before the House and could have been passed, then it would have been easier for us to accept the provisions that are there in this Bill. I think, the Government may think over it.

Hon. Chairperson, Sir, back in the year 1980, the Law Commission of India in its 87th Report and the hon. Supreme Court of India in a judgment titled 'State of Uttar Pradesh versus Ram Babu Misra', had nearly simultaneously suggested the need to amend the statute. There is no doubt about it. However, we find the devil in the details, with three expansions in the power of the State's surveillance. First, the definition of measurement is not restricted to taking measurements. It also includes, 'analysis'. The definition now states, 'iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioural attributes including signature'. This definition is nebulous and vague. It goes beyond the scope of law which is designed for taking measurements. The definition of physical and biological samples and I quote, "physical and biological samples", is not provided in the definition provision of this Bill, and inarguably extends to the collection of DNA samples -- a Bill which is there since 2019. The Standing Committee has raised concerns about privacy and profiling.

The second area which concerns the expansion of surveillance is, 'from whom such measurement can be gathered'. The existing law permits data capture by police and prison officers either from persons convicted or from persons arrested for offences punishable with a minimum of one year imprisonment. Parallel powers are granted to the judges or the Judiciary who

can order in aid of investigation. While judicial power is left undisturbed, it is the power of the police and prison officers that are being widened through this Bill. It is expanded to all the persons who are placed under arrest in a case.

The Bill contains muddled language. Mark my words, it contains, 'muddled language', stating that a person and I quote:

"...may not be obliged to allow taking of his biological samples."

I think Dr. Nishikant Dubey will agree with me. He has heard me saying this many a time. English is a very funny language. If you read it three times, you will get three definitions especially the draft, that is prepared by the legislative department. जो ड्राफ्ट बनाते हैं लीगल फ्रेज़ का, यह उसी हिसाब से एक व्यवस्था है। मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रोविज़ो लिखा गया है, "may not be obliged to allow taking of his biological samples" यह दोनों तरफ से होगा। This, on surface offers a choice to a person to refuse. However, the words 'may not be obliged' may also be read to offer discretion to a police officer to confer such a choice. This choice may not be truly voluntary when there is absence of accountability in our police practices.

The third area of concern is this. The data base of the measurement which is gathered would be kept for 75 years and is to be destroyed earlier if the person is discharged or acquitted. I am of the belief that the concern expressed in this House over privacy and safety of the data is significant. Such practices that involve the collection, storage and destruction of vital details of a personal nature ought to be introduced only after a strong data protection law. Sir, India has a long history of State Governments because

ultimately this Bill when becomes an Act will be implemented by the State police. Only in a few instances, the Central Government will be enforcing this Bill, that is, when it becomes an Act. It will be implemented by the State police and we all know, most of us have the experience that police departments in the State hound the opponents. The Bill needs to provide enough checks and balances to prevent abuse of its provisions by police to harass or implicate innocent persons. Neither it dwells on unauthorised access to stored data nor misuse of data by the police

Lastly, Sir, I would draw the attention of the House to the Bill where it is mentioned and I quote:

"Any other examination referred to in Section 53 and 53(a) of Criminal Procedure Code."

These are the two provisions in Cr.P.C. which is very loosely worded. If you go through, you will find.

Sir, you yourself are very much aware about the legal terminology. What does it say? 'Such other tests which a registered medical practitioner thinks necessary' these are the words and you are giving so much of wide scope to the police officer and to the registered medical practitioner to allow the person to do the mapping.

I conclude by saying this, that is, by quoting a small paragraph from a very famous book. I had quoted long before, I think 22 years before when the POTA Ordinance was being debated in the Joint Session of both the Houses.

"It was the best of times; it was the worst of times; it was the age of wisdom; it was the age of foolishness; it was the season of light; it was the season of darkness; it was the spring of hope; it was the winter of despair; we were all going directly to heaven; we were all going the other way."

These were the first few lines of a famous novel 'Tale of Two Cities' describing about the year 1789. Are we in that situation today? Something is not dark or white. It is a mixture. Yes, we are fighting against terrorists.

We want to control them but at the same time, are we doing something which will protect innocent citizens? There, actually the crux of the issue lies. We have to bring a balance and here, in this Bill, that balance is lacking.

Thank you, Sir.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me this opportunity. I would like to begin my speech by quoting the Father of the Nation, Mahatma Gandhi and with his conviction, I quote him. He said:

"It was not impossible to practice law without compromising truth."

With a cautionary note, he said, "even truthfulness in the practice of profession cannot cure it of the fundamental defect that vitiates."

Sir, law and order, as we all know, is a State subject. The State that I come from is a very peace-loving State. I respect what Mahtab ji said. But normally the State where I come from, the laws are not used against opponents politically. That is the culture that we come from. I hope, we all live like that. It is because politics is about ideological differences and not about personal decisions. From what you read or what is happening or what most of my colleagues have spoken, there are really some concerns about this Criminal Procedure (Identification) Bill. I am not completely against it, let me put it on record. हम, हमारा राज्य इसके खिलाफ नहीं हैं।

We have concerns and let me raise them. *Carte blanche* I cannot say कि यह बहुत अच्छा बिल है, and we support it 100 per cent. The answer is `no'. The concerns are, it violates article 20(3) of the Constitution of India; the concerns are, it violates article 21 of the Constitution of India; it violates the Right to be Forgotten and violates the Right of Prisoners. These are the

serious concerns, which the hon. Home Minister, in his initial speech said that he will definitely clarify. These are my pointed questions.

The other concern is that the Bill in the present form is in the dictum that is laid down by the Supreme Court in a case Selvi *versus* the State of Karnataka. This has already been objected to by the Supreme Court. The Supreme Court is not even a mile away. I hope we do not make some legislation which is struck down by the hon. Supreme Court in a few days. I am sure the intention of the Government is very good. Even from the State where I come from, we are completely open to doing these identification tests. We support it. But how far we want to go is the question that we need to ask ourselves.

The other point that most hon. Members have made is about the Data Protection Law. I totally agree with them. We have put the Horse before the Cart. All the earlier speakers have referred to it. I am not going to talk about it, but I would like to raise this point.

The next point is about the detainees. Now, it is being presumed that people are guilty. I want to put this on record. There are two laws like this which we have brought in. The hon. Member, Shrimati Mahua Moitra ji spoke about the UAPA about which she has serious concerns. I would like to refer to the PMLA. We were a part of that Government when this legislation was brought in. I still remember the BJP was in the Opposition and Shri Dubey is sitting here today. I would like to remind the House about the speech that he made. He said that the Government is bringing in the PMLA but it is a

Draconian law and warned that it should not be done and that it can be misused. Unfortunately, with all humility, I say this that the PMLA is a law which is misused in this country. Guilty must be punished. But according to this Constitution, everybody is innocent till he/she is proven guilty. So, is it fair to arrest somebody without having even finished the entire enquiry? I just hope that all these data are not misused. It is my personal opinion that PMLA is something that we should have thought through so that it was never misused. That exactly takes us back to the thought of what the Father of the Nation said – put yourself on the other side when you make the law because you are always not going to be here and a legislation is good when it is fair, equal and just and within the purview of the Constitution. So, I would like the hon. Home Minister to think of all these aspects.

Sir, on the question of narco-analysis and brain mapping, you have been in power at the Centre and also in the State and you know that brain-mapping and narco-analysis are not necessarily good. It is not that it necessarily brings out the truth. The Government will be saving all such data and those data will be misused. I am not saying that this will be done by this Government. Any Government in the country can misuse it. There are selective leaks in this country. Sometimes, the media knows more about enquiries than we know. How does these happen? Can one imagine that with these kinds of data available and the leaks that happen and with no data protection law, what can it be like? It will be completely crazy. People will misuse it all the time.

Sir, I am not against what they are trying to do. Let me put it on record. But we have to draw a line. Like Mahtab ji has said, it is absolutely true. Where are we going to draw the line of who and how? Otherwise, from a terrorist to a petty thief who has probably robbed Rs. 100 from your wallet, are you going to use the same law for both of them? Are you going to go in for finger prints? And do we have the labs and the technicians to do it in the first place? I think, this entire Government should think about these things.

There are two small stories which I would like to share. I come from a State where police do exceptionally good work and the relationship between police and citizens is not about fear. It is about love and respect. हमें उस वर्दी का अभिमान है। हमको हमेशा लगता है कि जैसी तुम्हारी फैमिली है, उसका एक्सटेंशन हमारी महाराष्ट्र की पुलिस है।

I would like to put it on record two or three very good success stories without any such lab. I would like to mention about Shri Ankit Goyal and Shri Somay Munde. They are our officers in Gadchiroli. They went into a naxal area called Mardintola. They are SP and Additional SP in Gadchiroli. They killed 26 naxals in Chhattisgarh and Madhya Pradesh. They are two young officers with young families and young children. What outstanding work they have done? We have worked together with this Government. It happened on 12th November, 2021. It happened in a naxal area and one of the aspirational districts. Even the Home Ministry gives us funding to improve the situation. What more can we do for each other is what we should be discussing now.

There is another case, namely, the Nirbhaya Fund. 'निर्भया फंड', जिसे केन्द्र सरकार हर राज्य को देती है। We should see how well we have used it. I say this with a lot of pride in my heart that the Maharashtra Police, especially in Nasik, Mumbai and Pune, has started Nirbhaya Squad. This Nirbhaya Squad is a surveillance squad in which the response time is about ten minutes and within half-an-hour, she gets help and she is taken to a police station. There are 200 officers and 800 lady constables working under it. We have counselling for them. We have covered children of beggars and all the vulnerable people, whether they are children or women and whoever needs help under the Nirbhaya Fund. We have walked an extra mile for them and it is a great success story. This is what we want to discuss and expect the Home Ministry to work with us.

There is another story of Tejaswini Satpute. She is one of our women leaders. She is SP in Solapur. Illicit liquor is such a big challenge and in Solapur, she did something called Operation Parivarthan. All the women over there, men and families were involved in illicit liquor for years. उनका पूरा परिवर्तन कर दिया है। She used the entire infrastructure, she gave them guidance, she gave them loans, she used the skill development machinery and all these people, who were booked as criminals before, just by a good social impact and an economic impact, have changed.

So, you do not necessarily need Acts all the time. Why are we putting this fear in people by bringing in so much legislation? Legislation is here to serve the people. Government is here to give good law and order and protection to people and not put fear in people.

I would like to ask just two pointed questions to this Government. These are few success stories in which, without much legislation, the police and the State have absolutely delivered superior results in my State. Why can we not expand on these instead of bringing more micro managing into peoples' lives and without any protection of data for them?

टेनी जी, अभी आप यहाँ हैं। जिस दिन आप यह बिल ला रहे थे, उस दिन आपने कहा था कि इस बिल का पर्पस मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और कन्विक्शन बढ़ाने के लिए है।

दूसरा, आपने कहा कि जो बोटलनेक कन्विक्शन में आते हैं, उनमें इससे सुधार होगा। लेकिन, सिर्फ डेटा बढ़ाने से कन्विक्शन कैसे बढ़ेगा? How did you come to this conclusion or did the Department come to this conclusion that just by bringing in more data, we will solve more cases? Anyway, he or she is identified. And how will women be protected? There are young children, there are women. With this micro managing of their data, taking their DNA samples, doing their brain mapping and narco testing, how can you help them? How will you give confidence to these people? सब डर जाएंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेशन होम मिनिस्ट्री में लाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए है। हमारे यहाँ हमेशा कहते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में एक औरत जाती है तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि. वह उसका मायका है। जब डोमेस्टिक वायलेंस की केस आती है तो उसको लगना चाहिए कि अगर मुझे कहीं न्याय मिलेगा तो वह मुझे पुलिस देगी। इस हिसाब से जब आप इतना मैंपिंग करेंगे, उनको डराएंगे, उनका डीएनए टेस्ट करेंगे, जब इतना सारा करेंगे तो लोग पुलिस से भय के कारण थोड़ा डर जाएंगे।। हमें वर्दी से प्यार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Danish Ali may speak now.

Danish Ali ji, you have another Member to speak from your Party.

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for allowing me to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.

सभापित महोदय, मुझे वह दिन याद आ रहा है, जब लोक सभा में ही टाडा और पोटा डिसकस हुए थे। फिर इसी सदन ने अपनी गलती मानी और उन दोनों एक्ट्स को रिपील किया। लेकिन, तब तक बहुत देर हो गई थी और बहुत सारे बेगुनाह लोग उन ड्रेकोनियन लॉज़ के शिकार हुए। इस सदन में एक सदस्य बृजभूषण सिंह जी हैं, जो आज मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे भी टाडा लॉ के दुरुपयोग के शिकार हुए थे।

सभापित महोदय, पुलिस में रिफॉर्म्स हों, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज़ हो या एजेंसी हो, हम इसके विरोधी नहीं हैं। आतंकवादियों पर, देश विरोधी ताकतों पर सरकार अंकुश लगाए, हम उसके पूरे तरीके से समर्थन में हैं। जब-जब भी यह बात आई, कोई भी सरकार रही हो, इस सदन ने एकमत होकर फैसला किया। हम छात्र आंदोलन से निकलकर आए हैं। हमें याद नहीं इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन में कितनी ही बार जिंदाबाद-मुर्दाबाद करते हुए, आंदोलन करते हुए अरेस्ट हुए होंगे, डिटेन हुए होंगे और रिलीज हुए होंगे। यहां बहुत सारे लोग ऐसे उच्च पदों पर बैठे हैं, जो 19 महीने मीसा में भी रहे हैं। यह जो कानून लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत घातक होंगे।

सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि क्या आप भारत को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं? आप किसको पॉवर दे रहे हैं? इस बिल में कहा है कि एक हेड कांस्टेबल अगर चाहेगा, तो आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल कर सकता है। डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी नहीं आया है। यह कंट्राडिक्शन है। डाटा प्रोटेक्शन की क्या हालत है? मैं एक मोबाइल रखता हूं, वही सरकार है, वही प्राइवेट है और उसी पर सबसे बातें होती है। उस पर पता नहीं दिन

में कितनी मार्केटिंग कॉल्स आ जाती हैं? यह हालत इस देश में डाटा प्रोटेक्शन की है। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा?

सुप्रिया जी ने कहा कि महाराष्ट्र में राजनैतिक द्वेष से कार्रवाई नहीं होती है। यह अच्छी बात है। I complement. सुप्रिया जी, सारे राज्य ऐसे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग राजनैतिक स्कोर सैटल करने के लिए होता है। यह सब जानते हैं। आपने भी ऊपरी दिल से यह बात कही है, लेकिन जो सच्चाई है, वह हम सब लोग जानते हैं कि दुरुपयोग क्या होता है?

इसमें एक और क्लॉज है। मान लीजिए, आप किसी प्रोटेस्ट में जाते हैं और दारोगा जी आपसे खफा हो गए। आप मना करते हैं कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं कराना चाहते हैं। आपके रेटिना का, डीएनए का, बाल का, हर चीज की आइडेंटिटी लेने आएंगे, लेकिन आपने मना कर दिया, तो सैक्शन 186 में एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा - सरकारी कार्य में बाधा। यह तो वह बात हो गई कि गये थे नमाज पढ़ने, रोज़े भी गले लग गये।

जो आंदोलनकारी होंगे, उनके साथ देश में यह होगा। आप यह करना चाहते हैं कि इस देश में कोई आवाज न उठे। आंदोलनकारी जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वे अपने घर बैठ जाएं और कोई आवाज न उठाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम लोग यहां बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। गृह मंत्रालय कई बिल्स लेकर आया। वर्ष 2019 में यूएपीए यहां डिसकस हो रहा था।

मैंने उस वक्त भी कहा था कि इसका मिस्यूज होगा और आज यह साबित हो रहा है कि कितने निर्दोष लोग यूएपीए के तहत जेलों में बंद हैं। जो लोग सिटीजनिशप अमेंड्मेंट्स एक्ट के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनको झूठे यूएपीए का केस लगा कर जेलों में बंद कर किया गया है। ऐसे अनेकों छात्र आंदोलनकारी हैं, जिनके खिलाफ चार्टशीट फाइल नहीं हुई है। दो-दो साल हो गए हैं लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है और उनको जमानत भी नहीं मिल रही है।

सभापित महोदय, इस सदन में ऐसा कोई बिल पास न हो जिसका आने वाले वक्त में दुरुपयोग हो। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से फिर अपील करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसको स्टैन्डिंग कमेटी में भेजिए। इस पर आगे डेलीब्रेशन हो और तब फिर दोबारा इस बिल को सदन में लाया जाए। ऐसा न हो, जैसा पहले का इतिहास रहा है, जल्दबाजी में लाए गए बिल से लोगों के राइट्स का भी हनन हुआ है और अल्टीमेटली सरकार को उसे रिपील भी करना पड़ा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

كنور دانش على (امروبہ): Thank You very much, hon. Chairpreson Sir, for .allowing me to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022

محترم چیرمین صاحب، مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے، جب لوک سبھا میں ہی ٹاڈا اور پوٹا ڈِسکس ہوئے تھے۔ پھر اسی ایوان نے اپنی غلطی مانی اور ان دونوں ایکٹس کو ریپیل کیا۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو گئی تھی، اور بہت سارے بے گُناہ لوگ ان ڈریکونین قانون کے شکار ہوئے۔ اس ایوان میں ایک ممبر برج بھوشن سنگھ جی ہیں، جو آج مجھے دکھائی نہیں دے رہی ہیں، وہ بھی ٹاڈا قانون کے درپیوگ کے شکار ہوئے تھے۔

چیرمین صاحب، پولس میں ریفارمس ہو، ماڈرنائزیشن آف پولس فورسز ہو یا ایجینسی ہو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ آتنک وادیوں پر، ملک مخالف طاقتوں پرسرکار انگش لگائے، ہم اس کے پورے طریقے سے سپورٹ میں ہیں۔ جب جب بھی یہ بات آئی، کوئی بھی سرکار رہی ہو، اس ایوان نے ایک ہو کر فیصلہ کیا۔ ہم چھاتر آندولن سے نکل کر آئے ہیں۔ ہمیں یاد نہیں اس پارلیمینٹ اسٹریٹ کے پولس اسٹیشن میں کتنی بار زندہ باد۔مردہ باد کرتے ہوئے، آندولن کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہوں گے، ڈیٹین ہوئے ہوں گے اور ریلیز ہوئے ہوں

گے۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ جو 19 مہینے میسا میں بھی رہے ہیں۔ یہ جو قانون لایا جا رہا ہے، بل لایا جا رہا ہے، اس کے دورگامی نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔

چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ بھارت کو پولس اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو پاور دے رہے ہیں؟ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ہیڈ کانسٹبل اگر چاہے گا، تو آپ کا پورا آئیڈینٹی فِکیشن پروفائل کر سکتا ہے۔ ڈاٹا پروٹیکشن بِل ابھی نہیں آیا ہے۔ یہ کنٹر اڈِکشن ہے۔ ڈاٹا پروٹیکشن کی کیا حالت ہے؟ میں ایک موبائل رکھتا ہوں، وہی سرکاری ہے، پروٹیکشن کی کیا حالت ہے، اور اسی پر سب سے باتیں ہوتی ہیں۔ اس پر پتہ نہیں دن میں کتنی بار مارکیٹنگ کالس آجاتی ہیں؟ یہ حالت اس ملک میں ڈاٹا پروٹیکشن کی ہے۔ آپ جو ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟

سپریا جی نے کہا مہار اشٹر میں سیاسی بدلے کی بھاونا سے کاروائی نہیں ہوتی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ کومپلیمینٹ سپریا جی، ساری ریاستیں ایسی نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے پولس کا غلط استعمال سیاسی اسکور سیٹل کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں۔ آپ نے بھی اوپری دِل سے یہ بات کہی ہے، لیکن جو سچائی ہے، وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ۔۔ درپیوگ۔۔۔۔۔ کیا ہوتا ہے؟

اس میں ایک اور کلاز ہے۔ مان لیجیئے آپ کسی پروٹیسٹ میں جاتے ہیں اور دروغہ جی آپ سے خفا ہو گئے۔ آپ منع کرتے ہیں کہ آپ اپنا آئیڈینٹی فرکیشن نہیں کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے ریٹینا کا، ڈی۔این۔اے۔ کا ، بال کا، ہر چیز کی آئیڈینٹٹی لینے آئیں گے، لیکن آپ نے منع کر دیا، تو سیکشن 186 میں ایک اور مقدمہ درج ہو جائے گا۔ سرکاری کام میں بادھا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی کہ گئے

نماز پڑھنے روزے بھی گلے لگ گئے۔ جو آندولن کاری ہوں گے، ان کے ساتھ ملک میں یہی ہوگا۔ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی آواز نہ اُٹھے۔ آندولن کاری جو ہیومن رائٹس کی باتے کرتے ہیں، وہ اپنے گھر بیٹھ جائیں اور کوئی آواز نہ اُٹھائے۔

محترم چیرمین صاحب، میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ وزارتِ داخلہ کئی بِل لے کر آیا۔ سال 2019میں یو۔اے۔پی۔اے۔ یہاں ڈِسکس ہو رہا تھا۔

میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کا مس یوز ہوگا اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کتنے بے گُناہ لوگ یو۔اےپی۔اے۔ کے تحت جیلوں میں بند ہیں۔ جو لوگ سٹیزن شِپ امینڈمینٹ ایکٹ کے خلاف آندولن کر رہے تھے، ان کو جھوٹھے یو۔اےپی۔اے۔ کے کیسز لگا کر جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے کئی طلباء آندولن کاری ہیں، جب کے خلاف چارج شیٹ فائل نہیں ہوئی ہے۔ دو دو سال ہو گئے ہیں لیکن چارج شیٹ فائل نہیں ہو رہی ہے اور ان کو ضمانت بھی نہیں مل پا رہی ہے۔

چیرمین صاحب، اس ایوان میں ایسا کوئی بل پاس نہ ہوجس کا آنے والے وقت میں غلط استعمال ہو۔ میں آپ کے ذریعہ سے معزز وزیرِ داخلہ جی سے پھر اپیل کروں گا کہ آپ اس پر پھر سے دوبارہ وچار کریں، اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی بھیجئے۔ اس پر آگے ڈیلیبریشن ہو اور تب دوبارہ اس بل کو اس ایوان میں لایا جائے۔ ایسا نہ ہو جیسے پہلے کی تاریخ رہی ہے، جلد بازی میں لائے گئے بل سے لوگوں کے حقوق کی تلفی ہوئی ہے اور الٹی میٹلی سرکار کو اسے ربییل بھی کرنا پڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ

HON. CHAIRPERSON: No cross talks please.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Gaurav Gogoi.

... (Interruptions) ... *

HON. CHAIRPERSON: Please maintain silence in the House.

श्री गौरव गोगोई (किलयाबोर): सभापित महोदय, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर बिल के स्टेट्मेंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन्स में विवरण नहीं किया गया है। किसी भी कानून को अच्छा या बुरा सिर्फ पढ़ कर नहीं कह सकते हैं। कानून का उपयोग या दुरुपयोग करने वाली जो सरकार है, उसका हिस्टोरिक रिकार्ड और आचरण देख कर हम कह सकते हैं कि यह कानून भविष्य में सहयोग में आएगा या इस कानून के द्वारा विपक्ष की आवाज को कुचलने की कोशिश होगी।

आज इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं और हम बहुत सारे प्रश्न उठा सकते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रश्न उठा सकते हैं, संवैधानिक रूप से प्रश्न उठा सकते हैं, सुशासन के आधार पर प्रश्न उठा सकते हैं। सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र का मंदिर चार स्तम्भ पर खड़ा होता है, Executive, Legislature, Judiciary and Media and we want all four pillars to be strengthened. But only if the Executive is strengthened without proportionate strengthening of Legislature, Judiciary and Media, then the temple of democracy is vulnerable. Therefore, this Bill is a classic case where the Executive is giving itself more powers. But the same proportionate power is not given to the Legislature. When checks and balances are not there, that is when

.

^{*} Not recorded.

a democratic State can be an autocratic State and that is something which we have to be careful of. With advent of technology, with advent of new tools, the Government has much more powers than what it did in 1920 with loads of surveillance technologies, including technologies like Pegasus. This Government has powers that no other Government in the past has had. Therefore, the question of checks and balances and parliamentary scrutiny become that much more important and that is why, I make my party's demand right at the outset that this Bill should be sent to the Standing Committee for it to be evaluated very comprehensively.

Sir, then, there is also the constitutional question which has been outlined by my senior colleague Shri Manish Tewari on Article 14, Article 16, Article 21, and Article 23. In addition, the Puttaswamy judgement outlined three basic principles of proportionality, suitability and necessity. Please tell us how have those three tests been implemented in this Bill when you are talking of storage of records.

महोदय, सैद्धांतिक रूप से प्रश्न है, संवैधानिक रूप से प्रश्न है और सुशासन के रूप में प्रश्न है, जिसका उल्लेख विरष्ठ सांसदों ने किया है कि यहां डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। डेटा बेस मैनेजमेंट क्या होगा? सैंट्रल लैवल हो या स्टेट लैवल हो, उसका विवरण नहीं है। आज की तारीख में डीएनए लॉ भी मिसिंग है। जब सराउंडिंग ईको सिस्टम नहीं है तो ऐसे बहुत से प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस बिल को लेकर जल्दबाजी मत कीजिए। हम सब चाहते हैं कि पुलिस कर्मचारियों के हाथ में और ताकत आए। हम सब जानते हैं कि पुलिस कर्मचारी बहुत कठिन परिस्थित में कार्य करते हैं इसलिए उनको मदद की जरूरत है। आज कानूनी व्यवस्था में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन आप उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बिल नहीं लाए हैं।

Today, there are a large numbers of acquittals. There is a large volume of under-trials, who are not facing the trials; and are languishing in jails. There is fatigue among police officers. They are underpaid. They are overworked. They do not have the necessary tools. So, there is so much that you can bring, in order to strengthen the arms of law enforcement agencies, but it is unfortunate that this Government always brings Bills that can only be politicised and be used to harass its political opponents.

We have talked about the UAPA. In your reply, please give how many hardcore terrorists have been caught under UAPA and how many students and petty activities have been caught? Please tell us, how many persons have been arrested under the Sedition Act. Unfortunately, Sir, there are Ministers who talk about shooting people. गोली मारने वाले, स्लोगन देने वाले लोग हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जेएनयू का उल्लेख किया गया है और भी विभिन्न उल्लेख किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आज मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न कानून को लेकर नहीं है। मूल प्रश्न है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है या नहीं? बहुत अफसोस की बात है, अगर वर्ष 2014 से सरकार का रिकॉर्ड देखें तो दुरुपयोग होने की और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेज़ है, इसलिए हम इस बिल को लेकर चिंता प्रकट कर रहे हैं।

महोदय, 87वें कमीशन की बात कही गई। Sir, in the 87th Law Commission Report, when they talk about categories of persons whose measurements can be taken, they talk about convicts, convicts of offences punishable with rigorous imprisonment for a term of one year or they talk about convicted under specified offences like Section 19 of the Dangerous Drugs Act.

This is the recommendation of the 87th Law Commission. आपने सारे दायरे हटा दिए। किसी भी ऑफेंस के लिए कोई भी कन्विक्ट हो सकता है, किसी भी ऑफेंस के लिए अरैस्ट हो सकता है या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को भी इस कानून के अंदर लाया गया है।

आप पर बार-बार लांछन आ रहा है कि क्या यह सरकार पुलिस स्टेट होना चाहती है? क्या सर्विलेंस स्टेट होना चाहती है? हमारे नागरिकों के संवैधानिक अधिकार, जो संविधान से मिलते हैं, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश को नागरिकों को अधिकार दिए हैं, क्या उन अधिकारों का हनन करना चाहते हैं; छीनना चाहते हैं? Secondly, there was a measurement that the magistrate could order. In the old Bill of 1929, the magistrate said: "That no order shall be made under this Section unless the person has, at some time, been arrested in connection with such investigation or proceeding..."

So, there has to be prior arrest which was there in the 1929 law, and also it was reiterated in the 87th Law Commission Report. But, now, in your Bill you have given the magistrate far more powers than what had been recommended by the 87th Law Commission. अब आप बोल रहे हैं 'The magistrate can order collection of measurements of any person whether or not arrested.'

आप हमें बताएं और 87वें लॉ कमीशन का जरूर जिक्र कीजिए कि उन्होंने जो रिकमेंडेशन्स दिए, उससे बाहर क्यों गए? एग्जीक्यूटिव ओवररीच क्यों हो रहा है?

महोदय, तीसरी बात सैंट्रलाइजेशन की है। आप चाहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में पूरा डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। कहीं न कहीं जब लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है और पूरा डाटा नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो में आता है, इस पर मुझे माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी की एक पुरानी बात याद आती है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब यूपीए सरकार ने नेशनल काउंटर टेररिज्म काउंसिल का उल्लेख किया था। मोदी जी आज की तारीख में देश के प्रधान मंत्री हैं, उस समय

उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते नेशनल काउंटर टेरिंग्जम काउंसिल का विरोध किया था कि यह संघीय ढांचे पर एक आक्रमण है।

17.00 hrs

आज ये जो स्टेट का पूरा डाटा है, इसको नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स में लाना है, तो उस समय मुख्य मंत्री के रूप में मोदी जी ने जो कहा था, क्या आप उस बात के अनुकूल नहीं हैं? यह मैं जानना चाहता हूं। आप विभिन्न देशों की बातें करते हैं। भाजपा के प्रथम प्रवक्ता ने कहा कि यूएसए, यूके और दूसरे देशों में भी ऐसे लॉज हैं।

मैंने माना कि यूएसए और यूके में ऐसे कुछ लॉज हैं, जिनमें ये सारा डाटा ले सकते हैं। लेकिन, आप उनका इको सिस्टम भी देखिए। यूएसए में जब एक पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी का डेरेलिक्शन करता है, जार्ज फ्लॉयड के केस में जब एक पुलिस कर्मचारी के एक्शन से एक आदमी मर गया, तो उसका ट्रॉयल जज कोर्ट में हुआ और उसको सेंटेंस मिली। यहां पर क्या होता है?

यहां अरुणाचल प्रदेश के दो बच्चों को आर्मी गोली मार देता है, कुछ नहीं होता है। मोन डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड में 14 लोग मारे जाते हैं, कोर्ट ऑफ एन्क्वॉयरी बैठी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप यूएसए और यूके की बात करते हैं, लेकिन, वहां का इको सिस्टम, वहां की ऑफिसेज की ट्रेनिंग, वहां के ऑफिसर्स पर सुपरविजन जैसी व्यवस्था यहां पर कहां है?

अफस्पा के अंदर आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में दो शूटिंग की घटना हुई, लेकिन हमें पता नहीं है। मोन डिस्ट्रिक्ट की शूटिंग में कुछ नहीं पता कि कितने कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं? आपने कितने ऑफिसर्स को पकड़ा?

यूके में पुलिस ऑफिसर्स अपने हर डिसीजन राइटिंग में रखते हैं। यूएसए में पुलिस ऑफिसर्स अपने आर्मर में बॉडी कैमरा रखते हैं, तािक वहां हमेशा लीगल चैजेंज हो सके। आप भी हमारे कर्मचारियों को सशक्त करने के लिए वैसी तकनीक और वैसा एक इको सिस्टम बनाइए। आप उनको ट्रेनिंग दीिजए, उनको अस्त्र दीिजए और उनकी जो पगाड़ है, उसको बढ़ाइए। उसके बाद, आप यूएसए और यूके के साथ कम्पेयर कीिजए। इसीिलए, मैं बार-बार बात करता हूं।

04.04.2022 873

The Home Minister has given us no assurance that this Bill will not be abused and that is the central question. Therefore, on the basis of Constitutional propriety, on the basis of propriety of Indian principles, on the basis of propriety of governance, I demand that this Bill should be sent to the Standing Committee.

Thank you.

KUNWAR DANISH ALI: Sir, according to Rule 349, a Member shall not wear or display badges of any kind in the House (except the National Flag in the form of a lapel pin or a badge).

सर, यहां पर इस सदन में कैबिनेट मिनिस्टर अपनी पार्टी का सिम्बल लगाकर टोपी पहनकर आते हैं।... (व्यवधान) आप फुटेज निकालिए और उनको डायरेक्शन दीजिए कि यह अलाऊ नहीं है। ... (व्यवधान)

सर, यह इस सदन को क्या बनाना चाहते हैं? क्या आप इसे पार्टी का दफ्तर बनाना चाहते हैं? इसकी कुछ तो मर्यादा है। यह ऑन रेकॉर्ड है। आप फुटेज निकालिए। I challenge it.

सर, आप फुटेज निकालिए और इनको डायरेक्शन दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please take your seat.

... (Interruptions)

श्री गौरव गोगोई: सर, आप इस पर रूलिंग दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: We are discussing about the Bill.

... (Interruptions)

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, the rules cannot be suspended during a discussion.... (*Interruptions*) The code of conduct cannot be suspended during a discussion. ... (*Interruptions*) यह कहां पर लिखा है कि डिबेट के दौरान हम सारे रूल्स का उल्लंघन कर सकते हैं?

कुंवर दानिश अली : सर, यह सदन रूल से चलता है। ... (व्यवधान) इनको माफी मांगनी चाहिए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, your point is well taken.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will discuss it later, after completing this Bill.

... (Interruptions)

KUNWAR DANISH ALI: Sir, let the Minister clarify. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: No, he removed it.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Your point is honoured by the Member himself.

Please, there should be no further discussion.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Shri Satya Pal Singh.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): सभापित महोदय, मैं आपके आसन से थोड़ी प्रेरणा लेना चाहता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने, विशेष रूप से श्री गौरव गोगोई जी, श्रीमती सुप्रिया जी और दानिश अली जी ने कुछ ऐसी बातें रखी हैं, आपके आसन पर जो लिखा हुआ है, मैं उससे अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आपके आसन पर लिखा है कि 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय'। यह सदन और हम सभी लोग यहां पर इसलिए बैठे हैं कि धर्म का, सच्चाई का, न्याय का, इंसाफ का हम लोग प्रचार और प्रसार कर सकें, उसी का काम करें और यहां पर हम लोग ऐसे ही कानून बनाएं।

इंसाफ किसको दिया जाए? इंसाफ इस बात का है कि जो लोग अपराधी हैं, उनको दंड दिया जाए। जो अपराध के शिकार हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको न्याय मिले। ये सेंसेटिविटी चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा ने इस बात पर बहुत जोर दिया है, अगर हम एक ऐसे राज्य और समाज का निर्माण करना चाहते हैं कि जहां सुख-समृद्धि और शांति रहे, वहां दो बातें साथ-साथ करनी पड़ेंगी। हमारे वेदों में लिखा है कि 'इन्द्रं वर्धन्तो अपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। अपन्धन्तो अराव्णः'।

अगर आप एक श्रेष्ठ देश का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमको अच्छे लोगों के साथ खड़ा होना होगा, अच्छे कानून बनाने होंगे, अच्छी पार्टी के साथ खड़ा होना होगा। उसके साथ ही साथ जो दुर्जन हैं, अपराधी हैं, गुंडे हैं, हमको उनका दमन करना होगा। इसीलिए हमारे पुलिस वाले, यहां

पर सुप्रिया जी बैठी हुई हैं, मैंने महाराष्ट्र पुलिस में 34 साल काम किया है। हमारी महाराष्ट्र पुलिस का वाक्य है कि 'सद् रक्षणाय, खल निग्रहणाय'। सज्जनों की रक्षा करना और दुर्जनों का दमन करना है। यह कैसे संभव होगा? दुर्भाग्य से कई लोग इस बात को कह रहे हैं, जब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने इस बिल के बारे में कहा है कि इन अपराधियों पर कैसे नकेल कसी जाए, ये बिल इसलिए लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

इस देश के अंदर हो क्या रहा है? हम जिसको किन्वक्शन रेट बोलते हैं, जिसको दोष सिद्धि बोलते हैं, कोलोनियन कानूनों के कारण या जैसा कि गौरव गोगोई जी बोल रहे थे कि हमारा इको सिस्टम ठीक नहीं है, तो हम अपने इको सिस्टम को कैसे ठीक करें, इसलिए मैं अपनी बात को इस विषय पर रख रहा हूं। इस देश के अंदर जो किन्वक्शन या दोष सिद्धि रेट है, वह अभी भी आईपीसी में केवल 14.35 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि लगभग 85 प्रतिशत अपराधी सजा से बच जाते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां पर केवल 1.5 प्रतिशत लोग जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। मर्डर के अपराध में केवल 41 प्रतिशत लोगों को सजा होती है। रेप के अपराध में केवल 39 प्रतिशत लोगों को सजा होती है। रेप के अपराध में केवल 39 प्रतिशत लोगों को सजा होती है। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उसमें लगभग 28 प्रतिशत लोगों को ही सजा मिल पाती है।...(व्यवधान)

दादा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। आपके पश्चिम बंगाल में तो हालत बहुत ही खराब है। वहां तो निर्दोष लोग भी जेल चले जाते हैं, उनको सजा मिल जाती है। दोषी लोग बाहर रहते हैं और निर्दोष लोग अंदर चले जाते हैं। इसलिए एक सामान्य आदमी का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है।

लोग इसके कई कारण बताते हैं कि पुलिस वाले ठीक से इन्वेस्टीगेशन नहीं करते हैं। वे साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन नहीं करते हैं। एक कारण यह भी बताया जाता है। पुलिस वाले साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन कर सकें, उनके पास इतना डेटा हो कि कौन क्रिमिनल है, कौन कर रहा है, कौन रिपीट अफेंडर हो सकता है, ये डेटा उनके काम आएगा। बहुत बार निर्दोष लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है, कुछ लोग अपनी दुश्मनी के कारण लोगों का नाम ले लेते हैं। कई

बार पॉलिटिक्स के अंदर भी जो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उनके नाम दिए जाते हैं, उनको आरोपी बनाया जाता है, ऐसे लोगों को बचाने का काम भी ये कानून करने वाला है।

जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई अपराध होता है तो उसके संबंध में कहीं फिंगर प्रिंट मिलता है, कहीं पर फुट प्रिंट मिलता है तो कहीं पर किसी का फोटोग्राफ मिलता है, चूँकि कई बार एक सबूत से काम नहीं चलता है। आजकल के जो अपराधी हैं, वे आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। वे आज ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं इसलिए यह बिल यहां पर लाया गया है, जिससे हम अलग-अलग मेजरमेंट्स का डेटा बना सकें। अगर एक से बात नहीं बनती है तो पुलिस मल्टीपल मेजरमेंट्स यूज करके अपराधियों का पता लगा सकती है और उससे हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ सकता है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सर, क्या यह एक्ट दाऊद इब्राहिम को कंट्रोल कर पाएगा?... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair. Please do not yield to anybody. Please address the Chair.

डॉ. सत्यपाल सिंह: मेरा सदन से निवेदन है, चूँकि आज ऐसा हो रहा है कि हमारा जो क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम है, जिसकी बात हम बार-बार कर रहे हैं कि लॉ किमशन ऑफ इंडिया ने जो 87thरिपोर्ट दी थी। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि इस देश का जो क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम है, वह बहुत ही कॉलोनियल है और यह अपराधियों के फेवर में heavily tiltedहै। अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपराधियों के फेवर में है और हम उसी की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे इस सदन से लेकर जूडिशियरी तक हम यह मानते हैं कि he is innocent unless proved quilty.

हमारे इस देश के अन्दर हम जिसे वाद-प्रतिवाद प्रणाली बोलते हैं, इसमें एक प्रकार से हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन होता है और दूसरी साइड से डिफेंस काउंसिल होते हैं तो इस प्रकार का हमारे यहां पर सिस्टम था। इस देश के अन्दर इतनी गड़बड़

क्यों होती है? क्यों इस देश का कंविक्शन रेट इतना कम है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे पूर्व के राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो कोर्ट हैं, "Court is not a cathedral but a casino." वे कहते हैं कि हमारे कोर्ट न्याय के मंदिर नहीं, बल्कि जुआघर हैं। यह जो मैं इस सदन में कह रहा हूँ, वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के.आर. नारायणन ने बोला है।

While addressing the Judicial Officers of this country, he said, "Court is not a cathedral but a casino where so much depends on the throw of the dice." उन्होंने कहा कि कौन पासे कैसे फेंकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। "There so much depends on the throw of the dice. Mysterious are the ways of justice." यहां पर जो इंसाफ होता है, उसके बहुत रहस्यमय तरीके हैं।

SHRI GAURAV GOGOI: Sir, any comments on the judiciary or any court at best be avoided.

DR. SATYA PAL SINGH: It has already been quoted. ... (Interruptions) बहुत बार कोट हुआ है।... (व्यवधान) मैं तो नाम लेकर कोट कर रहा हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You please address the Chair.

प्रो. सौगत राय: आपको यह नहीं करना चाहिए।... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: दादा, आप बैठ जाइए।... (व्यवधान) सभापित महोदय, मैं उस बात को यहां पर ले रहा हूँ, जिसकी गौरव गोगोई जी ने खुद चिंता व्यक्त की है कि हमारे यहां पर ईको सिस्टम नहीं है। हमारा कन्विक्शन रेट बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है और इसीलिए मैं यहां पर कोट कर रहा हूँ। हमारे पूर्व राष्ट्रपित जी ने कहा कि "Judges are not here to do justice."यहां पर जिस्टस न्याय करने के लिए नहीं हैं। "But to decide cases according to evidence on record."

SHRI GAURAV GOGOI: He is making allegation against the court.

DR. SATYA PAL SINGH: It is not allegation.

HON. CHAIRPERSON: We will check the record.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL (MEERUT): He is quoting the ex-President of India. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do not make comments on the judiciary.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : यह व्यवस्था के खिलाफ है।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will check the record, please.

SHRI RAJENDRA AGRAWAL: No, he speaks about the system and not against the person.

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: We will check the record.

डॉ. सत्यपाल सिंह: हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. आर. कृष्णा अय्यर की बात हमारे किसी साथी ने भी कही थी। आप जिस ईको सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वी. आर. कृष्णा अय्यर जी ने जो कहा, उनका एक आर्टिकल है, आप उसे पढिए। मैं उसे कोट करता हूँ।

"Sans the punitive rule of law, democracy becomes a rope of sand... India is not a soft State, a sick society, a pathologically submissive polity. In this darkling national milieu, the penal law and its merciless enforcement need strong emphasis. Alas! the criminals are on the triumph, the police suffer from "dependencia syndrome" and integrity is on the decadence and the judges themselves are activists in acquittals of anti-social felons. Less

than ten percent of crimes finally end in conviction and societal demoralization is inevitable."

यह बहुत पहले की बात है। यहां अच्छे स्ट्रॉग कानून बनने चाहिए और उनका ठीक से एनफोर्समेंट होना चाहिए। सर, ये जनरल बातें हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज, चीफ जस्टिस भी इन बातों को कह चुके हैं। जैसे मैंने पहले कोट किया, एक्स-प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात पर चिन्ता जाहिर की कि जैसा हमारा इकोसिस्टम चल रहा है, जैसा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, इस पर हमें बहुत गंभीर चिन्ता करने की बात है। जैसा मैंने पहले कहा था, जब हमारे पास डेटा आएगा, जब हमारे पास मेजरमेंट्स आएंगे, उन मेजरमेंट्स के आधार पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा दिलवा सकेंगे, साइंटिफिक इनवेस्टिगेशन होगी, उनको सजो मिलेगी, जो निर्दोष लोग होंगे, वे बचेंगे। मैं कह रहा हूं कि पुलिस का डर नहीं होना चाहिए। सुप्रिया जी बोल रही थीं, मैं कह रहा हूं कि पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, लेकिन कानून का डर जरूर होना चाहिए। जब कानून का डर होगा कि अगर तुम गड़बड़ करोगे और कल तुम्हारे डेटा से तुम पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल तुम फंसने वाले हो, तो निश्चित रूप से समाज के अंदर क्राइम कम होगा, अपराध कम होगा, ऐसा मैं मानता हूं।

सर, मैं इसी सदन की एक अन्य बात कोट कर रहा हूं, इसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। दादा, आपके पश्चिम बंगाल से श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी इसी सदन में बहुत सीनियर सदस्य थे और उस समय के माननीय गृह मंत्री थे। उनकी एक बात मैं कोट कर रहा हूं। यह बात उन्होंने वर्ष 1997 में इसी सदन में बोलते हुए कही थी। उन्होंने कहा था :

"There is a nexus between politicians and criminals, criminals and bureaucrats, and I see no hope as there are criminals everywhere in different colours. We can pass the enactment. But we will not be able to implement it."

उस समय गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, पोलिटिकल इनस्टेबिल्टी थी, निराशा थी, हताशा थी। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब वह हताशा-निराशा नहीं है। मोदी जी हैं तो मुमिकन है - हम ऐसा मानते हैं।

अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो हम उस कानून का एनफोर्समेंट कर सकते हैं। इसलिए हमारे आने के बाद, मोदी जी के आने के बाद, जो विधेयक 32 वर्षों से पेंडिंग था, जिसे हम बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पेंडिंग था, 70 सालों से हम अनुच्छेद 370 को खत्म करने की बात कर रहे थे, इसके लिए पोलिटिकल विल चाहिए। उस समय पोलिटिकल विल नहीं थी, अब पोलिटिकल विल है कि हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे। यह बात बार-बार की जा रही है कि कानून का मिसयूज होगा। ... (व्यवधान) कौन से कानून का मिसयूज नहीं होता, यह मुझे बताइए।...(व्यवधान) आप एक भी ऐसा कानून बता दीजिए, जिसका हमारे देश में मिसयूज नहीं हुआ।...(व्यवधान) प्रेमचन्द्रन जी, केवल यह कह देना कि इसका मिसयूज होगा, टब के गन्दे पानी के साथ बच्चे को बाहर फेंक देने में कौन सी बुद्धिमत्ता है? क्या हम कानून ही नहीं लाएंगे? हमारा काम यह है कि कानून का मिसयूज न होने दें। ... (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : इस कानून का भी मिसयूज होगा, क्या आप ऐसा मानते हैं?...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

....(Interruptions)

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कौन से कानून का मिसयूज नहीं हुआ है या मिसयूज होता नहीं है। वर्ष 2006 में आपकी यूपीए की सरकार थी।...(व्यवधान)

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़): आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर आप भी आगे बोल नहीं पाएंगे। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, no cross talk please.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री सतीश कुमार गौतम : उधर से आप खड़े होकर बोल रहे हैं। इधर से कोई बोल रहा है तो आप बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: There cannot be a parallel debate.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Gogoi, do not yield. There cannot be a parallel debate.

... (Interruptions)

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, वर्ष 2006 में यूपीए गवर्नमेंट थी, उस समय सीआरपीसी में संशोधन लाया गया कि हम एग्जामिनेशन करेंगे और हम यह-यह डेटा तथा यह-यह मेजरमेंट एक्यूज के लेंगे, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, हमारी पार्टी ने भी कोई विरोध नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि अपराधियों को सजा मिले, उनको दण्ड मिले, इसलिए तब हम साथ थे। किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, जब 2006 के अंदर आपकी सरकार सीआरपीसी के अंदर संशोधन लाई थी।

सर, अभी दानिश अली जी बोल रहे थे कि टाडा का हुआ, पोटा का हुआ। हमारा देश केवल एकमात्र ऐसा है, जहां आतंकवादियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ हम कानून में कुछ कमी छोड़ने की बातें करते हैं, उनको बचाने की बातें करते हैं। टाडा और पोटा को खत्म करने की क्या जरूरत थी? यह केवल इस देश के अंदर हुआ। सारी दुनिया के देशों के अंदर सख्त से सख्त कानून बनाए गए, केवल यहां पर ऐसा हुआ कि टाडा और पोटा को खत्म करके, यूपीए के पुराने समय में चले गए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh, please conclude now.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, वर्ष 1920 के कानून के बाद 102 वर्षों के बाद आज सांइस और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो गया है। सारी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। क्या हमारे पुलिस वाले उसको यूज न करें, हमारे प्रिजन वाले उसको यूज न करें? क्या हम यह चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ शिकंजा न कस सकें। यह केवल इस देश के अंदर डिसकस हो सकता है। दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ऐसे डिसकस नहीं हो सकता है, जहां पर यह बोलते हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हरेक आदमी का शरीर है और यह सब लोग जानते हैं, वह एकदम यूनिक है। ... (व्यवधान) आदमी का एक जैसा दिखता है, लेकिन अलग होता है। उसके बाल अलग हैं, उसकी जुबान अलग है, उसकी वॉइस अलग है, उसकी स्किन अलग है, उसके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। उसमें सब कुछ अलग है। हम कई बार कहते हैं कि हरेक आदमी भगवान का यूनिक सिग्नेचर है, वह कोई फैक्ट्री का प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए हम इस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके गुण्डों और बदमाशों के खिलाफ काम कर सकेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज पुलिस के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, सरकारों के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है और जो सरकार सत्ता में होती है, उस पर भी लगता है। यह आरोप आपकी सरकार के ऊपर भी लगता है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि पुलिस वाले थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस वाले कन्फेशन कराने के लिए थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनको साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराएंगे, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा डेटा देंगे, उससे ये पुलिस वाले बच पाएंगे। उनको थर्ड डिग्री और सेकण्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और हम जिन ह्यूमैन राइट्स की बात करते हैं, इस कानून के आने के बाद मानव अधिकारों की रक्षा ज्यादा होगी। जो गरीब लोग हैं, जो बेकार में फिरते हैं, उनको बचाया जा सकता है।

HON. CHAIRPERSON: Dr. Satya Pal Singh, please conclude now.

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय, मैं ज्यादा कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूं। जब हम लोग अमेरिका के लिए वीजा लेने जाते हैं तो आइरिस स्कैन लिया जाता है, फिंगर प्रिंट लिया जाता है, उसका कौन ऑब्जेक्शन करता है? सब लोग चुपचाप देकर चले जाते हैं। इस बात का कोई विरोध नहीं करता है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं है, जहां पर मेजरमेंट लेने का विरोध किया जाता हो।

सर, दूसरी बात यह है कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने वर्ष 1920 के कानून में, उसमें चाहे केरल हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, सभी अमेंडमेंट लाए, सभी संशोधन लाए। सब लोग चाहते थे कि इस वर्ष 1920 के कानून को बदला जाए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद, स्टेट गवर्नमेंट्स के अमेंडमेंट्स के बाद, पहली बार नेशनल लेवल पर यह कानून लाया जा रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं ज्यादा नहीं बिल्क केवल पांच मिनट और बोलूंगा।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No. Some other Members from your party also have to speak also.

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करूंगा और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस इको सिस्टम को बनाने की बात हम करते हैं, जिस्टिस मिलमथ कमेटी की रेकमेंडेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि अपने देश में जो क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम है, वह अपराधियों के फेवर में ज्यादा काम करता है और पीड़ित लोगों को भूल जाता है। The plights and rights of the victims are forgotten in this country in the criminal justice system. उसको लागू करने की बात करनी चाहिए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now. Three more Members are there from your party. They have to speak.

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे देश में जो कोलोनियल सिस्टम चला, जिसके अंदर एडवोकेट्स बनें और आज हम लोग स्पीडी ट्रायल की बातें करते हैं, स्पीडी ट्रायल होगा, तो कन्विक्शन रेट बढ़ेंगे, उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो adversarial system है, एक एडवोकेट किस तरह से अप्वाइंट होता है और किस से काम करते हैं, आप लोगों को मालूम है। हमारे जितने डिफेंस काउंसिल्स हैं, वे एडजर्नमेंट मांगते हैं, they do not accept any judgement as final.वे अपील पर अपील करते हैं। हमें इनको भी यहां पर चेंज करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारा देश इंसाफ, न्याय का देश है।...(व्यवधान) Just give me one minute. सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

सभापित महोदय, मैं कह रहा हूं कि ...* को खत्म करने की बात है। क्या हम न्याय व्यवस्था के अंदर ... * खत्म कर सकते हैं? इसलिए मैं मिलमथ कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से हम लोग अपराधियों को दंड दे सकें, सजा दे सकें। हम लोगों को इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग पुलिस को आरोप से बचा सकें, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकें, नागरिकों को सुरक्षा दे सकें, हम लोग उनकी प्राइवेसी और अपराधियों की बात करते हैं, एक संतुलन बनाने की जरूरत है।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I have a Point of Order. I think you have heard him right. The translation perhaps has not come out correctly. He has mentioned about... * in nyay vyavastha. ... * का क्या होगा?...(व्यवधान) That should be deleted.

HON. CHAIRPERSON: I will see the record. We will do it accordingly.

٠

^{*} Expunged as ordered by the Chair

डॉ. सत्यपाल सिंह: सभापित महोदय, मैं केवल एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। महाभारत में विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए एक बात कहते हैं। मैं विशेष रूप से यह दादा के लिए बोल रहा हूं। उन्होंने लास्ट में कहा कि

"न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा,"

वह सभा नहीं सदन नहीं, जहां वृद्ध लोग न हों, ज्ञानी लोग न हों।

"वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।"

वे वृद्ध नहीं हैं, जो धर्म और सच्चाई की बातें न करते हों। वह धर्म नहीं, जहां सत्य और इंसाफ की बात न होती हो और सभा वह नहीं है, जहां छल के तर्क दिए जाते हों। कई बार इसी सदन में हमारे कई मित्रों द्वारा इस प्रकार के तर्क और कुतर्क दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please wind up now.

डॉ. सत्यपाल सिंह: हमें न्याय और इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं पुन: इस के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much.

I vehemently oppose this Bill. If this law is passed, it will be an addition in the list of black laws in our country. My reasoning for opposing this Bill is this. First, this will give extra constitutional power to the police officers from SHO level to Presiding Officers and Magistrates.

Secondly, this Bill violates the Constitution in several ways, including article 21 and the privacy of individual. My next reasoning is that this Bill gives room for misinterpretation, misuse, and hence this is a badly drafted piece of legislation.

This will not be confined only to the convicts for an offence, but this is like a double-edged weapon which anybody can use against their opponents. This is tantamount to giving an open general license to the police officers to work according to their will. This is really to terrorize people.

There is not much time for me. So, I come to the Clauses of the Bill. I do not want to narrate about the measurements, etc. The definition is given there, and everybody has quoted that. It is a lengthy list. The question is whether there is any part in the human body which remains for taking further samples. That is the only thing.

Coming to the Act, I want to ask to whom it will apply. It is stated in (a), (b), and (c). Clause (c) says, "arrested in connection with an offence punishable under any law for the time being in force or detained under any preventive detention law." Is it not a high-handed kind of Clause? Even for an arrested person, this can be applied. This really gives a kind of a weapon in

the hands of the Government to terrorize the people. Similarly, how can you say that a person detained or arrested is a culprit? Of course, you can try him, but at the same time, in the guise of doubts and things like that, if you use this kind of an Act, it is something highly objectionable and condemnable in that way.

Another thing is this. After collecting all these kinds of things, to whom are you circulating that? The Bill says, "National Crime Records Bureau will be the central agency to maintain the record. It will share the data with law enforcement agencies. Further States and UTs may notify agencies to collect, preserve and share data in their respective jurisdictions."

Sir, will such a provision not create trouble in this country? Without thinking about the far-reaching consequences of this Bill, you have brought it here.

Now, I come to the other things. My friends were saying that when you are making a law, you should be honest. Why are you making these laws? You are making these laws to disturb others or to victimize others. As an example, my friends were talking about the UAPA Bill. What is happening in this? When you make a law with a bad intention, it will have a reflection throughout. For example, my friends were talking about UAPA. Regarding sedition charges, even the Supreme Court has said that sedition charges should not be imposed in a simple way like this.

Similarly, legislations like National Security Act are misused in a wide way. What is happening in Anti-Conversion law? On that account also, a lot of

harassment is going on. What is happening under Cow protection laws? What for have you made all these laws? I would like to ask: what was your intention? Your intention was to create enmity among the people. That is what your intention is. This law was really a law of prejudice. What is happening now? Innocent people are languishing in Indian jails even without trials. These kinds of things are going on in this country. You are now adding fuel to the fire and bringing in such a legislation also.

Towards the end, I would like to say only one thing and it is this. What is the heart of a law? What is that? It is Article 14 which gives equality before law. That can be treated as heart of the legislation. Now, what is happening? Are we making a law according to this principle or according to your desire or according to your political dimensions? You are making laws. Actually, you are spoiling the very spirit of justice before everybody and equality before law.

This is in addition to it. Hence, I am saying that we oppose it vehemently. If the Government is honest and if they have got even an iota of sincerity, then I would like to tell them to send it to the Standing Committee of Parliament. With these few words, I conclude. Thank you very much.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Mr. Chairperson, Sir. I rise to oppose the Bill.

Even at the time of introduction of the Bill I have vehemently opposed the introduction of the Bill. I had demanded a Division in this House, and there was a Division also. At that juncture also, we were under the impression that the hon. Minister and the Government may rethink their political position so as to send this Bill to the Standing Committee for close scrutiny. Unfortunately, the hon. Minister now comes and is moving the Bill for consideration and passing of the Bill. It is quite unfortunate because this is a very contentious Bill where the Constitutional provisions are involved, human rights violations are involved and so many ramifications or repercussions are there. Such a controversial or contentious Bill will have to go through Parliamentary scrutiny of a Committee, either a Select Committee or a Standing Committee. But without sending that Bill even after having a Division in the House with 120 in favour and 58 against the Bill, the Government is not willing to send the Bill to the scrutiny of a Standing Committee is quite unfair on the part of the Government. This is the first point that I would like to make here. I am opposing the Bill mainly on three grounds. Firstly, this is total and clear violation of the fundamental rights enshrined in Part-III of the Constitution. Secondly, the right to privacy ensured by the Supreme Court in Puttaswamy's case is totally violated and abrogated. Thirdly, the human rights that have been declared in the UN Declaration of Human Rights are also not being respected in this case. These are the three main grounds on which I strongly oppose this

Bill, and I again request the Government and the hon. Minister to please have a close scrutiny of the Bill by sending it to the Standing Committee or Select Committee or Joint Committee whatever be it according to the whims and fancies of the Government. What is this Bill? The Criminal Procedure (Identification) Bill is to replace the Identification of Prisoners Act, 1920. The 1920 Act of the British India Government law is more liberal than this Bill. When we are in a reformed democratic era, we are making the law more rigorous and stringent and giving unfettered authority to the police officials, especially the law enforcement agencies in respect of data collection and analysis and that too at a time when the Data Protection Bill is pending for consideration before the Parliament. Its scrutiny is over.

The Standing Committee has already submitted the Report.

Unfortunately, the Government is not coming forward with the Data Protection

Bill for consideration and passing.

It has already been stated in the Puttaswamy judgement with regard to violation of right to privacy, and the judgement is very clear that the law must be tested on the grounds of necessity, proportionality, purpose limitation, storage limitation, etc. These are the guidelines by which the Puttaswamy judgement is saying regarding the legislative process, but nothing is being attracted in this case. The right to privacy under article 21 states that: "No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law ...". This is being taken away. Further, there are unchecked and unfettered powers to have police surveillance. I am not going

to the definition of measurements, which have been well enunciated by Shri Manish Tewari ji. It is expanding and widening the scope of measurements that even DNA of a person can be taken. Further, there is storage for a period of 75 years. Clause 3 of the contentious Bill states, 'who has been convicted, who has been arrested, and any person who is detained by the preventive detention law'. What is the definition of a convict? I am seeking a clearcut answer from the hon. Home Minister. What is the definition of a convict? If you are not wearing a mask and you are violating the lockdown guidelines, then you will be convicted. Even a penal conviction for Rs. 1,000 is a conviction.

There is no definition in the Bill. I am speaking well within the ambit of the Bill.

HON. CHAIRPERSON: You made this point at the time of introduction itself.

... (Interruptions)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: What was there in the original 1920 Bill? The 1920 Bill is very clear about rigorous imprisonment for one more year. Only then, it would lead to conviction. Here, what is the conviction? Even if we are not wearing the mask, you are convicted and fined with Rs.3,000 and your DNA can be taken. Police Officer, the Head Constable, and the Jail Warden are the officers in the current Bill. I have given amendments in this regard. Lastly, excessive rule-making power is given in the delegated legislation by virtue of Clause 8 of the Bill – manner of taking measurements, collection, storing, sharing, etc. It is against the recommendations of the 87th Law Commission, which have not been considered. Considering all these aspects, I

once again urge upon the Government to send it to the Standing Committee. This is a draconian legislation, which takes away the democratic and the fundamental rights of the citizens of our country. So, please send the Bill to the Standing Committee. I strongly oppose the Bill.

*SHRI K. SUBBARAYAN (TIRUPPUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. This is a draconian Bill. Therefore I strongly condemn this Bill. I also urge that this Bill should be referred to the Standing Committee for its review. Many MPs from the Opposition, almost all members who spoke before me, explained in detail as to how this Bill is against the human rights and how it is unconstitutional. I don't want to repeat once again. I support all their views.

This is a democratic form of government. Every Bill they introduced here in this House time and again categorically prove that BJP has no capability to rule this country under the democratic set-up. Even at the time of introduction of this Bill, the opposition parties strongly opposed and condemned this Bill. This Government forgot to respect the sentiments of the opposition parties, by showing its inability and by not withdrawing this Bill. They are time and again proving that BJP is incapable of ruling a democratic government in this country.

I want to stress another point here. Such records are stored for 75 years.

I want to ask whether it is acceptable to say that the human tendency is to engage in crimes?. No, A man is not always used to committing crimes. The

.

^{*} English translation of the speech originally delivered in Tamil.

social set-up forces him to do so. Therefore the social set-up is to be blamed and not the human beings. I want to say here that preserving this record for a such a long period is not at all necessary. What is the worst activity of this Union Government. The source law is the Identification of Prisoners Act, 1920. This clearly shows that the BJP Government has not separated itself from the Colonial concept. That's why they want to add more teeth to the source law and make it fearful.

They are just bringing everything in the name of technological advancement, I will say this is not to display technological advancement but the intention of this Government is to just keep the people in fear and panic besides threatening the opposition parties. I therefore strongly oppose this Bill. Hundreds of Muslims are kept as under-trial prisoners in India. Should these under-trial prisoners be behind the bars for 10 or 20 years? Why are they kept as under trial prisoners? When we ask to release these under-trial prisoners, this undemocratic leadership at the centre is not ready to release them. Union Government has refused this demand. I want to raise another issue.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude soon.

SHRI K. SUBBARAYAN: Within a minute I will conclude. In every activity you do, you prove yourself to be undemocratic and against the interests of the people and the nation. Yesterday we heard a voice from Tamil Nadu. It termed it to be dangerous to see the development taking place in the States or in the State Government. Who supports this voice? Who gave the right to express

like this? By saying this, the leader who is incharge of monitoring the administration of Tamil Nadu has completely violated the provisions. It is a punishable violation. I end by saying that the Union government should look into this. Thank you.

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL (AURANGABAD): Sir, this Government loves to collect citizens' data but hates to be held accountable. It refuses to protect citizens' data. It does not believe in due process and it definitely does not believe that the Puttaswamy Judgement is to be followed.

Sir, my objection to this Bill is not that we cannot collect this data, it is not that we should not use technology to prevent crime. My objection is that the Government is bringing in this law without respecting constitutional right to privacy or the right against self-incrimination under Article 20. It wants to create databases of citizens but does not want to provide any safeguards. For example, NCRB is being empowered to maintain a database of measurements collected under this Bill. What is NCRB? It was created by a notification. It is not a statutory body. How can a legislation empower a Board that has no statutory existence itself? Secondly, under section 4, no parameters have been provided on who has the power to access this data, what police officer of what rank?

I have certain questions for which I would like the hon. Home Minister to answer. Under what circumstances can a cop be allowed or denied access to this database? What are the permissible uses of this database? What punishment happens if a police officer uses this database in violation of extant law? Will defendants in criminal trials be allowed to use the database to prove their innocence? What will be the procedure to do so? Improper recording or handling of the data in database is a serious concern. What are the safeguards against malicious misuse or distortion of data?

What kind of safeguards exist? One cannot be forced to provide a DNA sample or other information simply because they have been arrested or detained. This is because it is a violation of their right against unreasonable searches. After Puttaswamy judgement, the police have to follow this standard. In short, collection of DNA or other 'measurements' is only permissible if it is justified and it cannot be a general practice.

Similarly, when searching a database of fingerprints DNA or other measurements, the police officer will have to show a 'probable cause' for this search. It cannot be based on the mood of the cop or just a gut feeling.

He has to demonstrate why he specifically searched the database, whether there was any other evidence, whether all other leads have been extinguished, and what is the basis of his suspicion. This Bill fails because it does not provide any of these rules.

Is NCRB prohibited from connecting these databases to other databases such as the Aadhaar database? Linking various databases will mean that this Government can sit in Delhi and practically identify any citizen anywhere. Interlinking databases is a huge violation of citizens' Right to Privacy as it allows the Government to identify citizens even for purposes other than crime detection. Unfortunately, this is the reason why this Bill is being brought.

Mr. Chairman, Sir, Clause 3 of this Bill allows Government to not only collect finger and foot prints but also physical, biological samples, behavioural attributes, and iris and retina scan. This is unbridled power in the hands of Government and police. What are the chances that this will not be misused

and exploited? What is included in behavioural attributes? Does it include gait and facial recognition? These technologies are very unreliable and heavily biased. It is concerning that the Government is not even clearly saying what it wants to do.

Similarly, Sir, why are biological samples being collected? Is it not a way to bypass DNA Bill and bring it through the backdoor? Preventive detention suspects and arrestees are not criminals. There is a presumption of innocence. On what grounds are you collecting their information? Under Clause 4, you are saying that this data will be expunged if the person is discharged or acquitted. A person in preventive detention is neither charged nor convicted of any crime. How will their data be removed? We need these answers.

Lastly, Sir, Muslims, Advasis and the Dalits are predominantly detained and arrested and hardly convicted. This means that your database will have a significantly large number of such people.

Before I conclude, let me make one last point. मैं सत्यपाल जी, जो महाराष्ट्र राज्य से आते हैं और वे मुम्बई शहर के पुलिस किमश्नर थे, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप यह बिल लेकर आ रहे हैं तो उसी महाराष्ट्र राज्य की एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर रिश्म शुक्ला जी, जिनका मैटर अभी कोर्ट के अंदर गया, अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, वह किस तरह से, एक गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग का मामला सामने आया है।... (व्यवधान) अगर आपको यही करना है तो ऐसे कानून लाने की जरूरत क्या है? ... (व्यवधान) आपकी सरकार तो जो चाहे, जिसे चाहे अंदर करने का अगर तय करती है तो वह कर रही है।... (व्यवधान) आप ऐसे कानून लाकर सिर्फ हमारे को यहाँ पर क्यों वो कर रहे हैं?... (व्यवधान)

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): Hon. Chairman, Sir, I stand in support of the Criminal Procedure (Identification) Bill. 2022. At the outset, I would like to quote our hon. Prime Minister Modi. He had said, "Convergence of technology and the judicial system is the need of the hour. We need to go digital. The dissemination of legal knowledge to the common man will go a long way in improving the law-and-order situation in the country."

Sir, I would like to emphasize here in this august House that the USP of Prime Minister Modi's Government is its ability to keep pace with the changing times. This is a Government with new approach, with new thinking. यह अभिनव सोच वाली सरकार है, यह नई सोच वाली सरकार है, यह बदलते हुए समय के साथ कदम मिलाकर चलने वाली सरकार है। Therefore, Sir, I stand here to argue in favour of the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.

We are all aware and everybody has been saying this. At the cost of being repetitive I would say that this is a new expanded form of the Identification of Prisoners Act, 1920. We are all aware of the Act of 1920. Its objective was to facilitate the identification of criminals and suspected criminals through procurement of evidence. It talked of three kinds of measurements, three kinds of evidence: footprints, finger prints, and of course photographs.

Sir, it is pertinent to mention here that the Law Commission in its 87th Report candidly said that the Act of 1920 deserved amendment or replacement. It was of the view that there are only three kinds of measurements, this was a 102-year-old British law, and it was not in line with digitisation and the new age technology.

Sir, the obsoleteness of the law can be gauged by the fact that there has been increased crime rate in the country and marginal increments in the conviction rate. I would just like to bring in some figures from the National Crime Records Bureau. As per the NCRB reports, I would like to inform this august House that on average 7,50,000 cases have been closed by the police every year in the last five years due to lack of evidence.

I come from Odisha and I would definitely like to quote figures pertaining to Odisha that we got from the NCRB report. In 2020, 244 per cent increase was registered in Odisha alone with regard to the number of cases which had been closed by the police because of lack of evidence. This figure was 38 per cent; this percentage was just 38 in 2019. So, there is a leap from 38 per cent to 244 per cent from 2019 to 2020. This is the NCRB report. It is because of lack of evidence, the police had to close the cases. The Act of 1920 is very rigid and narrow and therefore the need to have this particular Act. Once this Bill becomes an Act, the Act of 1920 will stand repealed. We are not going for any amendment; we are going for replacement.

We are aware of the main features of the proposed Bill of 2022. I would just take two minutes to talk about those features. Firstly, of course, this Bill seeks to define "measurements" to include finger-impressions, palm-print, foot-print impressions, photographs, iris and retina scan, physical, biological samples and their analysis, behavioural attributes, etc. Secondly, it seeks to empower the NCRB to collect, store and preserve the record of measurements. Thirdly, it seeks to empower a Magistrate to direct any person

to give measurements. Fourthly, it seeks to empower police or prison officer to take measurements of any person who resists or refuses to give measurements.

I would definitely like to bring to the knowledge of the House or rather remind them as to what our hon. Home Minister just said. He said that there have been massive consultations with the States. Stakeholders' consultations have taken place. So, this kind of feeling that there has been no consultation preceding the formulation of this draft is absolutely far from the truth. All concerns have been taken on board. The State Governments have been consulted. All suggestions have been taken. The 87th Report of the Law Commission has been looked into. The Supreme Court judgement has been looked into. Thereafter, this particular Bill has been formulated.

We must commend the efforts of the team of the hon. Home Minister and the officials of the Home Ministry for having gone so meticulously into drafting this Act. I will not take much time. This is not a very large Bill. This particular Bill is not just coming up in India; this Act is not just coming up in India. With the expansion of the list of measurements, this is there in UK, US, Australia and Canada. So, we have drawn up on those countries also. Fifthly, the proposed law aligns with the Inter-operable Criminal Justice System (ICJS) project of the Ministry of Home Affairs. I would like to reiterate that this particular Bill aligns with the ICJS. I would like to inform this august House and my esteemed colleagues that ICJS is a national platform for enabling integration of the main IT system of the Home Ministry used for delivery of

criminal justice in the country with five major pillars: police, e-Forensics, e-Courts, e-Prosecution, and e-Prisons. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, does the House agree to extend the time of the House in order to have the reply of the Minister?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: Time of the House is extended till passing of the Bill.

SHRIMATI APARAJITA SARANGI: Sir, this is a people-oriented Government. Antyodaya is the *mool mantra* of this Government. Hon. Prime Minister has been focusing on the last person in the queue. We want the delivery system of justice to be strengthened. Keeping all our objectives in view, the mandate of the Government in view, the proposed Bill 2022, coupled with the ICJS project of the Ministry of Home Affairs, affirms our commitment, Prime Minister Modi Government's commitment to strengthen the criminal justice system of the country, to use the technology in the best possible manner and ensure speedy delivery of justice. So, I stand here to request all my esteemed colleagues to come forward and support this Bill whole-heartedly. Thank you so much.

18.00 hrs

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Sir, thank you for the opportunity to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.

This Bill will ensure that the perpetrators of the heinous crimes are brought to justice. For a civilised and advanced society to be developed and maintained, a civilised and sophisticated police force is quite essential. As our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji has rightly envisioned, I am

confident that the New India will see a tech-savvy, humane, law-abiding, responsible, and accountable police force. I am also hopeful that the much-needed police reforms will certainly deliver the Indian police force out of the colonial hangover and will play a key role in the economic and overall growth of our nation.

Sir, I wish to thank our hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji for ensuring extension of the Modernisation of State Police Forces Scheme for five more years, until 2025-26, with a total outlay of Rs.26,275 crore. I wish to request that the Home Ministry may ensure proper utilisation of the allocated sum since there are reported claims of huge underutilisation and diversion of these funds.

In this regard, I wish to mention here that Tamil Nadu Police, which ranks first with regard to diversity in its police force, was also the State which extensively implemented the first all-women police station. The first all-women police station was inaugurated by the hon. former Chief Minister, and our beloved Leader, great Puratchi Thalaivi Amma on 13th April, 1992. Our Tamil police is prided as equivalent to Scotland Yard, and is also a pioneer in initiating several modernisation and service condition reforms. I would request the hon. Home Minister, through you, Sir, that Tamil Nadu police may be granted an enhanced share from the modernisation fund, especially since Tamil Nadu police has been on the top with regard to utilisation of MPF funds.

I will conclude by making a few more suggestions. The world is moving towards a digital society. New age crime needs new age policing. Therefore,

emphasis should be made in this Bill on capacity building, including experts in forensics at the police station level itself so that the police is better equipped.

During the police training process, the overall focus is on enhancing the physical strength of the trainees, but other essential skills like forensics, law, cyber-crime, financial frauds are either ignored or put to the back-burner. The focus on new age investigation should start from the training stage itself.

More funds need to be allocated towards new age policing and forensics from the Modernisation of Police Forces Scheme.

Just as the collection of evidence is important, it is equally important to protect the data from tampering and misuse. To ensure the integrity of the data as well as to maintain safe custody, new age solutions like the blockchain technology should be introduced.

I wish to conclude by mentioning that be it law enforcement or investigation, the police force in our nation should ensure that the common man should go about his daily life with a sense of security. Also, the underprivileged and weaker sections of our society, the minorities, the SCs and STs, women, and senior citizens should feel adequate confidence in the ability of our police force to protect them.

With this, I express my support to the Bill. Thank you.

SHRI BRIJENDRA SINGH (HISAR): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022.

Though we are all Members of Parliament in the Lok Sabha, it happens to be a sheer coincidence that the speakers from my Party -- who spoke before me -- also belong to the community of Civil Servants. The first two speakers -- who spoke before me -- were from the Indian Police Service. Shrimati Aparajita Sarangi – my senior – was from the Indian Administrative Service. But I must confess that the first two speakers were from the IPS. By instinct and training, the idea is to restrain the police. That is what one has learnt during training and during the twenty-one years of service, out of which twelve years were in the field.

But when I read this particular Bill and the provisions therein, I have to confess that it was a case of 'देर आए, दुरुस्त आए।' In the early 1980s, the Law Commission had recommended widespread changes. In fact, it stated that there is a need to make it correspond with the modern trends in criminal investigation. This is when they are talking about making changes to the Identification of Prisoners Act of 1920. It is this Act which this Bill seeks to repeal and replace. In its content, it is a small Bill. It has just ten sections. But the kind of storm it has raised in the Parliament when it was introduced and also, today, after looking at the number of participants who have spoken on this Bill, I have to say that there is a lot in this Bill which needs discussion and a lot has been discussed today. I am sure that we will all come out of this discussion much wiser.

The Bill, as I have said, seeks to repeal and replace the Act of 1920. Where was the need for this? It is not as if there was an immediate court case and the Government had to come up with a new Bill, or as if there was some other pressing need. The thing is that it just had been in the waiting for far too long. Many States tried to bring about piecemeal changes or amendments to the Identification of Prisoners Act of 1920. These States include, West Bengal, Gujarat, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu. The last case was of Karnataka, in 2021, when they sought to expand the definition of 'measurement', and to include DNA, voice, and iris scans. However, the Bill was reserved by the Governor for the consideration of the hon.

President of India because it was felt that the Bill was repugnant with the Act of 1920, which is a Central Act. So, we are where we should be. It is being said as if everything, in this Bill, is new.

The Act of 1920 provided for three things in terms of measurement. It provided for fingerprints and footprints, and if the Magistrate so desires, photographs could also be taken. We also have the provisions from the Cr.P.C. Under Sections 53(1), 53(A), and 54, -- especially these two -- the explanation provides as under, and I quote:

"Examination shall include the examination of blood, blood stains, semen, swabs in case of sexual offences, sputum and sweat, hair samples, and finger nail clippings by the use of modern and scientific techniques including DNA profiling and such other tests

which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case."

Why have I brought this up? It is because a lot has been said about the legislative competence, and perhaps how it violates the issues of privacy. These have been in existence already. They have stood the test of time and they have not been declared as violation of personal liberty by any court so far.

This Bill, however, takes it a little further and includes certain other things wherein the 1920 Act was found to be inadequate and I must say that we, all, most of us, in our younger days, have read detective novels of Arthur Conan Doyle about Sherlock Holmes and what a bright man he was; what uncanny sense of perception he had; but a Sherlock Holmes in today's day and age, with his magnifying glass, would look like an investigative dinosaur. A 1920 Act which provides for only fingerprints, footprints and photographs is not the way to deal with crime and criminals of the 21st century. We cannot expect our police to be equipped with tools of early 20th century to deal with crimes and criminals of the 21st century. The modern techniques and the modern technology which is available to all of us, it provides for a triangulation, that is now possible which was unthinkable a century ago. Now joining the dots using different identification techniques, greatly facilitates and enhances the quality and quantity of criminal investigation.

As our Home Minister said in his opening remarks, the idea is to get the conviction rates up and those cannot happen unless scientific methods are

adopted and used by our police forces and prison authorities and in the overall criminal justice system. Only then, such an improvement is possible.

The previous Act of 1920 was also limited in its ambit and the present Bill seeks to expand it further by including what is referred to as 'other persons'. Though most of it is from the previous Act under which a convicted person's measurements can be taken and then someone, who has been ordered to give security for his good behaviour, can be asked to give his measurements and someone, who is arrested for any offence under the existing law, can also be asked to give his measurements.

But, yes, the police powers in the present Bill have been increased. The magisterial powers remain the same. They have not been tampered but the police powers have been increased. But, in this day and age, you have multiple sources available as far as data is concerned. You have the banks through KYC. They have almost all your data. You have the Aadhar. It has your biometrics in any case. You have the Election Commission. It has a lot of your details and all these private players, whether it is Google or Microsoft or whichever company is dealing with these meta data base, they all have data. So, just to restrain the police from not collecting data which will be useful for them in investigation and execution of cases before the Court somehow seems to be just a measure which one has to do away with, we must move with the times, and we must use the modern techniques and technology which are available to us.

Sir, I will point out just two things because a lot has been made about privacy. There are two provisos which are very important. They have been mentioned in the proviso under section 3 where the person is given a choice. There is no use of this word. Otherwise, this is a word in common parlance as far as the liberal world is concerned. A person is given a choice where it is said that he may not be obliged to allow taking of his biological samples and there are conditions with this.

So, there is a choice given to a person. It is not as if it is not given and in any case, there are plethora of judgements where in criminal jurisprudence 'may' is generally read as 'shall'. So, it is almost a given in this.

Similarly, the proviso under section 4 provides that the measurement will be destroyed. It will be destroyed if the person has not been convicted before and if he has been discharged or acquitted by the Court of Law. So, that is to be destroyed. So, when we say that undertrials and political protestors or activists are arrested for something, they are clubbed with the hardened criminals or those who are charged with serious crimes. That does not hold because if the person is not convicted or if the person is discharged before that, the data which has been collected in that case, will be destroyed.

Lastly, Sir, since I do not have the luxury of time, one point which has been very conveniently missed out by everyone is that this Bill provides for a great amount of legislative oversight because ultimately, this Bill and its effectiveness and efficacy will come from the rules which will be framed under this Act by the Central Government and by the State Governments.

These rules, each and every rule, have to be brought before the Parliament and also the State Assemblies ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI BRIJENDRA SINGH: I would like to conclude by saying that no society is perfect, nor is ours. There are deeply held biases and prejudices embedded in our social consciousness. Our police is a product of its social milieu and as such is far from being perfect. However, that does not mean that we do not empower it with requisite powers and instruments. There is an undeniable need to strike a balance between protecting an individual's privacy and giving the police the tools, they need to keep us safe.

Sir, with these words, I support this Bill and urge this House to pass it.

Thank you.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA (AMRAVATI): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. The present Bill has been introduced by the Government of India to authorise the police for taking measurements of convict and other persons for the purpose of identification and investigation in criminal matters and to preserve the records. जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, it is a very small change. अभी तक जो क्रिमिनल्स के साथ होता है या जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल को सजा देने के लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है, सब बिखरी हुई चीजों को एक जगह लाकर इस बिल में उतारा गया है। हम बोलते हैं कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के साथ हमें कंपीट करना चाहिए, कंपटीशन करना चाहिए और उनके लेवल पर आना चाहिए. तो इस चीज में उनके लेवल पर क्यों नहीं उतरना

चाहिए? इस चीज में भी हमें उनके मुकाबले खड़ा रहना चाहिए। क्रिमिनल को सजा होनी ही चाहिए। पहले एक कहावत हम सुनते थे कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका'। इस हाउस में यही वाला हाल है कि जो उरता है, वही इस चीज के अगेंस्ट में बोलता है। मुझे लगता है कि उर के कारण ये सब चीजें बाहर निकल रही हैं। ... (Interruptions) Shrimati Mahua Moitra is my friend and she spoke in a very aggressive manner and was against this Bill. मुझे लगता है कि लोगों को न्याय देने के लिए इस देश में काम करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आनी चाहिए, कुछ सख्ताई आनी चाहिए, तो हर नियम और कायदे में यह सख्ताई लानी बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारे देश में क्राइम और क्रिमिनल्स कम होंगे। यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कुछ करेगा नहीं, उसे कोई उर नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो विरोध नहीं कर रहा है, वह इस सबके फेवर में है और जहां-जहां उर है, उनके शब्द ऑटोमैटिक निकल रहे हैं।

Sir, many accused persons came to be released on bail during pendency of trial of a convict. Many convicts who were released on parole were not tracked down and they successfully flew away from the clutches of law by changing their visible appearance. They started to lead a life with another identity and evaded the penalty imposed upon them or the expected penalty due to be imposed on them.

The present Bill is an advanced step, with an legislative intent, to decrease the workload of courts and investigative agencies. The Bill is being opposed on the count that it is unconstitutional as it affects the Right to Privacy but the Right to Privacy is altogether a different thing than the intent of the Government. There is no reason to create a *hungama* on this.

Previously, if an accused was convicted by the trial court, then the said accused was under obligation to give fingerprints before he was sent to jail and there was no choice with the accused to refuse the same. So, now there is no justification to oppose the Bill by saying that this contains force. The proposed Bill is nothing but an advanced form of identification with available advanced technologies. अगर टेक्नोलॉजी और नई चीजें नहीं लाएंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? हम 70 ईयर्स से जहां थमे हुए थे, वहां पर ही रुके हुए थे। जब 370 लाये थे, तब भी तकलीफ थी और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, तब भी तकलीफ है। मुझे लगता है कि अपोजीशन को हर बात में इसके अगेंस्ट तकलीफ है, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर हर चीज में सक्षम हैं, चाहे वह कश्मीर के मुद्दे को लेकर हो या देश की सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हो या सीमा में हमारे सैनिक लड़ते हैं, उनके फेवर में बात की जाए।

मेरे महाराष्ट्र के कुलीग की ज्यादा आवाज आती है। महाराष्ट्र में पुलिस, जो लोग कोई भी जुर्म नहीं करते हैं, ऐसे निर्दोष लोगों पर कार्रवाइयां कर रही है।

उस पर हमें बोलना बहुत जरूरी है, आप मेरे भाई जैसे हैं और महाराष्ट्र से बिलाँग करते हैं। आपने हमारी एक मैडम का नाम लिया, अधिकारियों का नाम लेना इस सभागृह में, जिस पर ऑलरेडी कोर्ट काम कर रही है, उस पर नाम लेना उचित नहीं है।

Article 20(3) speaks about immunity to the accused and against self-incrimination and this Bill nowhere creates evidence of a person which can be used as evidence against him. It is related to the identification.

This Bill has concisely brought about the scattered process of identification of the accused. In the existing procedure, the process includes arrest form which contains photographs of the accused.

Article 21 of the Constitution speaks about exception and it says that no person shall be deprived of his life or liberty except according to procedure established by law. The proposed Bill is just, fair, reasonable, and proper which perfectly maintains balance and right of privacy, and maintenance of record of accused regarding his identification.

I wholeheartedly support this Bill, this Government and the way the Department is working. हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, वह क्राइम खत्म करने के लिए काम कर रही है न कि क्राइम बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have very little time to speak. Hence, I shall not make a speech.

Sir, I rise to speak on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022. I have several questions and clarifications to seek from the Home Minister.

He mentioned about the Law Commission, 1980. Why is it not mentioned anywhere in the Bill or in the Statement of Objects and Reasons? I do not know the reason. Why did it take 42 years for you to act on a Law Commission Report? There is no reply for it.

Secondly, he has spoken about the measurements. In Clause 2(b), he has spoken about biological samples. My question is, do the biological samples include micro biological samples. When you take a part of the skin, it is a biological sample. When you do a DNA test and find out what the deoxyribonucleic acid is, then you do a micro biological test. What do you want to do? Do you want to take a piece of skin or actually do a DNA mapping? Can you afford to do DNA mapping for a person? Thirdly, you have

spoken about behavioural attitude including other things, and any other examination. Does it include macro mapping? Does it include brain scan? That is not clear. That is why, I say that this Bill is badly drafted. Neither is biological sample clear nor is the behavioural attitude clear. This is possibly the first Bill which deviates from Criminal Procedure Code. Under Criminal Procedure Code, an officer of the rank of Sub-Inspector can lodge an FIR. He is trying to give power to head constables to do measurements. In prison, is it wise to give this power to non-gazetted employees which has never been done in all these years of Independence? Kindly clear this point. There are only two redeeming features in the Bill. Persons who have been arrested for an offence committed and with a punishment for a period of less than seven years, may not be obliged to allow taking their biological sample. This is a slight redeeming feature. The other one is, if somebody is released, a person who has not been previously convicted, had his measurements taken, and is released without trial, then all the records will be eliminated or rubbed of. Basically, why had we opposed the introduction of the Bill? It is because it is draconian. This impinges Articles 14, 20(3) and 21 of the Constitution.

It takes away the right of the individual including those who are charged with an offence. I think this Bill was drafted in a hurry. Without any provocation, there is no reason why Shri Amit Shah suddenly came up with this Bill. He is the Home Minister. He should show some politeness and refer this Bill to the Standing Committee so that all these definitions can be clarified and the

misuse of this Bill by the Head Constables, Head Warders and the small petty officials can be avoided.

With this, Sir, I again oppose this Bill. This Bill is a draconian Bill and it is against the democratic rights of the people.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय सभापित जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत गृह मंत्री, प्रखर राष्ट्रवादी, अमित शाह जी द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं जब यह बात कहता हूं तो देश में माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री आम गरीब की बात सोचते हैं, आम लोगों की बात सोचते हैं। ये राजनीति की बात नहीं सोचते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया। क्रिमिनल और आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए यूएपीए बिल में संशोधन किया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू भाई जो धर्म के आधार पर यहां आए, उनको नागरिकता देने का काम किया। यह हमारी सरकार की कमिटमेंट दिखाती है और माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी की कमिटमेंट दिखाती है। महोदय, बड़ी चर्चा हुई, मैं सोच रहा था कि मैं बोलूं या न बोलूं। मनीष तिवारी जी और कई लोगों ने चर्चा की कि अंग्रेजों द्वारा असहयोग आंदोलन के कारण वर्ष 1920 में बिल लाया गया था। मैं इतिहास को ठीक करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास को ही ठीक करती है। वर्ष 1901 में आइडेंटिफिकेशन बिल ब्रिटेन में लागू हुआ। यदि उन्होंने अपने नागरिकों के लिए वर्ष 1901 में लागू किया तो कैसे हमारे नागरिकों के लिए वर्ष 1920 में खिलाफ था? वर्ष 1902 में फ्रांस में लागू हुआ, वर्ष 1903 में यूएस में लागू हुआ और वर्ष 1920 में हमारे यहां लागू हुआ। इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ड्रेकोनियन लॉ है, असहयोग आंदोलन के लिए लाया गया। आप हमारी इंटेंशन पर क्वैश्वन करते हैं। महोदय, मैं इतिहास देख रहा था। कोइनराड इल्स ने 'नेगाशनिज्म इन इंडिया' किताब लिखी है। भारतीयों को भूलने की बीमारी है। यूएपीए एक्ट आया जिसके कारण हमारे गृह मंत्री जी और प्रधान

मंत्री जी पर लगातार प्रश्न होते हैं। यूएपीए एक्ट वर्ष 1967 में यही कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। क्यों लेकर आई? दिन याद कीजिएगा, 7 नवंबर, 1966, गाय आंदोलन के लिए, गऊ माता की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए संविधान में अधिकार दिया गया है, जब साधु संतों ने आंदोलन किया, गोली चली, सैकड़ों साधु-संत मारे गए, उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार यूएपीए लेकर आई। आप यहां के नागरिकों के लिए कानून बनाने की बात करते हैं? महोदय, टाडा क्यों आया? टाडा लेकर ये आए। टाडा वर्ष 1985 में आया। क्यों आया? वर्ष 1984 में सिख दंगा हुआ था। यहां के नागरिक रिसेंटमेंट में थे, यहां के नागरिक विरोध कर रहे थे। आप यहां के नागरिकों को दबाने के लिए वर्ष 1984 के सिख दंगों के बाद वर्ष 1985 में टाडा एक्ट लेकर आए। हम क्या लेकर आए? हम वर्ष 2002 में पोटा लेकर आए। क्यों लेकर आए? इसी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। पाकिस्तान के आतंकवादी थे। विदेशी आतंकवादी जो इस देश को खत्म करना चाहते थे, कमजोर करना चाहते थे. उनकी साजिश का भांडाफोड करने के लिए पोटा लेकर आए तो आप हमें कहते हैं कि हम गलत काम करने के लिए आ गए। आपने वर्ष 2004 में पोटा और टाडा सबको रिपील कर दिया, लेकिन हमारा कानून सही था। यही कारण है जब आप एनआईए की बात कहते हुए नजर आए तो वर्ष 2008 में आपको उसी टेरिस्ट एक्टिविटी के लिए एनआईए लेकर आना पड़ा। यदि इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करना है. क्रिमिनल्स को खत्म करना है तो लेकर आएं या नहीं?

महोदय, मैं केवल दो-तीन प्वाइंट कहूंगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करने वाली कांग्रेस और अपोजिशन आज राइट टू प्राइवेसी की बात करती है। अपोजिशन में जितने लोग बोले, राइट टू इन्फॉर्मेशन के सबसे बड़े पैरोकार हैं। इंटरनेट की बात करते हैं, प्राइवेसी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी आनी चाहिए, इस सबका समर्थन करते नजर आते हैं।

लेकिन, इस बिल का मकसद क्या है? जो कन्विक्ट और क्रिमिनल्स हैं, क्या इस पार्लियामेंट की डिबेट में हम उनको बचाते हुए नजर नहीं आए? मैं 'राइट टू प्राइवेसी' पर कह रहा हूं कि हम सांसद होने के नाते जब अपना हलफनामा दाखिल करते हैं, तो सारी जानकारी देते हैं। कौन-सी सम्पत्ति है, कहां है, कौन-सा बैंक अकाउंट है और पैन नम्बर क्या है? तो क्या हमारे ऊपर

राइट टू प्राइवेसी लागू नहीं होती है? क्या सांसद के लिए अलग कानून है और क्रिमिनल के लिए अलग कानून है? आप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। आज आप मोबाइल लेने के लिए जाते हैं या सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो क्या आप पैन नम्बर, आधार नम्बर या आप अपना फोटो नहीं देते हैं? इस हाउस में कौन-सा ऐसा आदमी है, जिसके पास अपना मोबाइल नम्बर या सिम नम्बर नहीं है? हम आम आदमी, जिसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उसके लिए आप पैन नम्बर, आधार नम्बर और फोटो सब देने की बात करते हैं, तब आपको मोबाइल मिलता है। उस वक्त आपको डाटा प्रोटेक्शन नजर नहीं आता है। लेकिन, जब कन्विक्ट और क्रिमिकल के लिए दिया जाएगा, तो उसके लिए पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि आपने ड्रैकोनियन लॉ ला दिया। क्या हम इसी तरह से बात करेंगे?

यदि हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी से कितना बेनिफिट हो सकता है? वर्ष 1992 में बेंजामिन स्कूल लॉ, अमेरिका ने एक इनोसेंस प्रोजेक्ट चलाया। वे दो लोग थे, Peter Neufeld and Barry Scheck. उन्होंने यह सोचा कि क्रिमिनल का जो डीएनए लिया जाता है, उसके क्या फायदे और नुकसान हैं? उसका एक पॉजिटिव एंगल भी देखना चाहिए, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि बेंजामिन स्कूल लॉ, न्यूयॉर्क ने एक अच्छा शोध और रिसर्च पेपर वर्ष 1992 में तय किया। उसने 500 लोगों का सैंपल लिया और देखा कि 500 लोगों पर इस तरह के टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या कन्विक्शन हुआ? आपको आश्चर्य होगा कि 350 लोग यदि निगेटिव थे, तो 150 लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से कन्विक्शन से अलग किया गया और उनको बरी किया गया। क्या आप नहीं चाहते कि हम इस टेक्नोलॉजी से उसी तरह के पॉजिटिव प्वाइंट के बारे में सोचें? यदि हम हमेशा निगेटिव प्वाइंट सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा नहीं होगा? हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए।

मैं बताना चाहता हूं कि आप बिना नियम-कानून के यूआईडी लेकर आ गए। आपको उस वक्त प्राइवेसी दिखाई नहीं दे रही थी? इस पार्लियामेंट में और इस देश में एक बड़ा इतिहास है। यहां

भर्तृहरि महताब साहब और शिव कुमार उदासि साहब बैठे हुए हैं, हम सब लोग फाइनेंस कमेटी के मेम्बर थे। हमने रिजेक्ट कर दिया था।

कोई कानून नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूआईडी का कानून बनाया। आपने 130 करोड़ लोगों का बिना किसी कानून के डाटा कलेक्ट करने का फैसला किया। यदि आप दुनिया की प्राइवेसी की बात करते हैं, तो मैं एक केस स्टडी लेकर आया हूं। यूके में एक बायोमिट्रिक एंड फॉरेंसिक एथिक्स ग्रुप बना था, जिसने इंग्लैंड में यूआईडी बॉयोमिट्रिक सिस्टम लागू नहीं होने दिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के आधार पर यूके में वह बायोमिट्रिक ग्रुप नहीं बना। उसने इस कानून के बारे में कहा, जो वर्ष 2016 और 2017 का सिक्योरिटी काउंसिल का रिजॉल्यूशन है, जिसको भारत सरकार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। काउंटर टेरिज्म के लिए और टेरिस्ट को बंद करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। वह खुद रिपोर्ट लेकर आया था, जिसने यूके में यूआईडी नहीं बनने दिया। वह यह कह रहा है कि क्राइम के लिए, क्रिमिनल के लिए, महिला एवं बच्चों के प्रोटेक्शन इस तरह के कानून की आवश्यकता है। आज भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में यह कानून लेकर आई है।

आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है। आज मैं बहुत ज्यादा राजनीति या बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आज मैं अंगुली नहीं उठाना चाहता। मैं इस सभा से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं और बच्चों का प्रोटेक्शन हो पाए, जिससे हम टेरिस्ट एक्टिविटी में दाउद इब्राहिम से लेकर सलाउद्दीन अंसारी और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों को पकड़ पाएं। इसीलिए, इस कानून की आवश्यकता है। हम इस कानून का समर्थन करने के लिए यहां खड़े हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, Sir, I rise to vehemently oppose the Bill under the nomenclature, Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022, because, in my view, this legislative document is nothing but it offers a *carte blanche* to the police officials to collect samples according to their whims and fancies. So, this Bill is fraught with a danger of serious infringement upon the territory of freedom, individual right, and civil liberties.

Everybody must understand the tone and tenor of this legislative document. हम लोग यहां चॉक और चीज एक साथ नहीं कर सकते हैं। हमें वजन के अनुसार भोजन करना चाहिए। मैं सरकार को शुरू में यह सलाह देना चाहता हूं कि ... * से लेकर, अमित शाह जी से लेकर, मैं, यानी अधीर रंजन चौधरी, सभी के खिलाफ कभी न कभी केस दर्ज हुआ था। तो शुरू कीजिए ये डीएनए, ये बायोलॉजिकल, यहां पर तरह-तरह की प्रोफाइलिंग करने की जो सलाह दी गई है, हम सब इस सलाह को खुद मानें। जैसे कि कोरोना है। हमने सरकार के नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की थी। ... * और गृह मंत्री जी से लेकर और अधीर रंजन चौधरी तक, क्योंकि हम सबके खिलाफ कभी न कभी कहीं न कहीं केस दर्ज हुआ है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं। तो क्यों न हम शुरू करें? Charity should begin at home. चिलए, हम शुरू करते हैं। फिर हम दूसरों को सलाह देंगे। जब शुरू होगा, तो चलो सब मिलकर करें। क्यों हम हिन्दुस्तान के आम नागरिकों की सिटिजनरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं? यह और कुछ नहीं, हिन्दुस्तान के सभी लोगों की सिटिजनरी प्रोफाइलिंग का चक्कर है। मैं इसलिए कहता हूं कि हम वजन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारे देश में जो फॉरेन्सिक लेबोरेटरी है, वहां हम कितने फॉरेन्सिक करते हैं? आप बताइए। हमें कोर्ट से रोजाना फटकार मिलती है कि लेबोरेटरी

•

^{*} Not recorded as ordered by the Chair.

की रिपोर्ट कहां गई? हम रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। आप यहां पर अमेरिका और यूके की बात करते हैं। यहां पर तो हिन्दुस्तान से ज्यादा बाहर की बात होती है।

मैं भी अमेरिका की बात करना चाहता हूं। अमेरिका में डीएनए इंडेक्सिंग के लिए जो स्टोरेज का एक्सेस है, जो स्टोरेज की फैसेलिटी है, वह इस बिल में नहीं है, हमारे देश में नहीं है। डीएनए इंडेक्सिंग की स्टोरेज की एक्सेस क्या है? इस बिल में कहां प्रावधान है? आप बताइए। यह बिल असलियत में यह दिखाने के लिए लाया गया है कि हम हिन्दुस्तान में बहुत कुछ कर रहे हैं। इस बिल को सामने रखकर हमारे जो अधिकार हैं, हमने शुरू के दिनों से इसका विरोध किया था, क्योंकि हमारे देश और हमारे संविधान में, जो हमारे अधिकार हैं, उस अधिकार को सुरक्षित रखना और उसका पालन करना हमारी जिम्मेवारी है।

महोदय, मैं तीन उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम डब्ल्यू है। A person 'W' is found guilty of rash and negligent driving, and fined Rs. 1,000. He may have his signatures collected and stored in a central database for 75 years. The Bill permits it. इसकी क्या जरूरत है? आप बताइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम एक्स है। A person 'X' is arrested for an offence. He refuses to give his fingerprints. अमित शाह जी, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। He refuses to give his fingerprints. He is charged with preventing a public servant from performing his duty under Section 186 of the Indian Penal Code, 1860. His fingerprints are forcibly taken under both cases. He is subsequently discharged from the original case. However, as he is guilty under Section 186 of the Indian Penal Code, in the second case his fingerprints can be stored for 75 years. This implies that anyone who is arrested for any offence and refuses to give his measurement, can have his data stored for 75 years even if he is acquitted in the main case. इसकी निटी-ग्रिटी को समझाइए, इंट्रिकेसी को समझाइए। मैं एक

और उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का नाम सत्यपाल जी है। Satyapal-ji defies Section 144 of CrPC. Satyapal-ji defies Section 144 Order of CrPC by unlawful assembly, and is arrested. His fingerprints are taken. The Bill does not require, माइंड कीजिए। The Bill does not require a connection between the measurement and the evidence needed for investigation. इसको मार्क कीजिए। He is found guilty under Section 188 of the Indian Penal Code, and fined Rs. 200. His fingerprints will be in the database for 75 years. मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। शायद बहुत सारे मेंबर्स ने यह बात नहीं कही है। इस बिल के जिएए हम प्राइवेटाइजेशन का एक चक्कर देख रहे हैं। It is becoming privatisation of criminal investigation. मैं यह भी बताता हूं। Clause 4(3) empowers State Governments and UTs to notify an appropriate agency to collect, preserve and share sensitive personal information of citizens.

In the absence of any restriction on the scope of the notification under Clause 4, Sub-Clause 3, it cannot be ruled out that the task of collecting, preserving and sharing measurement may be assigned to a private agency. This would amount to delegation of the sovereign function to conduct criminal investigation and collect evidence for the same which in turn has implication for the States obligation to administer justice since unguided delegation, of a sovereign function to a private and an unregulated agency is legally impermissible. ... (Interruptions)

प्रो. सौगत राय: यही तो प्राइवेटाइजेशन है।... (व्यवधान)

18.41hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

श्री अधीर रंजन चौधरी: हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आप उन सभी पुलिसवालों की बात करते हैं, जो सैम्पल का कलेक्शन करेंगे तो क्या इनके पास कोई स्किल है? क्या इनकी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है? क्या इनके पास कोई जानकारी है? ट्रेनिंग फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। आप इस बिल को ला रहे है इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि इस बिल को लेकर आप वजन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। हम इस पर और ज्यादा छानबीन करके, स्क्रूटनी करके दोबारा चर्चा करेंगे। इसमें हमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए हड़बड़ी मत कीजिए, क्योंकि उसके चलते गड़बड़ी हो जाएगी। धन्यवाद।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस पर सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है और कुछ लोगों ने इस बिल का विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई हैं और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक-एक करके सभी चीजों का धैर्य से जवाब भी दूंगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूंगा।

यहां पर जिन चीजों को एक शंका की दृष्टि से रखा गया है, चूँिक इस बिल को लाने के लिए सरकार की ना तो ऐसी कोई मंशा है, ना ऐसी कोई इच्छा है, लेकिन हम इतना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। इस बिल में किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी नहीं छोड़ी गई है। यह व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों का उपयोग दोषसिद्धि के लिए किया जाए, उसके

लिए यह बिल लाया गया है और जो लोग ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप उनके भी ह्यूमन राइट्स की चिंता करिएगा, जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है? किसी बच्ची का रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाढ़ी कमाई को कोई लूट-खसौटकर ले जाएगा तो क्या उसके ह्यूमन राइट्स नहीं हैं। आपको चिंता लूट-खसौट करने वाले की है। आपको चिंता बलात्कार करने वाले की है। आपको चिंता बलात्कार करने वाले की है।... (व्यवधान) आप सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि साहब यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है। जो कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ह्यूमन राइट्स के कई मायने होते हैं। एक ही चश्मे और एक ही नजरिए से ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खून-पसीना बहाकर अपनी सम्पत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं और कोई उसे झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी करके ले जाता है, कोई लूटकर ले जाता है तो किसी की हत्या कर दी जाती है।

क्या उन लोगों के कोई ह्युमन राइट्स नहीं हैं? जो पीछे छूट जाते हैं, क्या उन परिवारजनों का कोई ह्युमन राइट नहीं है? उनका भी ह्यमुन राइट है। उनके ह्युमन राइट की चिन्ता करने की जिम्मेदारी, आप मानो या न मानो, हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्युमन राइट को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता, ह्युमन राइट को देखने के कई एंगल्स होते हैं और ह्युमन राइट प्रोटेक्शन के भी कई एंगल्स होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि यह बिल देश के करोड़ों लॉ ओबिडिएंट नागरिकों के ह्युमन राइट्स के रक्षण के लिए हम लोग यहां लेकर आए हैं। इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न करे।

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कही गईं कि वर्ष 1920 से कानून था, अब इसमें सुधार करने की क्या जरूरत थी। दादा, फिर तो शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी? ...

(व्यवधान) जल्दी नहीं है, 102 साल हो गए, मेरा तो यह सवाल है कि इतना लेट क्यों हुआ? ये सारी चीजें इस बिल में हैं, सिर्फ जो नए आयाम जोड़े गए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर उन आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगर प्रिंट्स देते थे, कोई विरोध नहीं करता था। देते थे। अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 वर्षों में से 58 वर्ष आप शासन में रहे, क्यों आपने अंग्रेजों का लाया हुआ यह कानून हटा नहीं दिया? इतिहास को थोड़ा नाप-तौल कर बोलिए। आपने कहा कि नमक कानून के कारण आया, नमक कानून वर्ष 1930 में तोड़ा गया और यह कानून वर्ष 1920 में आया था। आप क्या कर रहे हैं? कुछ तो इतिहास देखकर बोलिए।...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वर्ष 1930 में असहयोग आंदोलन हुआ था।

श्री अमित शाह: आप नहीं थे, जब मनीष जी बोल रहे थे। आप कृपया बैठ जाइए।... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: गृह मंत्री जी, असहयोग आंदोलन, नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट का जिक्र किया गया था। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल देश के अंदर दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के लिए एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर, गुनाहों की संख्या को सीमित करने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल एफआईआर को और आरोपों को दोषसिद्धि के माध्यम से, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा दिलाकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। इस बिल के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है। फर्स्ट रिस्पांडर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है, मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब पुलिस की कार्यवाही का उतना असर नहीं होता है, जितना होना चाहिए। इसलिए वर्ष 2014 में मोदी जी ने देश भर की पुलिस फोर्स के सामने 'स्मार्ट' पुलिसिंग का एक कांसेप्ट रखा था। इसमें 'एस' से मतलब था सख्त, परन्तु

संवेदनशील, 'एम' से मतलब था मॉडर्न और मोबाइल, 'ए' से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, 'आर' से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक और 'टी' से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित । यह 'टी' वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए मैं यह बिल लेकर आपके सामने आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं कि वर्ष 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा है, इसके हिसाब से मर्डर करने वाले केसों में सिर्फ 44 प्रतिशत लोगों को हम सजा दिला पाते हैं। सिर्फ 44 प्रतिशत । बलात्कार के केसों में सिर्फ 39 प्रतिशत, अटेम्प्ट टू मर्डर में सिर्फ 24 प्रतिशत, डेकॉइटी में सिर्फ 29 प्रतिशत, रॉबरी में सिर्फ 38 प्रतिशत लोगों को हम सजा दिला पाते हैं।

इसके सापेक्ष में अगर दुनिया भर के डेटा की स्टडी करते हैं तो इंग्लैण्ड 83.6 प्रतिशत एवरेज, कनाडा 64 प्रतिशत, साउथ अफ्रीका 82 परसेंट, आस्ट्रेलिया में 2020-21 का 97 प्रतिशत है, यूएसए 93 प्रतिशत है। ये सारे भी ह्यूमैन राइट्स के चैम्पियन देश हैं और इन सब जगहों पर इससे भी कठोर कानून उपलब्ध हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स का जिक्र किया है, मैं इसका भी जवाब बाद में देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजों को यहां रख देना और जो चीजें हमारे विचारों के अनुकूल नहीं हैं, उनको नहीं रखना, अगर इस प्रकार हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि अगर जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य, एक ही तथ्य लेकर सेलेक्टिव्ली यहां रखना यह सांसद के नाते ठीक नहीं है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए, क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्राइम करने लगे, लेकिन हम पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस न करें। किसी को हाथ-पैर बांधकर स्वीमिंग पूल में डाल दो कि गोल्ड मैडल लेकर आओ। गोल्ड मैडल क्या, वह तो बेचारा डूब

जाएगा, क्योंकि आपने हाथ-पैर बांध दिए हैं। अब इस प्रकार की व्यवस्था देश में नहीं चलती है। दादा को भले ही लगता हो कि जल्दी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है कि इसको हम बदलें। इसके लिए सिर्फ यह बिल ही नहीं है, ढेर सारे प्रयास भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी की सरकार कर रही है। अधीर रंजन जी ने ठीक कहा है कि हमारे देश में फोरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है। हमारे पास ट्रेंड मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे? किसी ने चिंता की? हमने चिंता की। मोदी जी जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। जब मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तब उन्होंने नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फोरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करें, एमएससी करें, रिसर्च करें, वहां से प्रोफेसर बाहर आएं। इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस यूनिवर्सिटीं मोदी जी ने बनाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, 6 राज्यों में इसके एफिलिएटिड कॉलेज, उसके कैम्पस खोले गए। सब जगह फोरेंसिक साइंस की अलग-अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है। ये सारी यूनिवसिटींज और कॉलेजेज से, यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजेज से, जो बच्चे फोरेंसिक साइंस में अलग-अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी दोषसिद्धी का प्रमाण बढ़ेगा। समस्याएं जरूर हैं, मगर समाधान ही नहीं करना है।

अब तो कोई यह भी कह देगा कि फोरेंसिक साइंस यूनिवसिटीं किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना ली है। हर चीज को, इस कानून के बारे में भी कहा है। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए हैं, वह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने माइनोरिटी को परेशान करने की बात की थी। इस बिल में माइनोरिटी शब्द ही नहीं है। किस चश्मे को लगाकर मेरे बिल को पढ़ा?

मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा चश्मा खराब है या मेरे चश्मे में टेक्निक नहीं है। इसमें माइनोरिटी शब्द कहीं नहीं है। कहां से ले आए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चश्मा है, कहीं न कहीं आपको भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के पढ़ाई-लिखाई करने के लिए हम एक सुविधा लेकर आए हैं।

हम ने इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिए बनाया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वह इसलिए बनाया है कि पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनसे दो कदम आगे हों, दो कदम पीछे न हों। इसको इतनी शंका से देखने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमें नेकस्ट जनरेशन क्राइम के लिए भी विचार करना पड़ेगा। अभी से उसको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा और क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में भी ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हम पुरानी तकनीकों से नेकस्ट जनरेशन क्राइम को टैकल नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसको बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। यह बिल इन टोटो सारे इनिशिएटिव्स में से एक इनिशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने चुन कर भेजी है। गृह मंत्रालय में वर्ष 2020 में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया गया है, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी की स्टडी होगी। इसके आधार पर अलग-अलग क्राइम को इसके समन और उसको दंड देने की प्रक्रिया होगी। हम ने आईपीसी और सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। मैंने सभी माननीय सांसदों को पत्र लिखा है, सभी माननीय मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। गृह सिवव

जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सिचवों को पत्र लिखा है। गृह सिचव जी ने सभी लॉ यूनिवर्सिटीज को पत्र लिखा है।

सभी के पास से अभिप्राय आ रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएंगे, उसको जरूर स्टैंडिंग कमेटी या गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे। हमें कोई आपित्त नहीं है। मगर फिर आप वहां पर मेजॉरिटी वाली बात लेकर आएंगे। कोई चर्चा से भागना नहीं चाहता है, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए। समस्याएं देश में कम हों, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए और समस्या के रास्ते ढूंढ़ने के लिए होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ-साथ डायरैक्टर ऑफ प्रोसेक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है। हमने ई-गवनेंस इनिशिएटिव भी ढेर सारे लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम सीसीटीएनएस, क्रिमिनल जिस्टस डिलिवरी सिस्टम के लिए, वह मुख्य आईटी पिलर है। मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि जनवरी, 2022 तक 16,390, हंड्रेड परसेंट पुलिस स्टेशंस में सीसीटीएनएस लागू कर दिया गया है और 99 प्रतिशत पुलिस स्टेशंस में आज एफआईआर का रिजस्ट्रेशन सीसीटीएनएस के आधार पर होता है। इससे डेटा उपलब्ध होता है और उस डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालाइसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है और उस पर एडवाइजरी गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जाती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि फिर कोई बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा, राज्यों का सब्जेक्ट है, राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केन्द्र मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है, मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए?

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ हमने सीसीटीएनएस के साथ ई-प्रीजन का भी एक मॉडल बना कर राज्यों को भेजा है, ई-फॉरेंसिक का भी भेजा है, ई-प्रोसेक्यूशन का भेजा है, ई-कोर्ट का भी भेजा है। इन सारे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम को

टेक्नोलॉजी के माध्यम से ताकत देना चाहते हैं, इसका हिस्सा बिल है। इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में, ई-अभियोजन, ई-प्रोसेक्यूशन लागू हो चुका हैं। ई-प्रीजन को 1259 अलग-अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई-फॉरेंसिक एप्लिकेशन को 117 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटीज ने लागू कर दिया है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि यह विषयांतर नहीं है। जो टोटल प्रयास है, क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम को जिंकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका यह एक हिस्सा बिल है।

19.00 hrs

इसलिए मैं ये बातें माननीय सदस्यों से बताने के लिए कह रहा हूँ। आज सीसीटीएनएस के सॉफ्टवेयर में सात करोड़ से अधिक एफआईआरज उपलब्ध हैं। नैशनल डेटा बेस में जो सात करोड़ से अधिक उपलब्ध हैं, इनमें से 28 करोड़ पुलिस के रेकॉर्ड में उपलब्ध हैं।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: सीसीटीएनएस का पूरा नाम क्या है?

श्री अमित शाह: दादा, मैं वह भी बताता हूँ। आप बीच में बोलकर मेरा लय मत तोड़िए।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ, हम सारे प्रयासों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक सिस्टम- इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जिस्टस सिस्टम (ICJS) भी लाये हैं। उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव्स को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। आईसीजेएस में आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, एनालिटिकल टूल्स, फिंगर प्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन का उपयोग होकर और एनालिसिस होकर हर थाने में, कौन-सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के ऑफिसर की किस अपराध की नाबूती में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है, इन सारी चीजों के बारे में राज्यों को भेजा जाने वाला है।

हमने इनवेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की भी शुरुआत की है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ भी शुरू किया है। इन सब में, सारे सदस्य जो

चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, अभी तक कहीं से कोई लीकेज नहीं हुआ है। प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, लीकेज, मिसयूज ऑफ डेटा आदि ये सब इन ढ़ाई वर्षों में हो चुके हैं और कहीं से कोई कम्प्लेन नहीं है। मैं रेकॉर्ड पर कहता हूँ कि देश की अदालतों में इसके मिसयूज की एक भी कमप्लेन नहीं आई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको परिमट नहीं करती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसका मिसयूज न हो, हमने इसकी व्यवस्था की है। हम क्यों इतनी शंका के जमाने में जी रहे हैं, क्यों इतनी शंकाएं की जा रही हैं? माननीय नरेन्द्र मोदी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, वह इनिशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए है, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए है।

माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेन्टर्स भी चालू किए गए हैं। 60 हजार लोगों ने 'Cri-MAC' का इस्तेमाल किया है। उनमें से 24 हजार से अधिक एलर्ट देश के अलग-अलग हिस्सों में गए हैं और कई अपराधी रेलवे पुलिस, एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस और विभिन्न जिलों की पुलिस आदि के द्वारा धर लिए गये हैं, पकड़ लिये गये हैं।

हमने लापता व्यक्तियों की खोज के लिए सारी एफआईआरज की एनालिसिस करके उनका डेटाबेस लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसीज को साझा किया है। इसके माध्यम से, 14 हजार तलाशियाँ ली गईं और 3,680 हजार लोग प्राप्त कर लिये गये हैं।

मैं यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है और हमें भी यह करना पड़ेगा। हम लोग कब तक अंग्रेजों के जमाने में जिएंगें? हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।

वाहन एनओसी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने चोरी किए गए वाहनों के रेकॉर्ड सीसीटीएनएस से ले लिये, वाहनों के चेसिस नम्बर उपलब्ध कराए गए। सेकेंड-हैंड वाहन खरीदने वालों में से 13,636 लोग बच गए और ऐसे वाहनों की जब्ती हुई, जो उनको बेचने गए थे। अगर यह सॉफ्टवेयर न होता, उनकी एनालिसिस न होती, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था।

16,176 घोषित अपराधी, जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसके डेटाबेस को हमने सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ साझा किया। अगर ओडिशा वाला गुजरात में छिपा है, गुजरात

वाला बंगाल में छिपा है, महाराष्ट्र वाला दिल्ली में छिपा है, तो इनमें से कई अपराधियों को पकड़ लिया गया है, भागते हुए अपराधियों को पकड़ा गया है। ये जो डेटाबेस-डेटाबेस का हौवा खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि यह सारा हो चुका है, यही ढ़ाई साल में हो चुका है और यह अच्छी तरह से चल रहा है। इसके विरुद्ध कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अगर आपकी बात सुनकर कोई एनजीओ झूठमूठ की फरियाद खड़ी कर दे, तो भगवान जाने।... (व्यवधान)

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, दादा, मैं अब सारे नाम फुल-फॉर्म में पढ़ रहा हूं। ... (व्यवधान) इसमें नौ लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18 हजार शिकायतें एफआईआर में कन्वीन कर दीं। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (JCCT) - सात JCCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश और संघ प्रदेश भी सम्मिलत हैं। इन सबकी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, जो इन सबके उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को प्रशिक्षित करता है।

इसी प्रकार सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी, काम किया गया है। मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद सात सालों में ढ़ेर सारे फारेंसिक साइंस के क्षेत्र में इनीशिएटिव्स लिए। लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत से हमने पुणे में सेंट्रल एफएसएल बनाई, 50 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी में बनाई, 53 करोड़ रुपये की लागत से भोपाल में नई आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। कोलकाता में 87 करोड़ रुपये की लागत से अब नई सेंट्रल एफएसएल बन रही है।

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में पूरे देश में यौन-अपराधों से जुड़े हुए लोगों का अत्याधुनिक डीएनए, डेटा स्टोरेज सेंटर और इसकी प्रयोगशाला भी बनी है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक फॉरेंसिक्स के क्षेत्र में हमने यह काम किया है और देश भर की पुलिस इस काम को आधुनिक करने के लिए मैं सिर्फ ई-इनीशिएटिव के लिए बात कर रहा हूं, 2,080 करोड़ रुपये नरेन्द्र मोदी सरकार ने खर्च किए हैं। ... (व्यवधान) मैं यह इसलिए बता रहा हूं, जिससे सांसदों के मन में कोई संशय न रहे।

अभी एक बात आई कि इसका उपयोग कैसे होगा? मिसयूज होगा, क्योंकि यह सबसे साझा कर दिया जाएगा, तो निजता का क्या होगा? आर्टिकल-14, आर्टिकल-19, आर्टिकल-20, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं, मैं पहले इसके उपयोग के बारे में बताना चाहता हूं।

National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी इसको ऑपरेट नहीं किया गया है, इसका सॉफ्टवेयर ट्रायल बेस पर चल रहा है, परंतु NAFIS के पास लगभग एक करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अभी हैं। मैं यह डिटेल इसलिए बताना चाहता हूं कि यही तकनीक इसके लिए अपनाई जाएगी। NAFIS का डेटा एनसीआरबी में स्टोर्ड है। इसमें किसी का एक्सेस नहीं है, किसी लॉ-इनफोर्समेंट एजेंसी का भी एकतरफा एक्सेस नहीं होगा, जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। तो फिर इसका उपयोग कैसे होगा? NAFIS को हम CCTNS के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन से जोड़ेंगे।

किसी भी पुलिस स्टेशन में, मानिए कोलकाता के किसी पुलिस स्टेशन में चोरी हुई। वहां एफएसएल की टीम गई, उसको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। आज की स्थिति में यह है कि उस पुलिस स्टेशन को उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पूरी कोलकाता की आबादी में से चोर को ढूंढना है कि कौन चोरी कर गया। अब यह डेटा ऑपरेट होने के बाद उसको ये फिंगरप्रिंट्स कम्प्यूटर में डालने हैं। एक करोड़ लोगों में डेढ़ मिनट के अंदर सर्च करके वह उस व्यक्ति का नाम निकाल देगा और फिर चोर को पकड़ने की व्यवस्था होगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को कोई और बात मालूम नहीं है। अधीर रंजन जी ने कहा कि मेरे ऊपर केस हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं कि मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हैं और आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए, कभी भी नहीं हुआ है। ... (व्यवधान) नहीं रखनी है, आप बैठ जाइए, माफी मांगने के लिए बाद में अपनी बात रखिएगा। ... (व्यवधान) अध्यक्ष जी, आपको मार्गदर्शन देना है, ये माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए सोच-विचार कर बोला करें। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आपने नाम लिया है?

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : हां, लिया है, मैंने सुना है। ... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: जरूर कभी न कभी केस दर्ज हुआ, मेरा यही कहना है। ... (व्यवधान) कभी न कभी केस दर्ज हुआ, यह जरूर कहा। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : कभी नहीं हुआ है। ... (व्यवधान)

ये रिकार्ड पर... * बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या कभी भी कोई केस दर्ज नहीं हुआ?... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: कभी केस दर्ज नहीं हुआ।... (व्यवधान) कभी केस दर्ज नहीं हुआ।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: ...** गुजरात दंगों के बाद फिर सीबीआई ऑफिस क्यों गए थे? बताइए?

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाएं।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं कि मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अधीर जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। आप सुनिए, मेरी बात अधूरी रह गई है। मैं कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसे इस डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं बलात्कार हो गया और कोई डीएनए सैम्पल मिला है, तो उसे चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर भेजा जाएगा और वो डीएनए मैच करके भेज देगा कि इसने किया है। उसे सभी का डेटा नहीं देना है और इसके रूल्स भी बनेंगे। उसके ऑपरेशन का सिस्टम भी बनेगा। इसमें देश के सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को रखकर इसका उपयोग सीमित करने वाले हैं और हमने किया भी है। इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जब 130 करोड़ लोग देख रहे हों, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न करके किसी कानून के लिए आशंका खड़ा करना ठीक

_

^{*} Not recorded.

^{**} Expunged as ordered by the Chair

नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। आधार के आधार पर आशंका जरूर खड़ी कीजिए। कहने लगे कि यूएपीए, यूएपीए.....। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएपीए कौन लेकर आया? एक सदस्य ने कहा कि यूएपीए अमेंडमेड आप लेकर आए। मैं पूछता हूं कि उसका हमारे समय में क्या मिसयूज हुआ? मैं आज भी कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, अपीजमेंट में इसे रद्द किया गया। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान तक ले जाने के लिए आए हैं। हमने कभी भी राजनीति नहीं की है। यूएपीए में अमेंडमेंड चिदम्बरम साहब लेकर आए थे और हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था। हम भी विपक्ष में थे, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया परन्तु शंकाएं खड़ी करके शंका का एक बादल बना देना, जिससे कि कानून पर श्रद्धा न बने। मुझे लगता है यह ठीक बात नहीं है। मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में स्पष्टता हो जाए कि डेटा सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसे डेटा से एक्सेस चाहिए, वह अपना सैम्पल भेजेगा और यहां से उसे मैच करके उसका परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा कि हम सभी के फिंगर प्रिंट आधार कार्ड पर हैं। हम सभी के डाक्यूमेंट्स सिम कार्ड लेते समय दिए जाते हैं। सिम कार्ड लेने वाले क्रिमिनल तो नहीं हैं। क्या हम क्रिमिनल का डेटा भी न लें? यदि नहीं लेंगे, तो क्राइम कैसे रोकेंगे? मैं अभी भी कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के दो एंगल हैं।

अध्यक्ष जी, जिन पर आरोप लगता है, उनके ह्यूमन राइट्स से इंकार नहीं करता हूं लेकिन मैं इसकी ज्यादा चिंता करता हूं कि जो निर्दोष है और क्राइम का विकिटम है, मैं उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता करता हूं। इसकी प्रॉयिरटी स्वाभाविक है। प्रॉयिरटी होनी भी चाहिए, क्योंकि वह तो कानून का समर्थन कर रहा है। जिसे देश की जनता ने मेनडेट दिया है, क्या सरकार में इतना विवेक नहीं होगा। कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे। हमने कभी ऐसे भाषण नहीं दिए।

विरोध करने का एक तरीका होता है, विरोध करने का मुद्दा होता है, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ओपोजिशन में बैठे हैं, इसलिए विरोध करना, मुझे ठीक नहीं लगता है। हंसने से दयानिधि जी कुछ नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है।

अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिस में दोष सिद्ध न होने के जो कारण निकाले गए हैं, इनमें सबूतों की कमी के आधार पर साढ़े सात लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। इन साढ़े सात लाख केसेज में जिनका नुकसान हुआ है, उनका ह्यूमन राइट है या नहीं? यदि ये सारे सबूत उनके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि यह संख्या आधे से कम रह जाएगी और इस बिल की यही उपलब्धि है। किसी ने कहा कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा होने के बाद अब क्राइम नहीं होंगे। किस तरह की बातें आप सदन में कह रहे हैं? धारा 302 कब से है, तो क्या खून होने बंद हो गए हैं? क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? आप क्या तर्क देते हैं और क्या सोच कर बोलते हैं और क्या जगह देखकर बोलते हैं? बाहर किसी को हंसाने के लिए बोल दो. तो ठीक है लेकिन यह तो संसद है। न्याय की प्रतीक्षा के बारे में कोर्ट कभी कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग हैं। क्या उन्हें जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? वह न्याय तभी मिल सकता है, जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन सभी इनिशिएटिव्स को एक करके, इसका उपयोग करके सजा दिलाने का हम काम करेंगे। मैं मानता हं कि देरी से मिले हुए न्याय का कोई उपयोग नहीं है। समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिलना चाहिए, तभी कानून का राज प्रस्थापित होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो पुलिस क्या करे? क्या पुलिस थर्ड डिग्री पर जाए? क्या हम ऐसा अलाऊ करना चाहेंगे? नरेन्द्र मोदी सरकार मानती है कि थर्ड डिग्री के आधार पर इनवेस्टिंगेशन नहीं होगा, बल्कि तकनीक की डिग्री के आधार पर इनवेस्टीगेशन होगा, डेटा की डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन होगा, इनफोर्मेशन की डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन होगा। थर्ड डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस को कम्पेल होना पड़ता है, क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है। अखबार, विधायिकाएं दबाव बढ़ाती हैं, लेकिन कैसे काम होगा? टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर,

इनफोर्मेशन के आधार पर यदि सजा हो सकती है, तो थर्ड डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेकनीक का सहारा लिया जाएगा।... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: Do you accept that 3rd degree is being utilized? ... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: तमिलनाडु में भी कई जगह होता है।... (व्यवधान)

SHRI DAYANIDHI MARAN: It is being used in Gujarat too. ... (*Interruptions*) It is there in every State. ... (*Interruptions*) You, as the Home Minister, should not approve of 3rd degree. ... (*Interruptions*) It is not a rule. ... (*Interruptions*)

श्री अमित शाह : आप बैठिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, आप बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं कि उन्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कि पुलिस को थर्ड डिग्री पर जाने के लिए कम्पेल न होना पड़े। उन्हें थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े, इसलिए कहा है। ये शायद मेरी बात ढंग से समझ नहीं पाए। अब हैडफोन ट्रांसलेशन मोड पर लगाया है, इसलिए वे समझेंगे।... (व्यवधान) मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता और न ही गुस्सा होता हूं। मैं हमेशा सोच-विचार कर धैर्य से बोलता हूं।

महोदय, यह जो नया कानून आया है, बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 पर वर्ष 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में इसे उचित संशोधन करके विज्ञान आधारित बनाने की एक सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी। दादा की बात सही है कि इतनी देर क्यों हो गई। दादा, हम देर से ही लेकर आए, लेकिन आप तो अभी भी विरोध कर रहे हैं और देर हो जाती।

प्रो. सौगत राय : देर आयद, दुरुस्त आयद।

श्री अमित शाह : दुरुस्त आयद, अच्छी बात है। उसी रिपोर्ट में विधि आयोग ने स्वीकार किया था कि पहचान के उद्देश्य एकत्रित किए जाने वाले मापों को सीमित नहीं रखा जा सकता। आधुनिक

तकनीक का उपयोग करके उसे सुरक्षित रखना चाहिए, सीमित रखने का कंसेप्ट ठीक नहीं है। इसलिए यह जो कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, इसे सुरक्षित रखना, मैं आपकी चिंता और कंसर्न दोनों से सहमत हूं। सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी कि इसका दुरुपयोग कहीं पर भी न हो। इसकी कार्यपद्धित भी रूल्स में इसी प्रकार बनाई जाएगी और इसके उपयोग के लिए जो पद्धित बनाई जाएगी, उसमें देश के अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता लोगों को बिठाकर उनकी सेवाओं को लेकर काम करेंगे।

महोदय, मैं ह्यूमन राइट्स और निजता का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम दूसरे देश से ह्यूमन राइट में पिछड़े हुए हैं, मैं यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ, मगर ये सारी बातें जहाँ से प्रेरणा लेकर की जाती हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको मैं ब्रिटेन का उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रिटेन का जैविक सूचना डेटा बेस दुनिया में सबसे बड़ा है। अपराध स्थल पर ही संदिग्ध का सभी प्रकार का सैम्पल ले लिया जाता है और वहाँ कोर्ट में 60 प्रतिशत मामलों में सजा इसी डेटा बेस के आधार पर होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इंग्लैंड ने किया, इसलिए हमें करना चाहिए, मगर ह्यूमन राइट्स का जो फॉरेन कांसेप्ट लेकर आते हैं, उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मैं तो उस कांसेप्ट से सहमत ही नहीं हूं, परंतु उनको समझाने के लिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं।

महोदय, अभी जो अधिनियम है, उसमें आधुनिक एवं नवीन तकनीकों से शरीर का माप लेने का प्रावधान नहीं है। नये शारीरिक माप को लेने के लिए नई टेक्निक के आधार पर हम कानून लेकर आए हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि हम इसको दोषसिद्धि के अलावा किसी और चीज के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं। एनसीआरबी देश की प्राइम संस्था है, कई सालों से चल रही है, क्राइम कंट्रोल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सभी राज्यों की पुलिस की वह मदद करती है।

वहां आईपीएस ऑफिसर्स बैठते हैं, वहां कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठता है। वैसे तो सब डेटा, इनकम टैक्स का डेटा भी किसी ऑफिसर के हाथ में होता है। सब डेटा, आधार का डेटा भी

अंततोगत्वा तो किसी ऑफिसर के हाथ में होता है। क्या डेटा ही कलेक्ट नहीं करना, 18वीं सदी की तरह कागज रखना शुरू करना है? कहां ले जाएंगे शंका के वातावरण को?

महोदय, एनसीआरबी पर शंका करने को मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तिमलनाडु, मध्य प्रदेश, इन सब सरकारों ने इतना ज्यादा नहीं, मगर वर्ष 1920 के कानून को बदलने का काम किया है। वे ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। आप जरा डाउनलोड करके देख लीजिए, वे कर चुके हैं। इससे भी आगे सभी सरकारों से हमने चर्चा-विचारणा भी की है और उसके बाद यह बिल लेकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। हमने सभी से संपर्क किया था, मगर दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 18 राज्यों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं। समय की मर्यादा के कारण अब बिल ही आ गया है, बाकी राज्य उसके बाद इसे देखेंगे।

महोदय, ऐसा नहीं है कि जेल में जो कैदी हैं, उनके सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं, जिसका राज्यों का कंसल्टेशन समाप्त होने की कगार पर है। हम जेलों के लिए एक मॉडल अधिनियम ला रहे हैं। वह राज्यों को करना है, मगर एक मॉडल होगा, जो यहां से हम राज्यों को भेजेंगे। इसमें कैदियों के पुनर्वसन के लिए और जेल से मुक्त होकर वे पुनर्स्थापित हो, आफ्टर केयर सेवाओं पर इसमें बड़ी पुख्ता योजना है। जेल के अधिकारी के कर्तव्य, शिक्तयों, जिम्मेदारियों और आचरण का नियमन करने के लिए भी इसके अंदर पूरा प्रावधान किया गया है। अधिकतम सुरक्षित जेल, उच्चतम सुरक्षा वाली जेल, खुली जेल, महिलाओं की जेल और ट्रांसजेंडर की अलग खोली, ये सारी व्यवस्था इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। महिला बंदियों के लिए अलग जेल, बैरक और बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी अलग बैरक बनाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कैदियों का मनोवैज्ञानिक आकलन करके, नार्को एनालिसिस नहीं, मनोवैज्ञानिक आकलन करके वहाँ उनको क्राइम की आदत छुड़ाने के लिए भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स की सर्विस दी जाएगी। काउंसिलिंग, थैरेपी और ट्रेनिंग, तीनों विषयों को हम इसमें लाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम बंदियों को कानूनी सहायता का प्रावधान भी इसमें करने जा रहे हैं।

जो मजदूरी करते हैं, उसकी कमाई से दंड भरकर उसको जेल से जल्दी छोड़ने की एक व्यवस्था भी अधिनियम के अंदर करने जा रहे हैं। पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई को भी हम बहुत रिलेक्स करने जा रहे हैं। हम जेल कैदियों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जेल की वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यह मॉडल अधिनियम भी अभी फाइनलाइजेशन पर है, उसके बाद ही सारे राज्यों को भेज दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में एक बेलेंस की जरूरत है। व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ समाज, सोसायटी के अधिकारों पर भी चिंता करनी पड़ेगी और दोनों के बेलेंस को बढ़ाना पड़ेगा।

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते-करते समाज एज सच समाज के अधिकारों का ही हनन हो जाए, इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है और न ही किसी भी सरकार को करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने काफी सारी चीजें उठाई थीं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे सांसदों ने केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट क्वोट किया है। मनीश भाई से लेकर बहुत सारे सांसदों ने क्वोट किया है। इसमें तीन अपवाद भी हैं। अपवाद कब हो सकता है? यह सक्षम विधायिका द्वारा कानून पारित करके किया जाएगा, जो यह सक्षम विधायिका है। यह वैध देश हित में सहायक होगा कि क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम को और पुख्ता करना, आरोपियों को सजा कराना, क्रिमिनल्स को सजा कराना, क्रिमिनल्स को सजा कराना। मैं मानता हूं कि यह वैध देश हित में है और यह देश हित में हो रहा है तथा आनुपातिक होगा। किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा तो यह किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सारे लोग जो पकड़े जाएंगे, उनके लिए होगा। इसके लिए आप जो पुट्टास्वामी का जजमेंट क्वोट कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है और न वह इस पर लागू होता है, न इसे पारित करने में बाधक है।

इसके बाद मनीश जी ने कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी के सुधार किए जा रहे हैं। सिविल सोसायटियों से चर्चा नहीं हो रही है। सिविल सोसायटी से चर्चा के लिए मनीश जी मैंने तो आपको पत्र लिखा है, आप भी कर लो। उनके सुझाव लेकर मुझे भेज दो। हमने सारे विधायकों को

पत्र लिख दिया है, सारे सांसदों को लिखा, सारे न्यायालयों को लिखा, सारे लॉ कॉलेजेज़ को लिखा। अब कौन सी इससे बड़ी सिविल सोसायटी लाएंगे? हम ही हैं देश की सबसे बड़ी सिविल सोसायटी, हमारी संसद है, जो 130 करोड़ लोगों को री-प्रेजेंट करती है। आप सब लोग अपने सुझाव भेजिए। मुझे नहीं लगता... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा था कि एक प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी है और वह प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेटिव पॉलिसी वर्ष 2014 में इसलिए लाई गई थी कि जब भी ऐसा कोई कानून लाया जाता है, उससे पहले सभी लोगों से चर्चा हो जाए। आपकी बात सही है, आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के संबंध में हमको लिखा है। लेकिन जहां तक इस कानून का सवाल है, इस विधेयक का सवाल है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई है। यह मेरे कहने का तात्पर्य था।

श्री अमित शाह: कल आपने जो बोला था, वह ध्यान से सुन लेना। मैंने ध्यान से सुना है। आपने सिर्फ सीआरपीसी, आईपीसी के लिए ही कहा है। इसलिए मैं यह जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एनसीआरबी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से डेटा साझा करेगी? मैंने इसके बारे में भी बता दिया है कि डेटा एकतरफा साझा होगा, पूरा डेटा किसी से साझा नहीं होना है। वे लोग अपने उपयोग के डेटा के लिए यहां क्वेरी भेजेंगे। उसका इतना ही स्पेसिफिक जवाब यहां से पहुंचेगा। डेटा को सुरक्षित प्लेटफार्म पर रखा जाने वाला है, उसको नेटवर्क पर साझा नहीं किया जाएगा और क्वेरी के आधार पर साझा किया जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या निजी पक्ष की कोई भागीदारी होने वाली नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। यह कम्पलीटली एनसीआरबी में होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी की धारा 107, 108, 109 और 110 में नमूने लेने की बात कही गई है। इसके अंदर ही प्रोविजन है कि जिनको प्रतिभूति देने का ऑर्डर किया है, उसके अलावा किसी का नहीं दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने संदेहात्मक आर्टिकल 21 का उल्लेख किया है। वह किसी का नहीं होता है, संदेहात्मक व्यक्ति और जिनका कन्विक्शन हो चुका

है, ऐसे व्यक्तियों का ही होगा और डेटाबेस सुरक्षित रहने वाला है। कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने का सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे कानूनों के अंदर प्रावधान है। आर्टिकल-21 के सो कॉल्ड वॉयलेशन की जो बात करते हैं, इसी में, अनुच्छेद-3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम उम्र की कैद की सजा वाले अपराधी, जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हों, कोई किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वह मना कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 'may be' और 'shall be' पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। स्वाभाविक है कि मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। 'may be' इसलिए लिखा है कि कोई स्वेच्छा से अपना डेटा देना चाहता है तो वह दे सकता है। 'shall be' लिखने के बाद लेने का प्रोविजन ही नहीं होता है। मगर 'may be' अधिकारी को तो बाध्य कर ही देता है। अधिकारी नहीं ले सकता है। 'may be' लिखने के बाद जो कैदी है, वह दे सकता है कि मुझे अब कभी अपराध करना ही नहीं ले लो मेरा डेटा। ... (व्यवधान) भर्तृहरि जी, मैं बाद में जवाब दूंगा। 'shall not' और 'may not' के लिए मैं कह रहा हूँ। ... (व्यवधान)

उसके बाद एक मुद्धा यह उठाया गया कि 75 वर्ष तक क्यों रखने हैं? जब लीक ही नहीं होना है तो साल कम कर के भी क्या करना है? ... (व्यवधान) लीक ही नहीं होना है तो साल कम कर के क्या करना है। ... (व्यवधान) अगर लीक होना है तो एक साल भी नहीं रख सकते हैं।

भारत के संविधान, 20(3) के तहत अपने विरुद्ध गवाह बनने का, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं एक जजमेंट कोट करना चाहता हूँ – काठी कालू ओघड़ केस, 1961 का और रितेश सिन्हा केस, 2019 का। उसमें इन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के साक्ष्य देने पड़ते हैं, जब कोर्ट ऑर्डर करता है। उसमें कोई आपित्त नहीं है। अगर यह गैर-संवैधानिक है, तो कोर्ट उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा। कोर्ट कैसे उपयोग करेगा? मैं मानता हूँ कि आर्टिकल-23, हमने जो 6(1) प्रोविजन किया है, इससे प्रोटेक्ट हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग होगा। कहीं पर भी नहीं होगा। मैं सदन के रेकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ और अगर आप लोगों के मन में आशंका है तो रूल्स में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि कैदी की सहमित के बगैर कोई भी ये टेस्ट्स नहीं कर सकता है और न करने की ऐसी मंशा है और न हमारा इरादा है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे सांसद जो बोले और नहीं बोले, दोनों के मन में था कि हम धरना-प्रदर्शन करते हैं और अगर हमें पकड़ कर ले जाते हैं तो हमें सैंपल देने पड़ेंगे।

ज़रा भी नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि सात साल की सज़ा जब तक नहीं है, उसमें आप इसको इनकार कर सकते हो और इसके रूल्स के माध्यम से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। यह चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता का समाधान हमने एक्ट के अंदर ही ऑलरेडी किया है। ... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी: माननीय गृह मंत्री जी, सीआरपीसी की धारा 107, 108, 109, 110 में बॉन्ड का प्रावधान है, गिरफ्तारी का नहीं है। अगर किसी को 107 में आप डीटेन करते है तो स्पेसिफिकली इस विधेयक में लिखा हुआ है कि पुलिस के पास अख्तियार होंगे उसके सैंपल लेने के लिए। इसको अगर आप रूल्स में क्लैरिफाई करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर इसको निकाल देंगे तो और बढ़िया है। ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं अभी भी कह देता हूँ कि रूल्स में अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो मैं सदन के सामने अमेंडमेंट ले कर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ... (व्यवधान) अगर रूल्स क्लैरिफाई कर सकते हैं तो जरूर रूल्स में क्लैरिफाई होगा। ... (व्यवधान) इसमें दयानिधि मारन जी ने कहा कि धार्मिक और सामजिक। माननीय अध्यक्ष जी, यह सबके लिए है। ऐसी आशंका कि माइनोरिटी के लिए इसका उपयोग होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

निजता का अधिकार भी कह दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली के दंगों में कुछ नहीं हुआ, एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन किया। मगर दयानिधि मारन जी को मैं कहना चाहता हूँ कि 2473 लोग अरेस्ट

किए गए हैं। 403 चार्जशीट हो चुकी हैं और 2473 में से सिर्फ 86 लोगों की बेल हुई है, दयानिधि जी, बाकी सब लोग जेल में ही हैं।

यह नरेन्द्र मोदी सरकार है। यहां दंगा करने वालों को पार्टी के आधार पर छोड़ा नहीं जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने आर्टिकल-21 के वॉयलेशन के बारे में कहा, उसके बारे में मैंने कहा है। उन्होंने पीएमएलए के मिस-यूज के बारे में कहा। किसी कानून का उल्लंघन ऑफिसर के लेवल पर या किसी के लेवल पर हो सकता है, मगर क्या अदालतें नहीं हैं? क्या वह चैलेंज नहीं हो सकता है? हम ऐसा राज करना चाहते हैं कि कोई कुछ भी मनमाने तरीके से गलत करता जाए और चूंकि वह राजनीति में है, क्या उस पर कोई केस ही नहीं होगा? किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं? सबके लिए अदालतें खुली हैं। क्या अदालतों पर भी शंका है? सब लोग अच्छे से अच्छे लॉयर रखते हैं। किस बात का डर है? इसमें पी.एम.एल.ए. कहां है? इसमें तो जो पकड़ कर आते हैं, यह उनके लिए है। यह पकड़ने के लिए नहीं है। इसमें पी.एम.एल.ए. का उदाहरण तो लगता ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, भर्तृहरि महताब जी ने कहा कि मुझे पोटा की याद आ गई। महताब साहब, यह ज्वायंट सेशन नहीं है। अगर इसके लिए ज्वायंट सेशन करना भी पड़े तो मैं तो यह करने के मत का हूं। किसी भी तरह से काम को करना है। हमें आगे बढ़ना होगा।... (व्यवधान) श्री भर्तृहरि महताब: फर्स्ट दो-तीन लाइन्स कहने के लिए ही मैंने पोटा की बात की थी। श्री अमित शाह: भर्तृहरि जी, इसमें भी जो देना चाहेंगे, वह ही देंगे, बाकी के लोगों के लिए सात साल तक कोई बाध्यता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, डेटा रिकॉर्ड के बारे में जो बात उठाई गई, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका कोई मिस-यूज नहीं होगा। हम इसकी पूरी चिंता करेंगे। आधुनिक से आधुनिक टेक्नीक के साथ इसके स्टोरेज की और इसके उपयोग की व्यवस्था करेंगे। हम किसी को भी इसका मिस-यूज नहीं करने देंगे।

दानिश अली साहब ने फिर से एक बार, हमेशा वे जो बोलते हैं, वही बोला है।... (व्यवधान) उनको पसन्द आ गया। कुछ तो पसन्द आया। उनका मुद्दा यू.ए.पी.ए. का मुद्दा था। इसका जवाब मैं डिटेल में दे सकता हूं, मगर मैं कुछ तथ्य जरूर रिकॉर्ड में लाना चाहुंगा। वर्ष 2019 में इस देश में 51,56,158 केस हुए थे और 52 लाख लोग पकड़े गए थे। यू.ए.पी.ए. के तहत वर्ष 2019 में सिर्फ 1200 केस हुए थे। इसमें नारकोटिक्स के भी हैं, इसमें हथियारों की तस्करी के भी हैं, इसमें टेरिंज्म के भी हैं, इसमें टेरिंज्म के लिए विदेशों से फण्ड्स लाने के केसेज भी हैं और इनमें सिर्फ 1948 लोगों को पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सवाल उठाएंगे, इसलिए देश के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ यू.ए.पी.ए. नहीं लगेगा? यह निश्चित लगेगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इस तरह से नहीं चलेगा। 2020 में 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 796 केसेस में UAPA लगा। वर्ष 2020 में 68 लाख लोग पकड़े गए, जिसमें से ऐसे सिर्फ 1221 लोग हैं। 2019 में 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 ऐसे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मिस-यूज, मिस-यूज, मिस-यूज! यू.ए.पी.ए. किसी एक जाति, धर्म के लिए नहीं है। मगर, आपकी बात, आपकी पैरवी एक जाति, धर्म के लिए है। संसद में जब चर्चा होती है तो संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम ऐसे विवादों से नहीं डरते हैं। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी है। इस तरह से आप नहीं डरा सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में, दादा ने कुछ मुद्दे उठाए।... (व्यवधान) उन्होंने कहा कि बिल में लॉ कमीशन का उल्लेख क्यों नहीं किया। दादा, बिल में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाषण में इसलिए उल्लेख कर दिया कि बहुत सारे आधार हैं। अगर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट न भी दी होती, तब भी मैं बिल लेकर आता, सरकार बाध्य नहीं है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल लेकर आए।

मगर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ष 1980 में विधि आयोग ने इसकी जरुरत को समझा था, जब हम इसको लेकर आए हैं तो इसे भी कंसीडर करके दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक नॉन-गजटेड ऑफिसर्स को शक्तियाँ देने का सवाल है, तहसील और जिले की स्थायी जेलों में कहीं गजेटेड ऑफिसर ही नहीं है।

दादा, आप एक सेकेंड के लिए रुकिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेड कॉन्स्टेबल भी कितने सालों की सर्विस के बाद बनता है। दूसरी बात, इसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है और बहुत सारे तो एफ.एस.एल. में लिए जाएंगे। इसको लेने की एक प्रक्रिया बनेगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद राज्य इसको नोटिफाई करेंगे और भारत सरकार करेगी। इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। इसलिए, आप इसकी मिसयूज की जरा भी चिंता मत कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जिस्टिस सिस्टम में आधुनिक टेक्निक के उपयोग में हम अब देरी नहीं कर सकते हैं। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सभी प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग होना चाहिए। हमें इसको परिणामलक्षी बनाकर देश को सुरक्षित बनाना है। अत: मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया इसे पारित करें। यह बिल ऐसा बिल है, जिसको हमें सर्वानुमित से पारित करना चाहिए। सभी लोगों को ऑब्जेक्शंस विड्रॉ करके इसे सर्वानुमित से पारित करना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष:प्रश्न यह है:

"कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और आनुषांगिक विषयों पर उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष:अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Definitions

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 2,-

omit "biological samples". (1)

Page 2, line 7,-

for "Head Constable"

substitute "Inspector of Police". (2)

Page 2, line 9,-

for "Head Warder"

substitute "Jail Superintendent". (3)

Sir, these are amendments to Clause 2 regarding omitting the 'biological samples', as well as in place of 'Head Constable', substituting minimum 'Inspector of Police' and in place of 'Head Warder', substituting 'Jail Superintendent'. These are my amendments, and I am moving them.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 15 से 17 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मेरा और प्रेमचन्द्रन जी का अमेंडमेंट एक ही है, इसलिए मैं अलग से मूव नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 Taking of measurement

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 4 से 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, this is a very important amendment. Hon. Home Minister has just now responded to it also. Words 'may not be obliged to' should be replaced with 'shall not be obliged to'.

With regard to heinous offences, the hon. Minister has replied that it will be brought in the rules. On the basis of the assurance given to the House, I would like to withdraw my amendments. I am not moving my amendments.

माननीय अध्यक्ष: क्या सभा की इच्छा है कि श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लिया जाए?

संशोधन को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

माननीय अध्यक्ष:श्री भर्तृहरि महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 18 और 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, basically my amendment was relating to the persons who are detained. जो कंविक्टेड हैं, उनका सैम्पल लिया जाए। इसके बारे में मेरे मन में कोई संशय नहीं था। रिलेटिंग टू डिटेन्ड के बारे में मेरा संशय था और मैंने अमेंडमेंट मूव किया था। जो प्रतिश्रुति अभी गृह मंत्री जी ने इस हाउस में दिए हैं, रूल्स में उसको संशोधन करने की मंशा रखे हैं, इसलिए मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं मूव नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 Collection, storing, preservation of measurements and storing, sharing, dissemination, destruction and disposal of records

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 8 से 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 28,-

after "force"

insert "specifying the reason in writing and with the orders of the Secretary, Ministry of Home Affairs". (8)

Page 2, *omit* lines 31 to 34. (9)

Page 2, lines 35 and 36,-

for "in digital or electronic form for a period of seventy-five years from the date of collection of such measurement"

substitute "in original format during the pendency of investigation and prosecution". (10)

Page 2, lines 43 and 44,-

for "an appropriate agency to collect, preserve and share"

substitute "the magistrates authorised to issue orders to collect".

(11)

This is regarding the consent of the Secretary, Ministry of Home Affairs specifying the reasons in writing with orders of the Secretary. And, in place of 'the digital electronic form for a period of seventy-five years' please substitute 'in original format during the pendency of investigation and prosecution'. It can also be amended in the rules.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 से 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हये।

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 21 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I beg to move this amendment. This amendment relates to जो परमीशन मजिस्ट्रेट से लेते हैं, मेरी यह अमेंडमेंट है कि वह परमीशन हायर कोर्ट से ली जाए।

Page 2, *for* line 41,-

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री बी. महताब जी द्वारा खंड 4 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 21 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 Power of Magistrate to direct a person to give measurements

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 22 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I am not moving my amendment no. 22.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 Resistance to allow taking of measurements

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move my amendment No. 12. This can be done.

Sir, I beg to move:

Page 3, lines 6 and 7,-

for "under this Act"

substitute "in accordance with the order of Magistrate". (12)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 6 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 23 को प्रस्तुत करना चाहते हैं? PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Hon. Speaker, Sir, I am not moving amendment No. 23.

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. महताब जी, क्या आप संशोधन संख्या 24 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Speaker, Sir, I am not moving amendment No. 24.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 Power to make rules

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 और 14 को प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I hope that the hon. Minister will come up with proper amendments when it will be getting implemented.

With that hope, I am not moving amendment Nos. 13 and 14.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अनिधियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, इसके पहले मैं एक बात आपके ध्यान पर लाना चाहता हूं, जिसमें अधीर रंजन जी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो प्रधान मंत्री जी का नाम लिया है, उसको रिकार्ड से हटा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: पहले ही हटा दिया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: आपने तो नाम ही नहीं लिया। आप खुद ही बोल दीजिए कि नाम नहीं लिया।

... (<u>व्यवधान</u>)

माननीय अध्यक्ष: ये खुद भी मना कर रहे हैं कि मैंने नाम नहीं लिया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हम लोग जब राजनीति करते हैं, तो कभी पुलिस पकड़ती है, कभी 144 हम लोग वॉयलेट करते हैं। कभी पुलिस पूछती है, यह तो सबको करते हैं,

... * को किया, आपको किया, मेरे को भी किया। यही मेरा कहना है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह ऑलरेडी हटा दिया है और उन्होंने भी मान लिया है कि उसको हटा दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनका कहने का कोई तर्क भी नहीं था और इन्होंने खुद भी कहा कि इसको विदड्रॉ कर लीजिए। हमने रिकार्ड से उसको डिलीट कर दिया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, ऐसा मैंने नहीं कहा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नहीं कहा। अधीर रंजन जी, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री अमित शाह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

^{*} Expunged as ordered by the Chair

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022 को ग्यारह बजे तक के लिए स्थिगित की जाती है।

19.49 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 5, 2022/Chaitra 15, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)